VISIONIAS

www.visionias.in

समसामयिकी

मार्च - 2016

VISION IAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

विषय सूची

1. राजव्यवस्था और प्रशासन 7

1.1. भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक, 2015 7

1.2. आधार विधेयक, 2016 8

1.3. रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) विधेयक 2013 9

1.4. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 10

1.5. सामाजिक बहिष्कार का निषेध 11

1.6. गर्व ऐप्प 12

1.7. ग्राम उदय से भारत उदय अभियान 12

1.8. मेडिकल शिक्षा शासन-प्रणाली पर रिपोर्ट 12

1.9. शैक्षणिक संस्थानों का अल्पसंख्यक दर्जा 13

1.10. उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन 14

1.11. न्यायधीशों की नियुक्ति 15

1.12. सतलुज-यमुना लिंक (एस.वाइ.एल.) नहर मामला 16

1.13. राज्य सभा द्वारा “धन्यवाद प्रस्ताव” में संशोधन 17

2. अंतर्राष्ट्रीय : भारत और विश्व 18

2.1 भारत-पाकिस्तान : सर क्रीक विवाद 18

2.2 भारत और सॅशेल्स 19

2.3 भारत एवं जापान 19

2.4 भारत-बांग्लादेश 20

2.5 भारत की सहायता कूटनीति 20

2.6 रायसीना संवाद 21

2.7 बिमस्टेक 21

2.8 अश्गाबात समझौता 22

2.9. 8 वां ब्रिक्स सम्मेलन 22

2.10 दक्षेस (SAARC) का 37वाँ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 22

2.11 ईरान में संसदीय चुनाव 23

2.12. नेपाल और चीन 23

2.13. म्यांमार में लोकतांत्रिक परिवर्तन 24
2.14. अमरीकी राष्ट्रपति की क्यूबा यात्रा....................24
2.15 ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफार्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 25
2.16 ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट, 2016....................25
2.17. शंघाई सहयोग संगठन....................26
2.18. चार देशों का आतंकवादरोधी तंत्र....................26
3. अर्थव्यवस्था 27
3.1. आय घोषणा योजना 27
3.2. राष्ट्रीय कृषि बाजार 27
3.3. हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति....................28
3.4. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का समेकन और विलय 29
3.5. बजट में सिंचाई पर जोर....................30
3.6. दीपम-निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग 30
3.7. वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटरों को लाइसेंस 31
3.8. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर नीति आयोग की रिपोर्ट....................32
3.9. ई-कॉमर्स में 100 प्रतिशत FDI 33
3.10. FRBM अधिनियम में बदलाव की आवश्यकता 34
3.11. दीनदयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना....................35
3.12. भारतीय दवा उद्योग....................36
3.13. सेतु भारतम परियोजना....................36
3.14. उर्वरक सब्सिडी में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण....................37
3.15. गूगल टैक्स: डिजिटल अर्थव्यवस्था पर इक्वलाईजेशन (समीकरण) लेवी....................37
4. सामाजिक मुद्दे 38
4.1. शिक्षा का अधिकार अधिनियम का अप्रभावी कार्यान्वयन 38
4.2. महिला ई-हाट....................38
4.3. मुसीबत में मदद करने वालों की सुरक्षा....................39
4.4 तिहरा तलाक 39
4.5. दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यूनिवर्सल आईडी....................39
4.6. "वीमेन ट्रांस्फोर्मिंग इंडिया अभियान....................39
4.7. मनरेगा – मोबाइल प्लेटफार्म 40

VISION IAS

4.8. बच्चों का दत्तक ग्रहण और उनकी तस्करी 40
5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी *41*
5.1 स्वालबोर्ड वैश्विक बीज बैंक 41
5.2 ट्रेस गैस आर्बिटर अभियान (TGO) 41
5.3 अल्फा गो 41
5.4. टच डीएनए 41
5.5 टिंटोरैग 42
5.6 ट्रेसोर्स प्रोजेक्ट 42
5.7 नासा इन साइट मिशन 43
5.8 एंटी-माइक्रोबियल रेजिस्टेंस फण्ड 43
5.9 आई. आर. एन एस एस-1 एफ 43
5.10 भारत का प्रथम स्वदेशी सोनार गुम्बद...44
5.11 बेडाक्विलीन 44
5.12.फोटोडाइनैमिक थेरेपी..44
5.13 कॉम्बिनेशन ड्रग्स पर प्रतिबंध..45
5.14 सुपरफ्लेयर्स 45
6. आंतरिक सुरक्षा...*46*
6.1. जिला रिजर्व बटालियन 46
6.2. सार्क देशों में सीमा पार आतंकवाद से निपटना 46
6.3. आठवां अंतर्राष्ट्रीय भारत सुरक्षा शिखर सम्मेलन 47
6.4. भारत की साइबर सुरक्षा संरचना..47
6.5. भारत की साइबर सुरक्षा चुनौतियाँ 48
6.6. ICANN के लिए नई शासन संरचना 49
6.7. ऑपरेशन वीरांगना..50
6.8. बेल्जियम में आतंकी हमला..50
6.9. न्यायमूर्ति विष्णु सहाय जांच आयोग..51
6.10. एक्सरसाइज फ़ोर्स 18...51
6.11. आयरन फिस्ट एक्सरसाइज 2016 52
7. पारिस्थितिकी और पर्यावरण...*53*
7.1. प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों का वर्गीकरण 53

VISION IAS

7.2. यमुना के बाढ़ के मैदान 53
7.3. जलवायु अभियांत्रिकी समाधान 54
7.4. नये ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम 54
7.5. प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के नए नियम 55
7.6. अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व 56
7.7 फ्लाई ऐश 56
8. संस्कृति 58
8.1. कोंडाणे गुफाओं में शैल चित्रों की खोज 58
8.2. विश्व विरासत स्थलों को अपनाने के लिए नीति 58
8.3. चन्देस्वरार की चोल मूर्तिकला 59
8.4. पंचतीर्थ : बी. आर. अम्बेडकर 59
8.5. सिद्दी जनजाति 60
8.6. टोडा जनजाति 60
8.7.असुर जनजाति 60
8.8. बोंडा जनजाति 60
8.9. जागोर लोक नृत्य 61
8.10. ज़रदोजी 61
8.11. बाउल 61
9. सुर्ख़ियों में 62
9.1. वायु परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2015 62
9.2. भारत में राज्यों की शासन के आधार पर रैंकिंग 62
9.3. लोकसभा में आचार समिति 62
9.4. कायाकल्प पुरस्कार योजना 63
9.5. सरकारी विज्ञापन के नियमों में परिवर्तन 63
9.6. तंबाकू उत्पादों पर चेतावनी 63
9.7. अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाई) में परिवर्तन 63
9.8. अवसंरचना एवं शहरी विकास: विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट 64
9.9. बैंक बोर्ड ब्यूरो 64
9.10 बैंकों में पूंजी निवेश 64
9.11. कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ) पर कर और उसकी वापसी 65

VISION IAS

9.12. कृषि उपज में कटाई-पश्चात होने वाली हानियां 65
9.13. बीटी कपास के रॉयल्टी शुल्क में 74% तक की कटौती....65
9.14. परियोजना आधारित रेटिंग 66
9.15. एफ.डी.आई. के दिशा-निर्देशों में सुधार....66
9.16. तेल की गिरती कीमतें और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव 67
9.17. भारतीय कृषि में सुधार 67
9.18. प्लास्टिक के विघटन में सक्षम जीवाणु प्रजातियों की पहचान 68
9.19. शीतलक का रिसाव होने के बाद काकरापारा-नाभिकीय संयंत्र को बंद कर दिया गया 68
9.20. विश्व जल दिवस 69
9.21. माइक्रोप्लास्टिक / माइक्रोबीड्स 69
9.22. महिला सशक्तिकरण–समान नागरिक संहिता....69
9.23. स्वदेशी रोटावायरस वैक्सीन....70
9.24. ई-मेल आविष्कारक 71
9.25. संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार समिति 71

VISION IAS

1. राजव्यवस्था और प्रशासन

1.1. भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक, 2015

(The Bureau of Indian Standards Bill, 2016)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- संसद के बजट सत्र के दौरान राज्य सभा ने भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक, 2016 पारित किया। इस विधेयक को लोकसभा द्वारा पहले ही पारित किया जा चुका है।
- नया विधेयक मौजूदा भारतीय मानक अधिनियम, 1986 को निरस्त करेगा।

प्रमुख विशेषताएं:

उद्देश्य:
- मानक चिन्हों के दुरूपयोग की रोकथाम
- तलाशी एवं ज़ब्ती के लिए अधिकारियों को समर्थ बनाना
- प्रतिकृति बनाने पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना
- नकली हॉलमार्क बनाने की स्थिति में एक वर्ष का कारावास
- बिना मानक के बिक्री को दंडनीय (दो वर्ष का कारावास) बनाया गया हैं

कानून में संशोधन:
- अन्य एजेंसियों को मानक निर्धारण की अनुमति दी गई है
- और अधिक उत्पादों, सेवाओं तथा प्रणालियों का मानकीकरण संभव बनाया गया है
- विभिन्न अनुरूपता मूल्यांकन योजनायें
- बहुमूल्य धातुओं का हॉलमार्क किया जायेगा।

- **भारतीय मानक ब्यूरो के विषय-क्षेत्र का विस्तार:** विधेयक में वस्तुओं, सेवाओं और प्रणाली को सम्मिलित किया गया है। 1986 के अधिनियम के तहत मानकीकरण, चिन्हांकन तथा प्रमाणीकरण केवल कुछ निश्चित सामग्रियों एवं प्रक्रियाओं के लिए ही लागू था।

भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना:

- भारतीय मानक ब्यूरो एक राष्ट्रीय निकाय होगा, जो वस्तुओं, सेवाओं, सामग्रियों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों की गुणवत्ता के निश्चित मानकों का निर्धारण, कार्यान्वयन और प्रमाणन करेगा।
- ब्यूरो इस तरह के मानकों को तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की तकनीकी समितियों से मिलकर गठित होगा।
- विधेयक में एक संचालन परिषद् (गवर्निंग काउंसिल) के गठन का भी प्रावधान किया गया है, जो सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और ब्यूरो के प्रबंधन की देखरेख के लिए जिम्मेदार होगा।

प्रमाणीकरण:

- ब्यूरो गुणवत्ता मानकों के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी होगा।
- ब्यूरो गुणवत्ता आश्वासन और वस्तुओं, सेवाओं, सामग्रियों इत्यादि के अनुपालन संबंधी मूल्यांकन के लिए परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा उनके रखरखाव का कार्य करेगा।
- सोना, चांदी, प्लेटिनम और पैलेडियम या उनके मिश्र धातु सहित अन्य विभिन्न कीमती धातुओं को प्रमाणित करने के लिए हॉलमार्क का इस्तेमाल किया जाएगा।
- विधेयक में यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार कुछ निश्चित वस्तुओं, सामग्रियों आदि को अधिसूचित करेगी, जिन्हें अनिवार्यतः एक मानक चिन्ह प्राप्त करना होगा। उदहारणस्वरुप सार्वजनिक हित के लिए आवश्यक वस्तुओं, पर्यावरण सुरक्षा, अनुचित व्यापार व्यवहार की रोकथाम, राष्ट्रीय सुरक्षा आदि के लिए ऐसे मानक चिन्ह प्राप्त करने होंगे।
- विधेयक के प्रावधानों के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो अब उत्पादों के मानकों के अनुरूप नहीं होने पर बाजार से उत्पाद वापस लेने का आदेश दे सकता है।
- भारतीय मानक चिन्ह के अनुचित प्रयोग के लिए दंडस्वरूप 5 लाख रुपये का जुर्माना देय होगा।
- इस विधेयक के प्रावधानों के अंतर्गत यदि कोई कंपनी कोई अपराध करती है, तो इस हेतू उत्तरदायी व्यक्ति अथवा कंपनी का प्रभारी व्यक्ति दंड का भागी होगा, यद्यपि उक्त अपराध बिना उसके जानकारी, बगैर सहमति अथवा बिना मिलीभगत के ही क्यों न हुआ हो।
- इस संबंध में अपील ब्यूरो के महानिदेशक के समक्ष किया जा सकता है। महानिदेशक के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार के समक्ष अपील किया जा सकता है।

सारांशत : भारतीय मानक **ब्यूरो** विधेयक, 2015 के प्रस्तावित प्रावधान केंद्र सरकार और भारतीय मानक **ब्यूरो** को, उपभोक्ताओं के कल्याण के व्यापक उद्देश्य के साथ उत्पाद प्रमाणन' और 'अनुकूलता के प्रमाणन' की प्रक्रिया के जरिये भारतीय मानकों के अनिवार्य / स्वेच्छिक अनुपालन के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता की संस्कृति को बढ़ावा देने में समर्थ बनाएंगे। इससे भारतीय मानकों के प्रवर्तन में भी सुधार होने की पर्याप्त संभावना हैं।

प्रस्तावित प्रावधान वस्तुओं और सेवाओं के मानकीकरण, चिन्हांकन और गुणवत्ता प्रमाणन की गतिविधियों के सुव्यवस्थित विकास को भी प्रोत्साहित करेंगे ताकि कीमती धातु सामग्री के प्रमाणन, अनुकूलता के आकलना का दायरा व्यापक बनाने, जुर्माना बढ़ाने, अपराधों को प्रशमय बनाने और कानून के कुछ प्रावधानों को सरल बनाया जा सके।

VISION IAS

1.2. आधार विधेयक, 2016

(Aadhaar Bill, 2016)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- द आधार (टार्गेटेड डिलीवरी ऑफ़ फाइनेंसियल एंड अदर सब्सिडीज, बेनिफिट्स एंड सर्विसेज) बिल, 2016 को हाल हीं में संसद की स्वीकृति प्राप्त हुई है।
- विधेयक में भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए सब्सिडी और सेवाओं के लक्षित वितरण के लिए आधार कार्ड को वैधानिक समर्थन प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

विधेयक की विशेषताएं:

- प्रत्येक निवासी (resident) एक आधार संख्या प्राप्त करने का हकदार होगा। एक निवासी वह व्यक्ति है जो किसी एक वर्ष में 182 दिनों से भारत में रहा हो।
- आधार कार्ड से संबंधित कार्यकलापों को संपादित करने के लिए विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ('यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी'–यू.आई.डी.) का गठन किया जाएगा।
- **यू.आई.डी. की संरचना**: एक अध्यक्ष, दो अंशकालिक सदस्य और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अध्यक्ष और सदस्यों को प्रौद्योगिकी, प्रशासन आदि जैसे विषयों में कम से कम 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए।

यू.आई.डी. प्राधिकरण के महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं:

- नामांकन के दौरान विशिष्ट जनसांख्यिकीय (डेमोग्राफिक) और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्रित करना।
- प्रत्येक व्यक्ति को आधार संख्या आवंटित करना।
- आधार संख्या को प्रमाणित करना।
- सब्सिडी और सेवाओं के वितरण के लिए आधार संख्या के उपयोग को विनिर्दिष्ट करना।
- बॉयोमीट्रिक जानकारी (फिंगर प्रिंट, आइरिस स्कैन और अन्य जैविक विशेषताएँ) केवल आधार नामांकन (एनरोलमेंट) और प्रमाणीकरण (ऑथेंटिकेशन) उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तथा किसी के साथ साझा नहीं किया जाएगा।
- इन्हें केवल राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में और न्यायालय के आदेश के उपरांत हीं प्रकट किया जाएगा।
- केंद्रीकृत डेटाबेस तक अनाधिकृत पँहुच (जिसमे अन्य किसी भी संग्रहित जानकारी का प्रकटीकरण भी शामिल है) के लिए किसी व्यक्ति को 3 वर्ष तक का कारावास और न्यूनतम 10 लाख रुपये के जुर्माने का दंड दिया जा सकता है।

इस विधेयक के लाभ:

- फर्जी/ नकली लाभार्थी विभिन्न योजनाओं की सफलता में बाधा बने हुए हैं; इसलिए यह वितरण प्रणाली में लीकेज को रोकने में सक्षम होगा।
- यह बड़े पैमाने पर राजनीतिक और नौकरशाही से जुड़े भ्रष्टाचार को कम करने का एकल व सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीका है।
- यह गरीबों को किये जा रहें आय हस्तांतरण एवं सेवा वितरण को अधिक सक्षम बनाएगा।

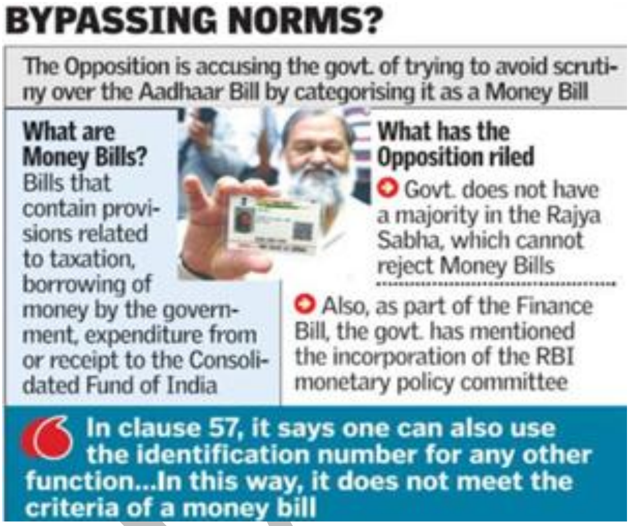

विधेयक से जुड़े मुद्दे:

- आधार विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किये जाने से राज्यसभा की भूमिका को नजरअंदाज किया गया, अगर ऐसा नहीं होता तो राज्यसभा में चर्चा के दौरान बहुमूल्य सुझाव प्राप्त हों सकते थे।
- इसे सहकारी संघवाद की भावना के विरुद्ध देखा जा रहा है, क्योंकि राज्यसभा राज्यों की आवाज का प्रतिनिधित्व करती है।
- विधेयक की **धारा 7** विभिन्न प्रकार के सुविधाओं और सेवाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने के लिए सरकार को अधिकार प्रदान करती है।
- इसकी धारा 57 किसी भी अन्य संदर्भ में, जिसका विधेयक में उल्लेख नहीं है, हेतु आधार पहचान को लागू करने के लिए सरकार को सक्षम बनाती है।

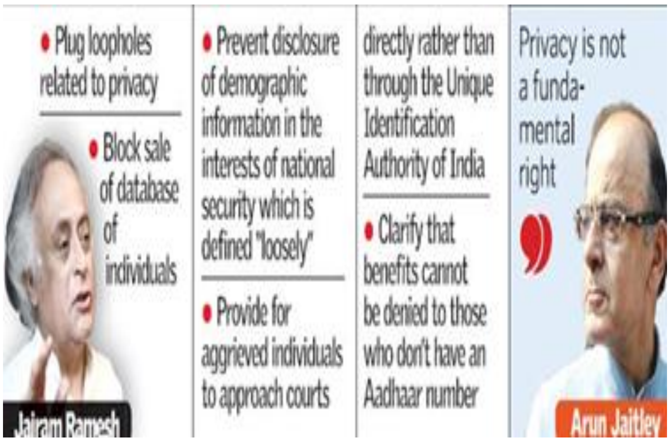

- **निजता का हनन** : प्रत्येक व्यक्ति के हरेक गतिविधि पर नज़र रखी जा सकती है, जबकि यह संविधान में जीवन के अधिकार के तहत प्रदत निजता के अधिकार (राईट टू प्राइवेसी) की भावना

VISION IAS

के विरुद्ध है। उल्लेखनीय है कि निजता का अधिकार असहमत होने की स्वतंत्रता (फ्रीडम टू डिसेंट) का एक अनिवार्य आधार है।

- यदि बॉयोमीट्रिक्स डेटा असुरक्षित हाथों में चला जाता है तो इससे बड़े पैमाने पर जालसाजी, मिथ्याप्रस्तुति (misrepresentation) तथा अन्य संबद्ध धोखाधड़ी को बढ़ावा मिल सकता है।
- साइबर सुरक्षा के कमजोर बुनियादी ढांचे नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा के समक्ष खतरा प्रस्तुत करते हैं साथ हीं इन्हें सुभेद्य भी बनाते हैं।

चुनौतियां:

- यदि लाभों के वितरण के लिए किसी अन्य प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग किया जा रहा है तो विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के बीच अंतरसंचालनीयता (Interoperability)में समस्या उत्पन्न हों सकती हैं।
- आधार को दरकिनार कर किसी अन्य वैकल्पिक प्लेटफार्मों को अपनाने (जहाँ लाभार्थी का सत्यापन ठीक से नहीं हो पाता है) से दुरुपयोग को बढ़ावा मिल सकता है।
- यद्यपि आधार का प्रयोग कर DBT के माध्यम से किया जाने वाला संवितरण (भुगतान) शीघ्र प्रभावी हो सकता है, हालांकि इसको प्रभावी रूप से लागू करने के लिए तीव्र गति युक्त व विश्वसनीय कनेक्टिविटी की आवश्यकता होगी जो सभी पंचायतों को सम्मिलित करता हों।

धन विधेयक: संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार कोई विधेयक तब धन विधेयक माना जायेगा, जब उसमें निम्न वर्णित एक या अधिक या समस्त उपबंध होंगे:

1. किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन,
2. केंद्र सरकार द्वारा उधार लिए गए धन का विनियमन,
3. भारत की संचित निधि या भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी भी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकलना,
4. भारत की संचित निधि से धन का विनियोग,
5. भारत की संचित निधि पर भारित किसी व्यय की उदघोषणा या इस प्रकार के किसी व्यय की राशि में वृद्धि,
6. भारत की संचित निधि या लोक लेखे में किसी प्रकार के धन की प्राप्ति या अभिरक्षा या इनसे व्यय या इनका केंद्र या राज्य की निधियों का लेखा-परीक्षण, या
7. उपरोक्त विनिर्दिष्ट किसी विषय का आनुषांगिक कोई विषय।

अन्य प्रावधान:

- यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इस संबंध में लोक सभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम निर्णय होता है।
- इस संबंध में उसके (अध्यक्ष के) निर्णय को किसी भी न्यायलय या संसद के किसी भी सदन या राष्ट्रपति के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती।
- जब धन विधेयक राज्यसभा या राष्ट्रपति के पास स्वीकृति हेतु जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष इसे धन विधेयक के रूप में पृष्ठांकन करता है।
- धन विधेयक केवल लोक सभा में और केवल राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
- इस तरह के हरेक विधेयक को सरकारी विधेयक माना जाता है तथा इसे केवल एक मंत्री ही प्रस्तुत कर सकता है।

सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2013:

यदि राज्य सभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है, तो तत्पश्चात क्या होगा?

(a) लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कारवाई कर सकती है।

(b) लोकसभा विधेयक पर आगे विचार नहीं कर सकती है।

(c) लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को लौटा सकती है।

(d) राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक को आहूत कर सकता है।

उत्तर: धन विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये जाने वाले संशोधन का कोई प्रभाव नहीं होता है तथा लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार कर या अस्वीकार कर, विधेयक के साथ आगे बढ़ती है। इस प्रकार विकल्प (a) सही उत्तर है।

1.3. रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) विधेयक 2013

(The Real Estate (Regulation and Development) Bill 2013)

सुर्ख़ियों में क्यों?

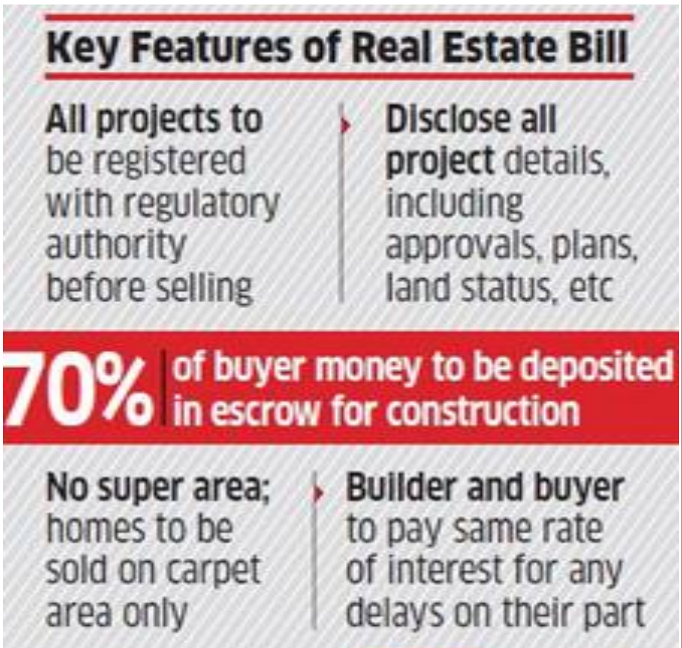

VISION IAS

- हाल ही में, रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) विधेयक 2013, राज्य सभा द्वारा पारित किया गया।

पृष्ठभूमि

- रियल एस्टेट क्षेत्रक कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्रक है तथा यह देश के सकल घरेलू उत्पाद में नौ प्रतिशत का योगदान देता है।
- इसके बावजूद, यह क्षेत्रक उपभोक्ताओं और डेवलपर्स के बीच विश्वास तथा भरोसा की कमी से ग्रस्त रहा है, जिसके कारण इस क्षेत्र में निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
- ग्लोबल रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक के अनुसार, भारत 'अर्द्ध-पारदर्शी' (सेमी-ट्रांसपेरेंट) श्रेणी में सम्मिलित है।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान:

- कम से कम 500 वर्ग मीटर क्षेत्र, या आठ फ्लैटों वाली परियोजनाओं का 'रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी' (रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण-RERA) के साथ अनिवार्य पंजीकरण।
- विनियामक की वेबसाइट प्रत्येक परियोजना से संबंधित सभी आवश्यक विस्तृत सूचनाओं का सार्वजनिक प्रकटीकरण करेगा।
- परियोजना से संबंधित एक त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करना होगा।
- निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए भी RERA के साथ पंजीकरण आवश्यक होगा।
- प्रोजेक्ट डेवलपर्स को अब अपने फंड (भूमि लागत सहित) की कम से कम 70% राशि को एक अलग एस्क्रो खाते (**Escrow Account**) में निर्माण की लागत को पूरा करने के लिए जमा करना अनिवार्य होगा।
- अपीलीय न्यायाधिकरण (Appellate Tribunals) के आदेशों के उल्लंघन पर प्रमोटरों के मामले में तीन वर्ष तक का कारावास और रियल एस्टेट एजेंटों तथा खरीदारों के मामले में एक वर्ष तक का कारावास अथवा मौद्रिक दंड अथवा दोनों का प्रावधान।
- कारपेट एरिया (Carpet Area) को सुस्पष्ट तरीके से परिभाषित किया गया है, और अब खरीदारों को केवल कारपेट एरिया के लिए भुगतान करना होगा ना कि सुपर निर्मित क्षेत्र (Super built-up area) के लिए।
- अपीलीय न्यायाधिकरणों को आवश्यक रूप से 60 दिन के अंदर किसी मामले पर निर्णय देना होगा और नियामक प्राधिकरणों को 60 दिनों में शिकायतों का निपटान करना होगा।
- नियामक प्राधिकरण शहरी क्षेत्रों से परे विकसित किये जाने वाले प्रोजेक्ट को भी रजिस्टर कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त ये मंजूरी के लिए सिंगल विंडो प्रणाली को बढ़ावा और प्रोजेक्ट्स को ग्रेड देने का कार्य करेंगे, जबकि प्रमोटर भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त उन्हें तीन महीने के भीतर नियमों का मसौदा भी तैयार करना होगा।
- किसी खरीदार को संपत्ति के हस्तांतरण के बाद पांच साल तक के लिए संरचनात्मक दोषों को दूर करने का कार्य बिल्डर हीं करेंगे।
- यह वाणिज्यिक और आवासीय दोनों प्रकार के परियोजनाओं को विनियमित करेगा।
- रियल एस्टेट संबंधी कार्यकलापों की देख-रेख व निगरानी के राज्य-स्तरीय विनियामक प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है।

महत्व:

- यह उपभोक्ता हितों की रक्षा करेगा तथा संपत्ति संबंधी सभी प्रकार के लेन-देन में दक्षता सुनिश्चित करेगा,
- इससे डेवलपर्स की जवाबदेही बढ़ेगी, पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र के लिए अधिक निवेश आकर्षित होगा।
- यह विधेयक '2022 तक सभी के लिए आवास' योजना के माध्यम से किफायती आवास को बढ़ावा देने संबंधी पहल और स्मार्ट सिटी परियोजना के साथ-साथ सरकार के शहरी रूपांतरण की योजना के साथ भी सुसंगत है।

आगे की राह:

- गौर करने की बात यह है कि इस केंद्रीय कानून को राज्यों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है। इस संबंध में उपयुक्त वातावरण प्रदान कराना राज्यों की जिम्मेदारी है, इसलिए वास्तविक चुनौती यह है कि राज्य किस प्रकार इस कानून का क्रियान्वयन करते हैं।

1.4. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

[Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY)]

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गरीब महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देने के लिए इस योजना को मंजूरी दी है।

पृष्ठभूमि:

- भारत में गरीबों की स्वच्छ ईंधन (LPG) तक पहुंच काफी सीमित है।
- जीवाश्म ईंधन और पारंपरिक ईंधन (जैसे- गोबर/उपले) के प्रयोग के कारण महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ता है।
- WHO के एक आकलन के अनुसार भारत में लगभग 5 लाख लोगों की मृत्यु अस्वच्छ खाना पकाने के ईंधन के कारण होती है।
- चूल्हे 2.5 माइक्रोन से कम आकार के PM 2.5 कणों का उत्पादन करते हैं, जो फेफड़ों में ठहर जाते हैं और इस प्रकार ये कैंसर और टीबी के कारण बनते हैं।

VISION IAS

- बायोमास से उत्पन्न धुआं लोगों को अंधा बना देता है। महिलाओं से संबंधित राष्ट्रीय परिवार स्वस्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के एक अध्ययन से पता चला है कि स्वच्छ ईंधन वाले घरों में प्रति लाख 6152 के मुकाबले बायोमास घरों में प्रति लाख 8967 अंधापन पाया गया था।
- इंडोर (घर के अंदर) वायु प्रदूषण युवा बच्चों में काफी संख्या में श्वसन रोग के लिए उत्तरदायी है।

विशेषताएं:

- यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की पहली कल्याणकारी योजना है।
- अगले तीन वर्षों में 5 करोड़ LPG कनेक्शन BPL परिवारों जिनमें प्रत्येक परिवार को 1600 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- वर्ष 2016-17 में इस योजना के तहत लगभग 1.50 करोड़ BPL परिवार लाभान्वित होंगे।
- महिला लाभार्थियों के नाम पर कनेक्शन प्रदान किया जाएगा।
- BPL परिवारों की पहचान राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों की सरकारों के परामर्श से की जाएगी।
- स्टोव और रिफिल (फिर से भरना) लागत को पूरा करने के लिए EMI सुविधा प्रदान की जाएगी।

लाभ:

- BPL परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने से रसोई गैस की सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित हो सकेगी।
- यह जीवाश्म ईंधन पर आधारित खाना पकाने के साथ जुड़े गंभीर स्वास्थ्य के खतरों को कम करेगा।
- यह महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके स्वास्थ्य की रक्षा की दिशा में भी एक और महत्वपूर्ण कदम होगा।
- यह योजना आपूर्ति श्रृंखला में ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगा।
- पुनः यह जलावन की लकड़ी इकट्ठा करने संबंधी ग्रामीण महिलाओं के काम के बोझ को कम करने के साथ-साथ वनोन्मूलन को भी कम करेगा।

चुनौतियां:

- मौजूदा सब्सिडी वाले दामों पर रसोई गैस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रत्येक BPL परिवार को LPG के लिए, कनेक्शन के समय आवश्यक 1,800 रूपये के एकमुश्त लागत के अतिरिक्त, वार्षिक लगभग 5,000 रुपये खर्च करने होंगे। यह लागत कई लोगों के लिए असहनीय हो सकता है।
- विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण प्रणाली का अभाव।
- विभिन्न नागरिक समाज के सदस्यों द्वारा अवलोकन किया गया है कि BPL सूची में कई सारे इन्क्लूजन तथा एक्सक्लूजन (शामिल और बाहर) संबंधी त्रुटियां मौजूद हैं।
- इसके अतिरिक्त, BPL वंचन की एक संकीर्ण परिभाषा है, जबकि कई गैर- BPL परिवार LPG कनेक्शन की लागत को वहन करने में सक्षम नहीं भी हो सकते हैं।

आगे की राह:

- इस योजना के तहत और अधिक लोगों को इसमें सम्मिलित करने के लिए इसके दायरे को विस्तृत करने की आवश्यकता है।
- विश्वसनीय, सतत और लास्ट-माईल आपूर्ति सुनिश्चित करना: मांग में वृद्धि को (विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में) आसानी से पूरा करने के लिए वितरण प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि ईंधन की अनुपलब्धता लोगों को फिर से ठोस ईंधन का उपयोग करने की ओर मोड़ सकती है।
- प्रभावी निगरानी और शिकायत निवारण प्रणाली।
- इस योजना को जागरूकता फैलाने के लिए एक केंद्रित जनसंपर्क अभियान के साथ जोड़ा जाना चाहिए, ताकि LPG के वास्तविक उपयोग हो सके।

1.5. सामाजिक बहिष्कार का निषेध

(Prohibition of Social Boycott)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने जाति, धर्म, समुदाय और परंपरा के नाम पर सामाजिक बहिष्कार से निपटने के लिए एक कानून (**सामाजिक बहिष्कार निषेध अधिनियम, 2015**) को मंजूरी प्रदान की है।
- जाति पंचायतों द्वारा व्यक्तियों या परिवारों के सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ किसी कानून को बनाने वाला यह देश का पहला राज्य होगा।

कारण:

- राज्य के ग्राम पंचायतों के शक्तिशाली समुदायों द्वारा जाति के बाहर शादी करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार की घोषणा के कई मामलों की लगातार सूचना प्राप्त हो रही थी।
- कई ऐसे मामले लगातार प्रकाश में आते रहे हैं, जहां ग्राम समुदायों ने महिलाओं के जींस पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाले ड्रेस कोड अथवा पूजा स्थलों पर लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध; जैसे नियम आरोपित किये हों।

महत्व:

- विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराईयों (जो राज्य के कई भागों में अभी भी मौजूद हैं) को संबोधित करने के लिए इस प्रकार के कड़े कानून संबंधी राज्य सरकार की पहल को अभी एक लंबा सफ़र तय करना होगा ।
- यह जाति पंचायतों, 'गवकी (gavaki)' और समुदाय पंचायतों की; बुरी, पुरानी और असंवैधानिक प्रथाओं को जड़ से समाप्त करने में सहायक होगा।

VISION IAS

- एक ऐसी व्यवस्था जहां जाति/समुदाय से संबंधित बाधाएं मानव गरिमा को हानि न पंहुचाएं, की पुनर्प्राप्ति/पुनर्बहाली में यह कानून एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।

1.6. गर्व ऐप्प

(Garv App)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- विद्युत मंत्रालय ने देश में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के संबंध में प्रथम दृष्टया जानकारी प्रदान करने के लिए GARV (ग्रामीण विद्युतीकरण) एप्लिकेशन की शुरुआत की है।

मुख्य प्रावधान:

- ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित कार्यों में तीव्रता लाने के लिए ग्रामीण विद्युत अभियंताओं (GVAs या ग्रामीण विद्युतीकरण इंजीनियर्स) को नियुक्त किया गया है।
- GARV (ग्रामीण विद्युतीकरण) ऐप्प के माध्यम से इन GVAs द्वारा प्रदत रिपोर्ट को अधिकारियों के साथ-साथ जनता के साथ भी साझा किया जा रहा है।

महत्व:

- यह आम आदमी द्वारा विद्युत मंत्रालय और संबंधित राज्य के प्राधिकरणों के कार्यकलापों की निगरानी में मदद प्रदान करेगा।
- GARV ऐप्प समयबद्ध और गुणवत्तायुक्त वितरण के लिए राज्य सरकारों पर दबाव डालेगा।
- ग्रामीण विद्युतीकरण सुनिश्चित करने के संबंध में बेहतर उत्तरदायित्व और पारदर्शिता की दिशा में यह एक बहुत अच्छा कदम है।
- साथ हीं यह मीडिया को मंत्रालय/राज्य सरकारों की ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यकलापों के परीक्षण तथा जवाबदेही की मांग के लिए एक अवसर उपलब्ध कराता है।

1.7. ग्राम उदय से भारत उदय अभियान

(Gram Uday to Bharat Uday Abhiyan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- राज्यों और पंचायतों के सहयोग से केन्द्र सरकार ने 14 अप्रैल से 24 अप्रैल 2016 तक 'ग्राम उदय से भारत उदय अभियान' (गांव स्वशासन अभियान) आयोजित करने का फैसला किया है। "ग्राम उदय से भारत उदय अभियान" (अर्थात गांवों के उदय एवं विकास से भारत का उदय एवं विकास) डॉक्टर बी. आर. अम्बेडकर की जन्मतिथि 14 अप्रैल 2016 से प्रारंभ होकर "राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस" 24 अप्रैल 2016 तक देश भर में आयोजित किया जाएगा।

अभियान की मुख्य विशेषताएं:

- अभियान का उद्देश्य गांवों में सामाजिक सद्भाव बढ़ाने, पंचायती राज को मजबूत बनाने, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने, और किसानों की प्रगति के उन्नत प्रयास करने के लिए देशव्यापी प्रयास करना है।
- सभी ग्राम पंचायतों में एक 'सामाजिक सद्भाव कार्यक्रम' आयोजित किया जाएगा। यह पंचायती राज मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संयुक्त तत्त्वाधान में आयोजित होगा।
- इस कार्यक्रम में ग्रामीण डॉ. अम्बेडकर के प्रति सम्मान व्यक्त करेंगे और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करेंगे।
- सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाली विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी।
- 'ग्राम किसान सभाओं' का आयोजन किया जाएगा, जहां कृषि योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, जैसे फसल बीमा योजना, सामाजिक स्वास्थ्य कार्ड आदि।
- इसके अलावा पांचवीं अनुसूची वाले क्षेत्रों के 10 राज्यों के आदिवासी महिला अध्यक्षों की एक राष्ट्रीय बैठक विजयवाड़ा में आयोजित की जाएगी; जिसका केन्द्रीय विषयवस्तु पंचायत और आदिवासी विकास होगा।

1.8. मेडिकल शिक्षा शासन-प्रणाली पर रिपोर्ट

(Report on Medical Education Governance)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में संसद की एक स्थायी समिति (PSC) ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसमें भारतीय चिकित्सा परिषद् (MCI) की कार्य-प्रणाली में गंभीर अनियमितताओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया तथा "रूपांतरणीय प्रकृति" के परिवर्तनों की मांग की गयी।

रिपोर्ट में सम्मिलित कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

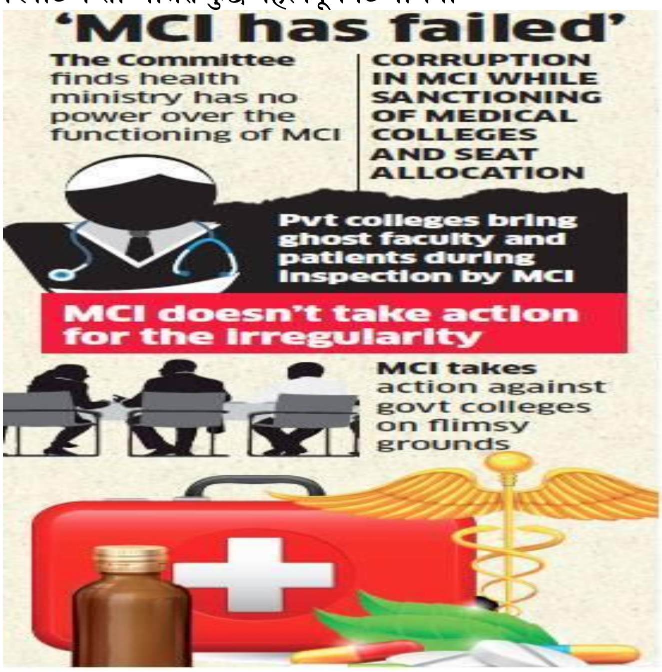

VISION IAS

- MCI की संरचना अपारदर्शी है, तथा इसमें विविध पृष्ठभूमि के हितधारक सम्मिलित नहीं है, तथा परिषद् में केवल चिकित्सक हैं
- MCI के द्वारा अधिदेशित न्यूनतम मानक आवश्यकताएं वस्तुतः "अव्यवहारिक तथा कृत्रिम रूप से कठोर मानक हैं।" यह मेडिकल कॉलेज की स्थापना और उनके विस्तार में अड़चन उत्पन्न करते हैं।
- मेडिकल सीट पाने के लिए 50 लाख रूपए तक कैपिटेशन फीस।
- निरीक्षण की वर्तमान प्रणाली में सकारात्मक फीडबैक का कोई प्रावधान नहीं है, तथा पूरी प्रक्रिया का दृष्टिकोण सुधारात्मक की बजाय दंडात्मक है।

सुधार हेतु सुझाव

- तीन क्षेत्रों में समिति ने MCI में आमूलचूल परिवर्तनों की अनुशंसा की है:
  - MCI की एक नियामक निकाय के रूप में स्थापना,
  - मेडिकल कॉलेज का प्रशासन, तथा
  - भ्रष्टाचार को समाप्त करना।
- विविध पृष्ठभूमियों, यथा सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों तथा समाज-विज्ञानियों, स्वास्थ्य संबंधी अर्थशास्त्रियों एवं स्वास्थ क्षेत्र के गैर-सरकारी संगठनों के हितधारकों को शासी निकाय में सम्मिलित करना।
- सत्यनिष्ठ गैर-चिकित्सीय पेशेवरों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को नियामक निकायों में सम्मिलित किया जाना सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाने में सहायता करेगा।
- **शक्ति का पृथक्करण:** पाठ्यक्रम विकास, शिक्षक प्रशिक्षण तथा स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए मानक तय करने के लिए वर्तमान MCI को चार स्वतंत्र परिषदों के द्वारा प्रतिस्थापित करना।

भारतीय चिकित्सा परिषद् (MCI):

- MCI भारत में मेडिकल शिक्षा के एक-समान तथा उच्च मानकों की स्थापना के उद्देश्य से निर्मित एक वैधानिक निकाय है।
- मेडिसिन पेशे में उपयुक्त मानदंडों को सुनिश्चित कर, जनता के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देने तथा उसकी निगरानी के लिए यह भारत में काम करने के लिए चिकित्सकों को पंजीकृत करती है।

1.9. शैक्षणिक संस्थानों का अल्पसंख्यक दर्जा

(Minority Status of Educational Institutes)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, केंद्र सरकार ने अपनी पूर्ववर्ती सरकार के निर्णय को बदलते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या जामिया मिलिया इस्लामिया के अल्पसंख्यक दर्जे को समर्थन नहीं देने का फैसला किया।

मुद्दे की पृष्ठभूमि

AMU

- 1967 (अज़ीज़ बाशा बनाम भारतीय संघ वाद) में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय प्रदान किया था कि AMU मुसलामानों के द्वारा नहीं बल्कि ब्रिटिश विधायिका के द्वारा स्थापित किए जाने के कारण अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है।
- 1981 में, संसद ने AMU संशोधन अधिनियम पारित किया था जिसमें यह स्वीकार कर लिया गया था कि AMU की स्थापना मुसलामानों के द्वारा की गयी थी।

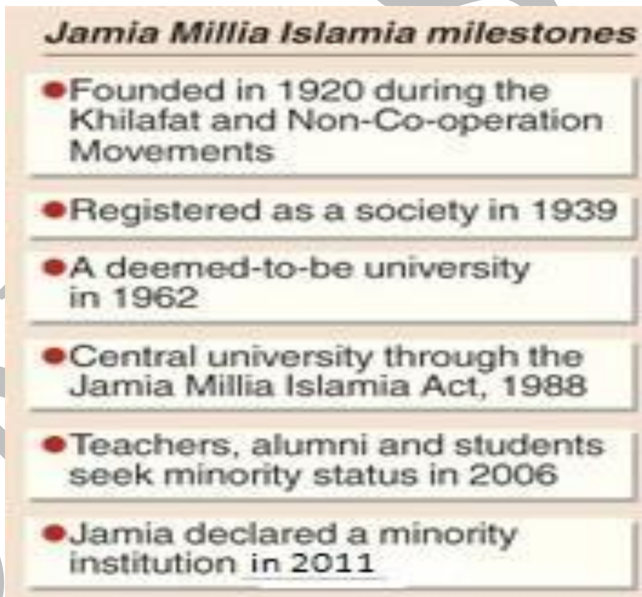
Jamia Millia Islamia milestones

- Founded in 1920 during the Khilafat and Non-Co-operation Movements
- Registered as a society in 1939
- A deemed-to-be university in 1962
- Central university through the Jamia Millia Islamia Act, 1988
- Teachers, alumni and students seek minority status in 2006
- Jamia declared a minority institution in 2011

- 2005 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि 1981 का अधिनियम संविधान के अधिकारातीत है, तथा AMU अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है।
- तथापि, सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय पर रोक लगा दी थी, इसलिए प्रभावी रूप में AMU एक अल्पसंख्यक संस्थान बना रहा।
- हाल ही में, केंद्र ने पूर्ववर्ती रुख को उलटते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक नवीन शपथ-पत्र दायर किया, जिसमें उसने कहा है की AMU को अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान नहीं किया जा सकता।

जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI)

- विधि मंत्रालय के द्वारा अल्पसंख्यक संस्थान के मुद्दे पर सरकार को परामर्श दिए जाने का समाचार है। उसके अनुसार, सरकार अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों हेतु राष्ट्रीय आयोग (NCMEI) द्वारा 2011 में दिये गए आदेश के प्रति अपने पूर्ववर्ती समर्थन को वापस ले सकती है। उक्त आदेश में JMI को धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थान घोषित किया गया था।

- यह परामर्श इस आधार पर प्रदान किया गया कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना एक केन्द्रीय क़ानून के माध्यम से की गयी थी, तथा न तो इसका आरम्भ मुस्लिम अल्पसंख्यकों के द्वारा किया गया था और न ही इसका संचालन उनके द्वारा किया जाता है।

अल्पसंख्यक संस्थान का मुद्दा

- बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक संस्थान अस्तित्व में हैं, पर फिर भी अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में कुछ मुद्दे बने हुए हैं।
- किसी विश्वविद्यालय को निगमित करने के लिए एक विधान की आवश्यकता होती है, इस प्रकार यह व्यवस्था राज्य द्वारा की जाती है।
- विश्वविद्यालयों को अल्पसंख्यक दर्जा दिए जाने का विरोध करने वालों का मानना है कि चूँकि, विश्वविद्यालयों की स्थापना विधि के द्वारा की जाती है, अल्पसंख्यकों के द्वारा नहीं, इसलिए यह अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हो सकते हैं।
- किन्तु इस मत के समर्थकों का तर्क है कि स्थापना (establishment) और निगमन (incorporation) दोनों पृथक बातें हैं तथा चाहे इसकी स्थापना अल्पसंख्यकों द्वारा की गयी हो या नहीं, किसी विश्वविद्यालय के निगमन के लिए विधि की आवश्यकता होती ही है।

सरकार का रुख

- सारी दलीलों को सुनने के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि यह अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है।
- केंद्र का कहना था कि किसी संसदीय अधिनियमन या राज्य अधिनियमन के द्वारा स्थापित AMU या किसी अन्य संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करना संविधान के अनुच्छेद-15 के विरुद्ध होगा क्योंकि अनुच्छेद-15 धर्म के आधार पर राज्य द्वारा किए जाने वाले भेद-भाव का निषेध करता है।
- केंद्र का यह भी कहना है किAMU तथा जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालयों को अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करना असंवैधानिक एवं गैर-कानूनी होगा क्योंकि सरकार द्वारा संचालित ये दोनों संस्थाएं अल्पसंख्यक टैग का प्रयोग कर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के साथ भेद-भाव कर रही थीं।

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों हेतु राष्ट्रीय आयोग (NCMEI)

- अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना 2005 में हुई थी।
- यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद में प्रतिभूत अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षिक संस्थानों की स्थापना तथा संचालन के उनके अधिकार को सुनिश्चित करता है।
- भाषाई अल्पसंख्यक NCMEI अधिनियम के दायरे के बाहर होते हैं।
- यह आयोग एक अर्द्धन्यायिक निकाय है तथा इसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदान की गयी हैं।
- इसकी अध्यक्षता ऐसे सभापति द्वारा की जाती है जो दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायधीश रहे हों तथा दो अन्य लोगों को केंद्र सरकार द्वारा सदस्य नामित किया जाता है।
- आयोग की तीन भूमिकाएं हैं–निर्णयकारी भूमिका, परामर्शक भूमिका तथा अनुशंसात्मक शक्तियां।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30

अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित करने तथा प्रबंधित करने का अधिकार।

1.10. उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन

(President's Rule in Uttarakhand)

मुद्दा क्या है?

- उत्तराखंड में राजनीतिक संकट का आरम्भ 18 मार्च को हुआ जब कांग्रेस के नौ विधायक पार्टी से अलग होकर विपक्ष से जा मिले और राज्यपाल से भेंट कर उत्तराखंड सरकार को बर्खास्त करने की मांग की।
- यद्यपि राज्यपाल ने विधान सभा में शक्ति परीक्षण के लिए 28 मार्च की समय सीमा तय की थी, किन्तु उसके एक दिन पूर्व ही राज्य में "संवैधानिक संकट" का हवाला देते हुए राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया।
- अनुच्छेद 356 के अनुसार, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तभी लागू किया जा सकता है जब ऐसी स्थिति उपस्थित हो गई हो जिसमें राज्य की सरकार को संविधान के प्रावधानों के अनुरूप चलाना संभव न हो।

संकट में विनियोग विधेयक का मुद्दा

- विनियोग विधेयक का उद्देश्य सरकार को भारतीय समेकित निधि से खर्च वहन करने का अधिकार प्रदान करना है।
- धन विधेयक होने के कारण, इसका पारित न हो पाना सरकार में विधायिका के विश्वास का अभाव प्रदर्शित करता है, तथा सरकार को त्याग-पत्र सौंपना पड़ता है।
- उत्तराखंड के मामले में, 18 मार्च को विनियोग विधेयक विधान सभा में प्रस्तुत किया गया। 71 सदस्यों की विधान सभा में 67 सदस्य उपस्थित थे। 35 ने विनियोग विधेयक के विरोध में मतदान किया तथा मत विभाजन की मांग की।
- यद्यपि मत विभाजन न किए जाने के बावजूद यह दावा किया गया कि विनियोग विधेयक ध्वनि मत से पारित कर दिया गया, तथा विधेयक को राज्यपाल की सहमति के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया।
- इसके निम्नलिखित निहितार्थ होते हैं:
  - 1 अप्रैल, 2016 से खर्च की अनुमति देने वाला विनियोग विधेयक स्वीकृत नहीं किया गया।

- द्वितीय, विनियोग विधेयक के पारित न होने की स्थिति में18 मार्च, 2016 से सरकार का सत्ता में बने रहना असंवैधानिक है।
- इस कारण बागी विधायक तथा विपक्ष के लोग राज्यपाल से मिलकर सरकार के बर्खास्तगी की मांग करने लगे, जिस कारण राज्यपाल ने सदन को निलंबित अवस्था में घोषित कर दिया तथा मुख्यमंत्री को सदन में बहुमत सिद्ध करने के लिए 28 मार्च की समय-सीमा प्रदान की।

अध्यक्ष की भूमिका

- सदस्यों की संख्या के बहुमत द्वारा मत विभाजन की मांग किए जाने के बावज़ूद अध्यक्ष का ध्वनि मत के पक्ष में निर्णय।
- इसके अतिरिक्त, बहुमत द्वारा विरोध में मतदान किये जाने के बावज़ूद अध्यक्ष का विनियोग विधेयक पारित होने की घोषणा करना।
- अध्यक्ष द्वारा सदस्यों को सदन के निलंबित रहने की स्थिति में दल-बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने का निर्णय, कथित तौर पर सरकार को अविश्वास प्रस्ताव से बचाने के लिए सदन की संरचना में बदलाव लाने जैसा कदम था।

राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय

- एस.आर. बोमई बनाम भारतीय संघ
- अनुच्छेद 356 का प्रयोग "कदाचित ही कभी" किया जाना चाहिए, राजनीतिक लाभ के लिए नहीं।
- सरकार की शक्ति का परीक्षण सदन के पटल पर किया जाना चाहिए, राज्यपाल की इच्छा के अनुसार नहीं।
- न्यायालय मंत्री परिषद् के द्वारा प्रदत्त परामर्श पर प्रश्न नहीं खड़े कर सकती, किन्तु वह राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए दी गयी उस परामर्श के आधार की जांच कर सकती है, तथा दूषित इरादे की स्थिति में सुधारात्मक कदम भी उठा सकती है।
- अनुच्छेद 356 का प्रयोग तभी उचित है जब प्रशासनिक तंत्र नहीं बल्कि संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाए।

बूटा सिंह वाद

- राज्यपाल की रिपोर्ट को उसी रूप में स्वीकार करने की बजाय राष्ट्रपति शासन लगाए जाने से पूर्व मंत्री-परिषद् द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए।

आगे की राह

- अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसी परिस्थितियाँ स्पीकर तथा राज्यपाल के संवैधानिक पदों की भूमिका में तटस्थता और निष्पक्षता जैसे मुद्दों पर मंथन करने का अवसर प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त, उपयुक्त यह होगा कि विभिन्न सर्वोच्च न्यायालय मुकदमों में प्रदत्त दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाए।

नोट: राष्ट्रपति शासन के सम्बन्ध में संवैधानिक तथा न्यायिक प्रावधानों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, कृपया, करेंट अफ़ेयर्स फरवरी, 2016 देखें।

1.11. न्यायधीशों की नियुक्ति

(Judges Appointment)

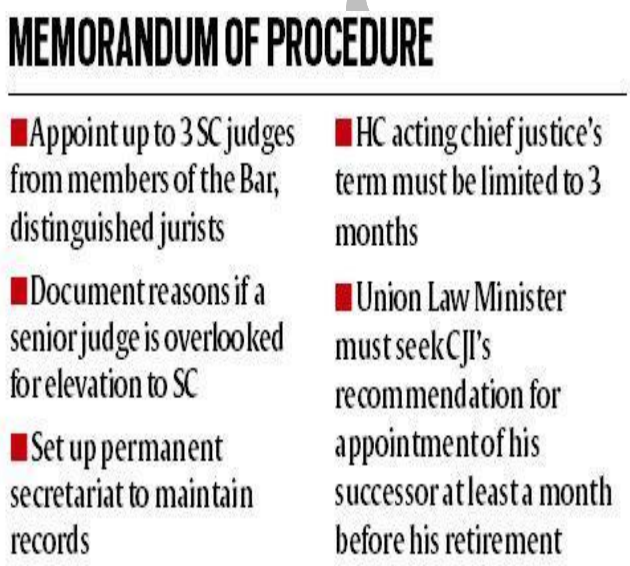
MEMORANDUM OF PROCEDURE

- Appoint up to 3 SC judges from members of the Bar, distinguished jurists
- Document reasons if a senior judge is overlooked for elevation to SC
- Set up permanent secretariat to maintain records
- HC acting chief justice's term must be limited to 3 months
- Union Law Minister must seek CJI's recommendation for appointment of his successor at least a month before his retirement

सुर्ख़ियों में क्यों?

- विदेश मंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री-समूह (जी.ओ.एम.) ने न्यायधीशों की नियुक्ति हेतु प्रक्रिया ज्ञापन-पत्र (Memorandum of Procedure-एम.ओ.पी.) तैयार किया है।

पृष्ठभूमि

- प्रस्तावित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एन.जे.ए.सी.) क अमान्य घोषित करने के पश्चात, सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने उच्चतर न्यायपालिका में न्यायधीशों की नियुक्ति हेतु नवीन ज्ञापन-पत्र तैयार करने के लिए केंद्र को भारत के मुख्य न्यायधीश से संपर्क करने को कहा था।

एम.ओ.पी. की मुख्य बातें

- पहली बार, इसमें कहा गया है कि उच्चतर न्यायपालिका में न्यायधीशों की नियुक्ति के लिए "मेधा (merit) तथा सत्यनिष्ठा (integrity)" को "मुख्य मानदंड" (प्राइम क्राईटेरिया) के रूप में सम्मिलित किया जाए।
- किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश के रूप में प्रोन्नत होने के लिए किसी उच्च न्यायालय के न्यायधीश के द्वारा पिछले पांच वर्ष में दिए गए निर्णयों तथा न्यायिक प्रशासन में सुधार लाने के

लिए की गयी पहल का मूल्यांकन, मेधा की कसौटी होनी चाहिए।

- इसमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीशों की नियुक्ति के लिए मानदंड के रूप में निष्पादनों की समीक्षा आरम्भ करने का लक्ष्य है।
- इसमें प्रस्ताव किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायधीशों की नियुक्ति के लिए "मुख्य मानदंड" उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश/ न्यायधीश के रूप में वरिष्ठता होनी चाहिए।
- एम.ओ.पी. में कहा गया है की सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम तीन (अपटू थ्री) न्यायधीशों की नियुक्ति बार के प्रमुख सदस्यों तथा प्रख्यात न्यायविदों के बीच से, उनके सम्बन्धित क्षेत्र में उनकी पिछली उपलब्धियों के आधार पर की जानी चाहिए।
- उच्च न्यायालयों के न्यायधीशों के रिकॉर्ड्स के रख-रखाव, सर्वोच्च न्यायालय के अधिशासी समिति की बैठक निश्चित करने तथा नियुक्तियों से सम्बन्धित मुद्दों की शिकायतों के साथ-साथ अनुशंसाओं को ग्रहण करने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय में एक स्थायी सचिवालय की स्थापना की जानी चाहिए।
- संघीय विधि मंत्री को भारत के पदधारी मुख्य न्यायाधीश से उनकी सेवा-निवृत्ति के कम से कम एक माह पूर्व उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति के सम्बन्ध में अनुशंसा मांगनी चाहिए।
- नियुक्तियों के उद्देश्य से उच्च न्यायालयों के वेबसाईट पर न्यायधीशों की रिक्तियों के सम्बन्ध में सूचना जारी की जानी चाहिए।

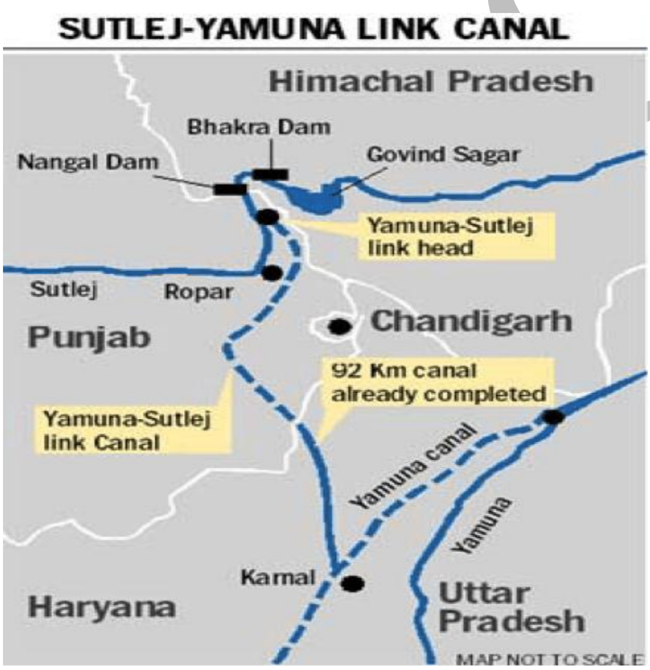

(नोट: राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया, विज़न समसामयिकी के अक्टूबर, 2015 तथा नवम्बर (16-30), 2015 अंक देखें।)

1.12. सतलुज-यमुना लिंक (एस.वाइ.एल.) नहर मामला

(Sutlej-Yamuna Link (SYL) Canal Issue)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को एस.वाइ.एल. नहर के निर्माण के लिए चिन्हित भूमि पर यथा-स्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है।
- यद्यपि, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के विरूद्ध जाते हुए, पंजाब विधान सभा ने पंजाब सतलुज-यमुना लिंक नहर (**पुनर्वास एवं स्वामित्व अधिकार** हस्तांतरण) **विधेयक**, 2016 पारित किया। इसका लक्ष्य नहर निर्माण हेतु अधिग्रहित भूमि को निःशुल्क उसके मूल मालिकों को लौटाना है।

पृष्ठभूमि:

- 1976 में केंद्र सरकार ने अविभाजित पंजाब के 7.2 मिलियन एकड़ फुट भूमि में से हरियाणा को 3.5 मिलियन एकड़ फुट (एम.ए.एफ.) भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की।
- राज्य के आर-पार सतलुज को यमुना से जोड़ने वाली एक नहर की योजना बनी, ताकि हरियाणा सतलुज तथा उसकी सहायक नदी व्यास के जल के अपने हिस्से का उपयोग कर सके।
- नहर की कुल लम्बाई के 214 किलोमीटर रहने का अनुमान है। इसमें से 122 किलोमीटर पंजाब में तथा 92 किलोमीटर हरियाणा में होगा।
- इस नहर पर कार्य 1982 में आरम्भ कर दिया गया।
- यद्यपि, पंजाब में होने वाले विरोध को देखते हुए, पंजाब विधानसभा ने पंजाब समझौता समापन अधिनियम, 2004 पारित कर अपने जल-साझा करने वाले समझौतों को समाप्त कर दिया।
- उपर्युक्त घटना से नहर का निर्माण कार्य भी प्रभावित हुआ।

विवाद या संघर्ष के कारण

- पंजाब सरकार का तर्क है कि हरियाणा को एस.वाइ.एल. के तहत जल साझा किये जाने संबंधी आकलन वस्तुतः 1920 के आंकड़ों पर आधारित हैं, किन्तु अब स्थिति में गंभीर बदलाव आ गए है, इसलिए इसका पुनः आकलन किए जाने की आवश्यकता है।
- जबकि हरियाणा सरकार का दावा है कि वह जल की कमी से जूझता हुआ राज्य है, तथा उसे जल में उसकी साझेदारी से वंचित रखा गया है जिससे उसके कृषि उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ा है।

समाधान

- इस मुद्दे का समाधान तभी हो सकता है जब सभी राजनीतिक दल निष्पक्ष ढंग से एक साथ कार्य करें तथा इसे राष्ट्रीय हित का मुद्दा समझें।
- वर्तमान में पंजाब कुल जल का 75% ट्यूबवेल से तथा केवल 25% नहरों से उपयोग में ला रहा है, वहीं हरियाणा नहरों से की जाने वाली सिंचाई पर निर्भर है। इसलिए, पंजाब के राजनीतिक नेतृत्व (सत्ताधारी तथा विपक्षी दल दोनों) को हरियाणा की आवश्यकता को समझना चाहिए, तथा नहर के निर्माण में सहायता करनी चाहिए।
- साथ-साथ, विस्थापित लोगों को उपयुक्त पुनर्वास (गृह-निर्माण भूमि तथा रोज़गार) उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

1.13. राज्य सभा द्वारा "धन्यवाद प्रस्ताव" में संशोधन

(Amendment in "Motion of Thanks" by Rajya Sabha)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- दो वर्षों में ऐसा दूसरी बार हुआ है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रति किए जाने वाले धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन किया गया है।
- यह संशोधन पंचायती चुनावों में भाग लेने की नागरिकों के अधिकार को सीमित करने संबंधी क़ानून को राजस्थान तथा हरियाणा सरकारों द्वारा पारित किए जाने पर केन्द्रित था।
- 2015 से पूर्व, केवल तीन ऐसे अवसर आए जब राज्य सभा में राष्ट्रपति के संबोधन में संशोधन किया गया। ये संशोधन इंदिरा गांधी, वी. पी. सिंह तथा अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में एक-एक बार हुए।

इन संशोधनों के महत्व

- राष्ट्रपति के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन अपनाए जाने का सरकार की विश्वसनीयता के लिए बहुत महत्व है।
- यह सत्ताधारी पक्ष पर उनकी निष्क्रियता, कु-शासन तथा अकुशलताओं के विरुद्ध नैतिक जवाबदेही का प्रवर्तन करता है।
- यह हमारे राष्ट्र की राजनीति में राज्यसभा के महत्व तथा प्रासंगिकता तथा सरकार को जवाबदेह बनाए रखने में उसकी सार्थक भूमिका को रेखांकित करता है।
- यह स्पष्ट रूप से हमारे संसदीय लोकतंत्र की गत्यात्मकता को उजागर करता है जो राजनीतिक दलों के शक्ति संतुलन तथा सदन की संरचना पर निर्भर करती है।
- सरकारी नीतियों, कानूनों तथा विनियमों के विरुद्ध असंतोष प्रकट करता है।
- यह सरकार के ध्यान-केंद्र से बाहर के सामाजिक महत्व के मुद्दों पर प्रकाश डालता है।

धन्यवाद प्रस्ताव

- प्रत्येक आम चुनाव के बाद के प्रथम सत्र के प्रारंभ पर तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम सत्र के दौरान राष्ट्रपति के द्वारा एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया जाता है।
- इस संबोधन में, राष्ट्रपति बीते तथा आने वाले वर्ष में सरकार की नीतियों तथा कार्क्रमों की संक्षिप्त रूप-रेखा प्रस्तुत करते हैं।
- राष्ट्रपति के जिस संबोधन पर संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव के अंतर्गत चर्चा की जाती है, 'धन्यवाद प्रस्ताव' कहलाता है।
- चर्चा या बहस के अंत में, इस प्रस्ताव पर मतदान कराया जाता है। निम्न सदन में इस प्रस्ताव का पारित होना अनिवार्य होता है। अन्यथा, यह सरकार की विफलता या पराजय मानी जाती है।

VISION IAS

2. अंतर्राष्ट्रीय : भारत और विश्व

2.1 भारत-पाकिस्तान : सर क्रीक विवाद

(India-Pakistan : Sir Creek Dispute)

सर क्रीकः सर क्रीक भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित 96 किमी लम्बा ज्वारनदमुख है। इसका मुहाना अरब-सागर में खुलता है और यह भारत के गुजरात राज्य को पाकिस्तान के सिंध प्रान्त से अलग करता है।

सर क्रीक विवाद कालानुक्रमः

भारत और पाकिस्तान के बीच सर क्रीक विवाद का नामकरण उस ब्रिटिश प्रतिनिधि के नाम पर हुआ जिसने स्थानीय राजाओं के बीच ईंधन की लकड़ी पर हुए विवाद में मध्यस्थता की थी।

- **1908**: कच्छ के राव (शासक) एवं सिन्ध राज्य के शासक के मध्य क्रीक क्षेत्र में लकड़ी संग्रहण को लेकर विवाद का प्रारंभ।
- **1914**: बंबई प्रांत की सरकार ने प्रस्ताव के माध्यम से मामले का निर्णय दिया।
- 1914 के प्रस्ताव के पैरा 9 के अनुसार सर क्रीक की सीमा, क्रीक के पूर्वी किनारे पर अवस्थित हरित पट्टी होगी।
- तथापि उसी प्रस्ताव के 10 वें पैरा के अनुसार सीमा, नौकागम्य चैनल का मध्य भाग होगी। (अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त 'थालवेग सिद्धांत' के अनुसार)
- **1925:** 67 खम्बों की स्थापना के माध्यम से 1924-25 में सिन्ध एवं कच्छ के द्वारा क्षैतिज क्षेत्र में भू-सीमा को निर्धारित किया गया।
- **1968:** भारत-पाकिस्तान न्यायाधिकरण (कच्छ सीमा विवाद पर गठित) ने अपने निर्णय में भारत के दावों का 90% समर्थन किया किन्तु इसमें सर क्रीक शामिल नहीं है बल्कि क्रीक के पूर्वी क्षेत्र से संबंधित निर्णय सम्मिलित है।

पाकिस्तान का दृष्टिकोण:

- 'पाकिस्तान 'हरित रेखा' द्वारा परिभाषित इसके पूर्वी किनारे सहित सम्पूर्ण सर क्रीक पर अपना दावा प्रस्तुत करता है और इसी प्रकरण से संबंधित 1914 के मानचित्र पर इसे प्रदर्शित भी करता है।
- 'हरित' पट्टी के आधार पर पाकिस्तान के दावों को स्वीकार करने से भारत को के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (**Exclusive Economic Zone**) के तकरीबन 250 वर्ग मील क्षेत्र कम हों जायेगा।

भारत का दृष्टिकोण:

- भारत के अनुसार 'हरित रेखा' सांकेतिक रेखा है, एवं सीमा निर्धारण 1925 के मानचित्र में प्रदर्शित क्रीक के "मध्य चैनल" द्वारा परिभाषित किया जाना चाहिए।
- अन्तर्राष्ट्रीय कानून के 'थालवेग सिद्धान्त' का हवाला देते हुए भारत इस संदर्भ में अपना पक्ष रखता है, जिसके अनुसार दो राज्यों के बीच 'यदि दोनों सहमत हों' तो सीमा को मध्य चैनल के आधार पर विभाजित किया जा सकता है।
- यद्यपि पाकिस्तान 1925 के मानचित्र के विरोध में तर्क नहीं देता तथापि पाकिस्तान के अनुसार 'थालवेग सिद्धान्त' इस संदर्भ में अनुपयोगी है क्योंकि यह सिद्धान्त साधारणतया गैर-ज्वारीय नदियों पर लागू होता है जबकि सरक्रीक एक ज्वार-नदमुख है।
- सर क्रीक का महत्व अत्यन्त कम है और यह दलदली और परित्यकत भूमि है। लेकिन इसमें सीमा का निर्धारण दोनों देशों के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में होने वाले सकारात्मक तथा नकारात्मक परिवर्तन का फैसला करेगा।
- इस क्षेत्र का अधिकांश भाग समुद्र की सतह के नीचे गैस एवं तेल में संपन्न है, अतः इस क्षेत्र पर नियंत्रण प्रत्येक देश की ऊर्जा क्षमता पर पर्याप्त प्रभाव डालने में सक्षम है।

सरक्रीक विवाद के कारण चुनौतियाँ

मछुआरों की समस्याः

- सरक्रीक क्षेत्र दोनों देशों के सैंकड़ों मछुआरों के लिए मछली पकड़ने का महत्वपूर्ण स्थान है।
- यथार्थ समुद्री सीमा के अभाव में नौकाएं अक्सर अपने देश की काल्पनिक सीमा पार कर जाती है और अन्ततः दूसरे देश द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है।
- सीमांकन द्वारा आए दिन मछुआरों द्वारा एक दूसरे के क्षेत्र में किए जाने वाले अवैध प्रवेश को आसानी से रोका जा सकता है।

नशीली दवाओं का व्यापारः

- विगत वर्षों में यह क्षेत्र नशीली दवाओं, हथियारों एवं पेट्रोलियम उत्पादों के अवैध व्यापार से ग्रस्त रहा है।
- इस अस्पष्ट समुद्री सीमा का दुरुपयोग नशीली दवाओं के व्यापारियों द्वारा किया जाता है।

आतंकवादी गतिविधियाँ

- आतंकवादियो द्वारा विवादित क्षेत्र का इस्तेमाल अवैध तरीके से भारत में घुसने के लिए किया रहा है।
- 26/11 के आतंकवादी हमले में आतंकवादियों ने (सर क्रीक में) मछली पकड़ने के उपयोग में लायी जाने वाली एक भारतीय नाव 'कुबेर' पर कब्जा कर इसको हमले के लिए उपयोग किया।

समुद्री सीमा

- सर क्रीक विवाद का समाधान उस समुद्री सीमा के निर्धारण में सहायक होगा, जिन्हें तटीय संदर्भ बिन्दुओं के विस्तार के रूप में अंकित किया जाता है।
- समुद्री सीमाएँ अन्यय आर्थिक क्षेत्रों एवं महाद्वीपीय जल सीमा के निर्धारण में भी सहायक होती है।

सम्भावित समाधान

- इसके समीपस्थ गैर अंकित क्षेत्रों को एक संयुक्त प्रशासित समुद्री पार्क के रूप में नामोदिष्ट करना।
- इस क्षेत्र की पारिस्थितिकीय संवेदनशीलता को देखते हुए दोनों क्षेत्रों द्वारा इसे एक समुद्री संवदेनशील क्षेत्र के रूप में नामोदिष्ट किया जा सकता है।

2.2 भारत और सॅशेल्स

(India and Seychelles)

(A) लामित्ये सैन्य अभ्यास. 2016

भारतीय सेना एवं सॅशेल्स पीपुल्स डिफेंस फ़ोर्सेस (**Seychelles People's Defence Forces,** SDPF) के बीच सातवां संयुक्त सैन्याभास लामित्ये-2016 का आयोजन सॅशेल्स डिफेन्स एकेडमी, विक्टोरिया में किया गया।

- 2001 से भारत और सॅशेल्स के बीच यह संयुक्त सैन्याभ्यास 'लामित्ये' आयोजित किया जाता रहा है।
- क्रियोल (स्थानीय भाषा) में लामित्ये का अर्थ मित्रता होता है।
- यह अभ्यास दोनों देशों के बीच यह द्विवार्षिक सैन्याभ्यास सैन्य सहयोग बढ़ाने औरअन्तरसंक्रियता बढाने के उद्देश्य से किया जाता है।

(B) सॅशेल्स में नौसैनिक वायुयान का अभियान

भारतीय नौसेना ने पहली बार नौसैनिक सर्वेक्षण वायुयान(**maritime reconnaissance** aircraft) को सशेल्स में तैनात किया है। इसका कार्य सॅशेल्स के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) की निगरानी करना है।

- विमान की इस तैनाती को क्षेत्र में भारत की बढ़ती समुद्री संलग्नता के रूप में देखा जा सकता है। इसके पूर्व भी भारतीय नौसैनिक जहाजों ने सॅशेल्स की EEZ की निगरानी की थी।
- भारत हिन्द महासागर के छोटे द्विपीय देशों तक अनेक समुद्री क्षेत्र जागरूकता (**Maritime Domain Awareness,** MDA) अभ्यासों के माध्यम से अपनी पहुंच बढ़ा रहा है।
- इन MDA अभ्यासों में शामिल होते हैं:
- खोजी एवं बचाव सहायता (**Search and Rescue (SAR) support**)
- तेल प्रदूषण एवं रिसाव की स्थिति में अनुक्रिया हेतु अभ्यास
- विधिक मामलों में सहायता ।
- भारतीय नौसेना ने हिन्द महासागर क्षेत्र में श्रीलंका, मालदीव, मारीशस एवं सॅशेल्स जैसे देशों को प्रशिक्षण, जलीय सर्वेक्षण, निगरानी अभियान एवं आतंकवाद रोधी गश्त के क्षेत्र में सहायता दी है।
- हिन्द महासागर जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में अपने-अपने प्रभाव में वृद्धि के लिए भारत और चीन में द्वन्द्व की स्थिति है।

2.3 भारत एवं जापान

(India and Japan)

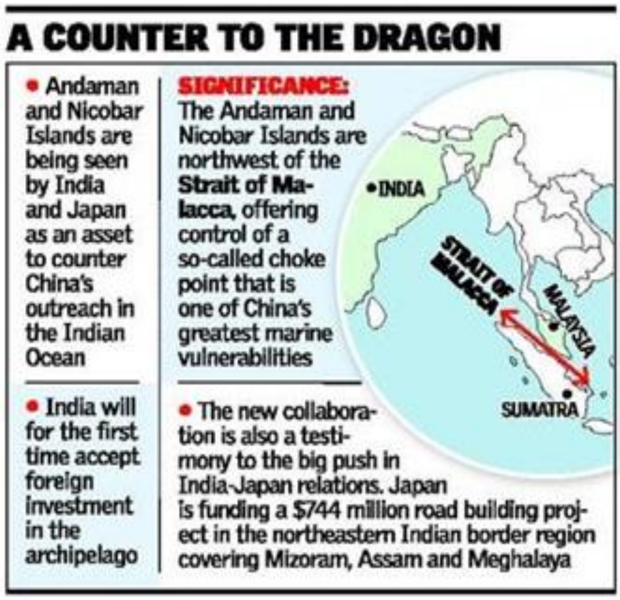

VISION IAS

भारत और जापान के बीच अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में नागरिक अवसंरचना बढ़ाने हेतु सहयोग के लिए वार्ता हो रही है।

- इसमें दक्षिणी अंडमान द्वीप में 15 मेगावाट की डीजल चलित विद्युतीय परियोजना भी शामिल है, जो इस संदर्भ में प्रथम परियोजना है।
- चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने हेतु भारत जापान, ऑस्ट्रेलिया और यू. एस. ए. जैसे बड़े देशों के साथ-साथ वियतनाम जैसे छोटे क्षेत्रीय शक्तियों के साथ भी रणनीतिक संबंध स्थापित कर रहा है।

2.4 भारत-बांग्लादेश

(India-Bangladesh)

तीस्ता नदी विवादः

सिक्किम में अपने उद्गम स्थल से निकल कर बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले तीस्ता पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। यह ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है जो बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है । यह नदी भारत और बांग्लादेश दोनों देशों में कृषि के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

तीस्ता नदी समझौते का कालानुक्रमः

- 1983 में भारत और बांग्लादेश के बीच इस नदी के जल के बंटवारे के लिए एक अस्थाई समझौता हुआ था जिसके तहत शुष्क मौसम में यानि अक्टूबर-अप्रैल तक 39% हिस्सा भारत को मिलेगा और 36% बांग्लादेश को, शेष 25% को बाद में निर्णय के लिए छोड़ दिया गया। किन्तु यह समझौता दो दशकों तक लम्बित रहा।
- 2011 के अनुबंध के अनुसार दोनों पक्षों में नदी के जल के बराबर बंटवारे का फैसला हुआ। यह भारत के पड़ोसियों के साथ 1996 में हुए गंगा नदी-जल साझेदारी समझौते के समान था। किन्तु पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के विरोध के कारण इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हो सके।
- हाल ही में बांग्लादेश ने तीस्ता समझौते को शीघ्रताशीघ्र अंतिम रूप देने के लिए भारत से अनुरोध किया है। दोनों देशों ने पिछले वर्ष विवादित भू सीमा समझौते (लैंड बोर्डर एग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर किए हैं, अतः निकट भविष्य में नदी जल समझौते के संपन्न होने की भी पर्याप्त संभावनाएं है।

विद्युत समझौता एवं इन्टरनेट सेवा

भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों ने अगरतला में इन्टरनेट सेवा अंतर्राष्ट्रीय गेटवे के शुभांरभ के साथ-साथ त्रिपुरा से बांग्लादेश को 100 मेगावाट विद्युत ऊर्जा आपूर्ति करने की शुरूआत की।

- 100 गीगाविट्स/सेकण्ड इंटरनेट बैडविथ के बदले भारत 100 मेगावाट विद्युत् ऊर्जा की आपूर्ति करेगा।
- 100 मेगावाट बिजली की आपूर्ति सूर्यमणि नगर ग्रिड से लेकर दक्षिण-पूर्व बांग्लादेश के कोमिल्ला ग्रिड तक की जाएगी।
- भारत पहले से ही बहरामपुर से भेरमारा इंण्टरकनेक्शन के ज़रिये 500 मेगावाट बिजली की आपूर्ति बांग्लादेश को कर रहा है।
- चेन्नई और मुम्बई के बाद इंटरनेट बैंडविथ के लिए सबमरीन केबल से जुड़ने वाला अगरतला तीसरा स्टेशन बन गया है।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों के विकास में इस इंटरनेट गेटवे से अत्याधिक मदद मिलेगी।
- कॉक्स बाजार में स्थित बांग्लादेश के सबमरीन केबल स्टेशन से पूर्वोत्तर क्षेत्र को 109 GBPS के इंटरनेट बैंडविथ की सुविधा प्राप्त होगी।

"सुन्दरवन मोइत्री" (सुन्दरवन-गठबंधन) :

सुन्दरवन मोइत्री BSF (सीमा सुरक्षा बल) एवं बार्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) के बीच होने वाला एक संयुक्त अभ्यास है।

- सुन्दरवन सीमा क्षेत्र में BSF और BGB के मध्य होने वाला यह प्रथम अभ्यास था।
- इसका उद्देश्य दोनों देशों के लिए बेहतर सीमा प्रबंधन तंत्र का विकास करना था।
- इस अभ्यास से दोनों सशस्त्र बलों को एक दूसरे को समझने के साथ-साथ एक स्वस्थ पारस्परिक संबंध के विकास में मदद मिलेगी।
- संयुक्त अभ्यास सीमा पर अपराधों की रोकथाम के साथ-साथ सीमा सुरक्षा गतिविधियों को अधिक प्रभावपूर्ण तरीके से विस्तृत करने में भी सहयोगी सिद्ध होगा।

2.5 भारत की सहायता कूटनीति

(India's Aid Diplomacy)

सभी सार्क देशों के लिए विकास सहायता को 2016-17 के बजट में पर्याप्त रूप से घटा दिया गया है। पाकिस्तान को छोड़ कर दक्षेस के अन्य छः सदस्य राष्ट्र एवं म्यांमार भारत से पर्याप्त सहायता प्राप्त करते हैं।

सहायता में कटौती के कारण:

अफगानिस्तान:

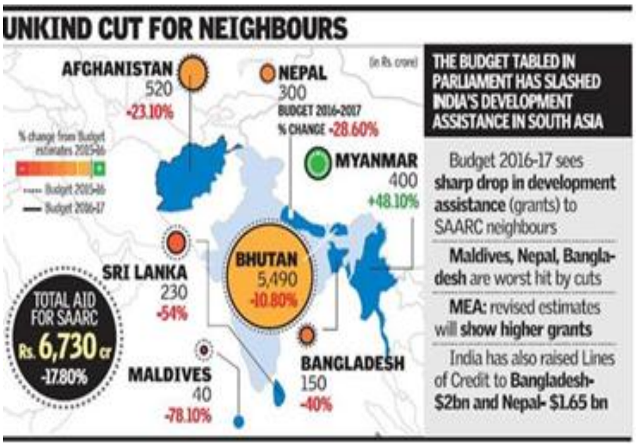

- 2005-2010 के बीच आरंभ में बहुत सी परियोजनाएं या तो पूर्ण हो चुकी है या होने के करीब है। अतः ऐसे में उनमें अधिक

VISION IAS

सहयोग की आवश्यकता नहीं है। उदाहरणार्थ अफगानिस्तान में संसद भवन, सलमा जलविद्युत परियोजना अंतिम चरण में हैं।

- किसी नई बड़ी परियोजना की घोषणा नहीं की गई है।

भूटानः

- भूटान में पुनासांगचु I और II तथा 720 मेगावाट की विशाल मंगदेचु परियोजनाएं अपने प्रथम चरण में थी।
- भूटान, भारत के कुल विदेशी सहायता की 70% से अधिक राशि प्राप्त करता है।

बांग्लादेशः

- बांग्लादेश के संदर्भ में प्रत्यक्ष विकास सहायता का स्थान रियायती दरों पर दिए गए लाइन आफ क्रेडिट ने ले लिया है। इस वर्ष भारत द्वारा 862 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ़ क्रेडिट प्रदान की गई है जबकि 2 बिलियन डॉलर की एक अन्य लाइन ऑफ़ क्रेडिट की पहले ही घोषणा की जा चुकी है।

मालदीव और श्रीलंकाः

- इस संदर्भ में बजटीय आंकडे अभी अंतिम रूप से तय नहीं हैं।
- भारत को अभी भी मालदीव एंव श्रीलंका को इस वर्ष देने के लिए सहायता की योजना बनानी बाकी है। अतः ऐसी दशा में संशोधित आंकलन अधिक सटीक होंगे।

नेपालः

- सरकार ने नेपाल को दी जाने वाली सहायता में कमी का उसके साथ बिगडते हुए संबंधों के कारण खंडन किया है।

म्यांमारः

- म्यांमार (दक्षेस का सदस्य नहीं है) विकास परक सहायता में 48% वृद्धि का साक्षी रहा है। इसका कारण कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एवं साथ ही त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना पर भारत सरकार द्वारा अधिक ध्यान दिया जाना है।

विश्लेषणः

- वर्तमान सरकार द्वारा सहायता के लिए एक भिन्न तरीका अपनाया गया है जो सभी आर्थिक सहायताओं को विकास के कारक के रुप में देखती है।
- विदेश मंत्रालय द्वारा स्थापित थिंक टैंक RIS (विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना तंत्र) के महानिदेशक का दावा है कि क्षमता निर्माण, लाइन ऑफ़ क्रेडिट, द्विपक्षीय व्यापार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, ऋण एवं प्रत्यक्ष अनुदान को सम्मिलित रुप से अपने पड़ोसी एवं दूसरे देशों के लिए भारत द्वारा दिए जाने वाले सहयोग को विकास परक सहायता के रुप में देखा जाएगा।
- इस सहायता में कमी NDA सरकार की 'पड़ोसी पहले' (**Neighbourhood First**) नीति के विरुद्ध है।
- इस समय जबकि चीन, दक्षिण एशिया में तेजी से अपनी पैठ बना रहा है, भारत द्वारा सहायता में की जाने वाली कमी के गम्भीर परिणाम हो सकते हैं क्योंकि इन देशों को प्रत्यक्ष सहायता देना हमारी विदेश नीति का महत्वपूर्ण उपकरण रहा है।
- दक्षेस देशों को 2015-16 एवं 2016-17 के बीच सहायता में 17.80% की कमी के कारण भारत सरकार को अपने पडोसी देशों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता है।

2.6 रायसीना संवाद

(Raisina Dialogue 2016)

यह क्या है?

- रायसीना संवाद की परिकल्पना भारत के राजनीति एवं भू-आर्थिकी हेतु एक फ्लैगशिप सम्मेलन के रुप में की गयी।
- इसे एशियाई देशों के एकीकरण एवं एशिया के शेष विश्व के साथ एकीकरण की संभावनाओं एवं अवसरों की खोज के लिए परिकल्पित किया गया हैं।
- 2016 के सम्मेलन का केन्द्र बिन्दु एशिया की भौतिक, आर्थिक एवं डिजिटल कनेक्टिविटी एवं एशिया पर विशेष बल देते हुए साझा वैशविक मुद्दों को प्रोत्साहन देना था।
- यह हिन्द महासागर क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका पर आधारित है। इसका उद्देश्य ऐसी संभावनाओं की तलाश करना है जिससे भारत अपने साझेदारों के साथ एक स्थाई क्षेत्रीय एवं वैश्विक व्यवस्था का निर्माण कर सकता है। इस सम्मेलन का आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय एवं आब्जर्वर रिसर्च फाउनडेशन (एक स्वतंत्र भारतीय थिंक टैंक) द्वारा संयुक्त रुप से किया गया।
- एशियाई कनेक्टिविटी इस सम्मेलन का मुख्य विषय था।

सम्मेलन का महत्वः

- इस सम्मेलन को सिंगापुर के शंगरी-ला संवाद एवं राष्ट्रीय सुरक्षा पर म्यूनिख सम्मेलनों जो बड़े वैश्विक साझेदारों को अपनी ओर आकर्षिक करने में सफल रहे हैं के प्रत्युतर में सरकार के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
- इस सम्मेलन में 40 देशों के वक्ताओं ने भाग लिया।
- इस सम्मेलन ने भारत को हिन्द महासागर क्षेत्र में आनी भूमिका को सुदृढ करने का अवसर प्रदान किया।
- भारत के विदेश मंत्री ने भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए कहा कि इस कनेक्टिविटी के लिए भारत की योजना एक पक्षीय भूमिका निभाने के बजाय सहयोगी की तरह योगदान देने की है।

2.7 बिमस्टेक

(BIMSTEC)

- केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने बिमस्टेक अर्थात **'बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन'**(Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) के आपराधिक मामलो में पारस्परिक विधिक सहयोग सम्मेलन (**Convention on Mutual Legal Assistance in**

VISION IAS

Criminal Matters) से संबंधित पहल पर हस्ताक्षर करने एवं उसकी पुष्टि के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है।

- गृह मंत्रालय को इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 15 के तहत केन्द्रीय अधिकरण का दर्जा प्रदान किया गया है।
- आपराधिक मामलों में पारस्परिक सहयोग के लिए क्षेत्रीय तंत्र की स्थापना अपराधों के नियंत्रण में प्रभावपूर्ण योगदान देगी।
- इस कन्वेंशन का उद्देश्य पारस्परिक सहयोग के जरिए एक दूसरे की सहायता का विस्तार करना है जिससे अपराधों की जांच पड़ताल एवं अभियोजन में सदस्य राष्ट्रों की क्षमता एवं प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सके। इसमें सम्मिलित है: आतंकवाद से जुडे अपराध, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, नशीले पदार्थों की तस्करी, मनी लॉनड्रिंग एवं साइबर अपराध।
- बिमस्टेक में सात देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यामार, नेपाल, श्रीलंका एवं थाइलैण्ड शामिल हैं।

2.8 अश्गाबात समझौता

(Ashgabat Agreement)

- केन्द्रीय मंत्रिपरिषद ने भारत के अश्गाबात समझौते में शामिल होने को स्वीकृति दे दी है। यह समझौता मध्य एशिया एवं फारस की खाड़ी (देशों) के बीच वस्तुओं के परिवहन को सुगम बनाने हेतु एक अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन एवं पारगमन गलियारे से संबंधित है।
- इस समझौते से भारत को यूरेशियाई क्षेत्र के साथ व्यापार एवं वाणिज्यिक अंतः क्रिया इस मौजूदा परिवहन एवं पारगमन गलियारे के उपयोग द्वारा सरल हो जाएगी।
- इसके अतिरिक्त यह अन्तर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) के क्रियान्वयन के लिए किए जाने वाले हमारे प्रयासों से सामजस्य स्थापित करेगा, जिससे संयोजकता(कनेक्टिविटी) में वृद्धि होगी।
- इस कदम से भारत और यूरेशियाई क्षेत्र के बीच व्यापारिक संबंध और मजबूत होंगे।
- 25 अप्रैल 2011 को अश्गाबात में एक नए अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन एवं पारगमन गलियारे के विकास हेतु 5 देशों (उजबेकिस्तान-तुर्कमेनिस्तान-ईरान-ओमान-कतर) के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए।
- कतर ने इस समझौते से 2013 में अपना नाम वापस ले लिया था।
- यह समझौता मध्य एशियाई देशों तथा ईरानी और ओमानी बन्दरगाहों के बीच सबसे छोटे व्यापार मार्ग/गलियारा के विकास हेतु आधार का निर्माण करता है।
- ओमान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान एवं उजबेकिस्तान इस समझौते के संस्थापक सदस्य हैं जबकि कज़ाख़स्तान हाल ही में इसमें शामिल हुआ है।

2.9. 8 वां ब्रिक्स सम्मेलन

(8th BRICS Summit)

- भारत 15-16 अक्टूबर 2016 को गोवा में ब्रिक्स के आँठवे वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
- भारत 15 फरवरी 2016 को रूस के बाद ब्रिक्स (ब्राज़ील-एशिया-इण्डिया-चीन-दक्षिण अफ्रीका) का अध्यक्ष बना। भारत इसकी अध्यक्षता 31 दिसम्बर 2016 तक करेगा। इस कार्यकाल के दौरान भारत के लिए ध्यानाकर्षण विषय समूह के लिए उत्तरदायी, समावेशी, एवं सम्मिलित समाधान का निर्माण होगा।
- इस सम्मेलन का प्रतीक चिन्ह (logo) एक कमल है जिसमें सभी सदस्य देशों के रंग एवं मध्य में पारंपरिक 'नमस्ते' शामिल होगा।
- अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत एक पांच सूत्रीय उपागम अपनाएगा जिसमें संस्था निर्माण, क्रियान्वयन, एकीकरण, नवाचार एवं समेकन के साथ निरंतरता (**Institution Building, Implementation, Integration, Innovation, and Continuity with Consolidation,** IIIIC या I4C) सम्मिलित है।
- ब्रिक्स के पाँच सदस्य देशों में विश्व की 42% जनसंख्या निवास करती है एवं इनका सम्मिलित सकल घरेलू उत्पाद 16 ट्रिलियन डॉलर का है।

2.10 दक्षेस (SAARC) का 37वाँ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन

(37th Session of The SAARC Council of Ministers)

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) के मंत्रियों का 37वाँ सत्र नेपाल के पोखरा में आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य 2014 के दक्षेस सम्मेलन के 36 सूत्रीय काठमांडू उद्घोषणा पर की गई कार्यवाईयों की समीक्षा के साथ-साथ इस्लामाबाद में होने वाले अगले सम्मेलन का घोषणा पत्र जारी करना था।

सत्र के मुख्य बिन्दु:

- बैठक में इस संगठन के 19वें सम्मेलन का आयोजन 9-10 नवम्बर 2016 को पाकिस्तान में आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
- मंत्रिपरिषद ने दक्षेस की स्थाई समिति के इस सुझाव का समर्थन किया कि दक्षेस सम्मेलन प्रत्येक एकान्तर वर्ष के नवम्बर माह में आयोजित होना चाहिए।
- बैठक में संगठन के अगले महासचिव के रुप में अमज़द हुसैन बी. सियाल (पाकिस्तान द्वारा नामित) के नाम का अनुसमर्थन किया गया। सियाल अगले वर्ष फरवरी में नेपाल के अर्जुन बहादुर थापा का स्थान लेंगे।

VISION IAS

- दक्षेस के मंत्रियों ने नई दिल्ली में दक्षेस आपदा प्रबंधन केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है।
- इस बैठक ने भारत-पाकिस्तान और नेपाल के अधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुद्दों पर उच्चस्तरीय बातचीत के लिए एक अवसर प्रदान किया।

2.11 ईरान में संसदीय चुनाव

(Parliamentary Election in Iran)

- ईरान में 'इस्लामिक कंसल्टेटिव असेम्बली' के सदस्यों के निर्वाचन हेतु 26 फरवरी 2016 को चुनाव संपन्न हुए। यह चुनाव आम चुनाव के एक भाग के रूप में संपन्न हुए जिसमें विशेषज्ञों की सभा (Assembly of Experts) के सदस्यों का भी चुनाव किया गया।
- **इस्लामिक कसल्टेटिव असेम्बली,** (ईरानी संसद) जिसे ईरानी मजलिस भी कहा जाता है, ईरान की राष्ट्रीय विधायिका है। ईरानी संसद में वर्तमान में 290 प्रतिनिधि हैं।
- **द असेम्बली ऑफ एक्सपर्ट्स** ('विशेषज्ञों की सभा' नाम से भी जानी जाती है) 88 सदस्यों जिन्हें मुज्ताहिद (इस्लामिक धर्मशास्त्री) कहा जाता है कि एक मंथन करने वाली संस्था है। जिसका कार्य ईरान के सर्वोच्च नेता को चुनना एवं हटाना है साथ ही संस्था उसकी गतिविधियों का भी निरीक्षण करती है।

चुनावों के परिणाम

- 290 सदस्यीय संसद में, राट्रपति हसन रुहानी के सुधारवादी गठबंधन ने कम से कम 85 सीटें जीती। जबकि उदारवादी रुढ़िवादियों (Moderate Conservatives) ने 73 सीटें जीती। अब यह दोनों मिलकर सदन पर नियंत्रण रखेंगे।
- राष्ट्रपति रुहानी के सुधार एजेंडे का विराध करने वाले कट्टरपंथियों की केवल 68 सीटों पर विजय हुई।
- 88 सदस्यीय विशेषज्ञों की सभा (Assembly of Experts) में सुधारवादियों एवं मध्यवादियों द्वारा समर्थित धर्मगुरुओं ने 52 सीटों पर विजय प्राप्त की।

परिणामों का महत्वः

- वैश्विक शक्तियों के साथ ईरान के राष्ट्रपति द्वारा पिछले वर्ष किए गए ऐतिहासिक नाभिकीय समझौते के बाद यह प्रथम चुनाव था। इस समझौते के बाद नाभिक्रीय कार्यक्रम की कीमत पर ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने अलगाव को समाप्त करने में सफलता प्राप्त की।
- पर्यवेक्षक इस बात को स्वीकार करते हैं कि ईरान के संसदीय (मजलिस) चुनावों में उदारवादियों ने भारी जीत दर्ज की है और कट्टरपंथियों की हार हुई है।
- चुनाव परिणाम एक कठोर इस्लामी धर्मतंत्र से एक व्यापक धार्मिक लोकतंत्र के रुप में ईरान के क्रमशः रुपांतरण की दिशा में एक कदम आगे बढ़ने को दर्शाता है।
- चुनाव परिणाम पश्चिम के साथ ईरान के नाभिकीय समझौते के प्रति जनता के समर्थन को पुष्ट करते हैं यह परिणाम यह भी दर्शाते हैं कि वहाँ की जनता ने ईरानी अर्थव्यवस्था को खोलने एवं विदेशी कंपनियों के साथ व्यावसायिक समझौते की दिशा में आगे बढ़ने की राष्ट्रपति रुहानी की योजनाओं का स्वागत किया है।
- कट्टरपंथियों की हार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने ईरान के नाभिकीय समझौते एवं देश की अर्थव्यवस्था को खोलने के राष्ट्रपति रुहानी के प्रयासों का विरोध किया था।

2.12. नेपाल और चीन

(Nepal and China)

हाल ही में नेपाली प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली की चीन की प्रथम आधिकारिक यात्रा सम्पन्न हुई। इस यात्रा के दौरान पारगमन व्यापार के साथ कनेक्टिविटी एवं अवसंरचना, ऊर्जा अन्वेषण एवं भण्डारण, बैंकिंग, छात्रवृत्ति एवं प्रशिक्षण आदि पर 10 महत्वपूर्ण समझौते हुए।

महत्वपूर्ण समझौतों की सूची/ MOUs:

- चीन से पारगमन (ट्रांजिट) पर समझौता जहाँ चीन ने नेपाल को तीसरे देशों से आयातित वस्तुओं के पारगमन के लिए तियानजिन बन्दरगाह प्रदान करने पर सहमति जताई है।
- तिब्बत रेल नेटवर्क के साथ नेपाल को जोड़ने का प्रस्ताव।
- हुमला जिले के हिलसा में जियार्वा सीमा नदी सेतु (Xiarwa Boundary River Bridge) के निर्माण प्रबंधन एवं रख-रखाव पर समझौता।
- पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान-पत्तन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग पर समझौता।
- चीन, नेपाल एवं तिब्बत के मध्य 2 सड़क संपर्कों को प्रोन्नत करने के साथ चीनी रेलवे को काठमांडू के बाद लुम्बिनी तक ले जाने पर सहमत हुआ है।
- चीन ने नेपाल के साथ एक दीर्घकालीन व्यावसायिक तेल समझौते एवं तेल भण्डारण सुविधाओं के निर्माण के लिए सहमति व्यक्त की है।

विश्लेषणः

इनमें से कुछ समझौतों को ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व बताया जा रहा है, विशेषकर पारगमन से संबंधित तथा उन समझौतों को जो नेपाल एवं चीन के बीच सड़क एवं रेल संपर्क से संबंधित हैं।

पारगमन समझौताः

- पारगमन समझौते का लक्ष्य नेपाल की भारत पर अत्यधिक आर्थिक निर्भरता को घटाना है।
- वर्तमान में किसी तीसरे देश को नेपाल द्वारा किए जाने वाले व्यापार का 98% भाग कलकत्ता बंदरगाह से जाता है।

- हालांकि इस समझौते की संभाव्यता संदेहास्पद है क्योंकि तियानजिन नेपाल से 3000 किमी दूरी पर स्थित है जबकि वर्तमान में नेपाल द्वारा प्रयुक्त भारत का हल्दिया बंदरगाह केवल 1000 किमी की दूरी पर है।
- नेपाल के उत्तरी भाग में प्रस्तावित तियानजिन पारगमन गलियारे के लिए पर्याप्त अवसंरचना भी मौजूद नहीं है अतः इसे साकार करने के लिए काफी प्रयास और निवेश करना पड़ेगा।

रेल संपर्क:

- तिब्बत रेल नेटवर्क के साथ नेपाल को जोड़ने के प्रस्ताव में भी समय लगेगा।
- ल्हासा रेल लाइन को ज़िगात्से तक लाया गया है। इसे तिब्बत के अन्दर नेपाल सीमा तक 2020 (चीन की वर्तमान योजना के अनुसार) तक ही लाया जा सकेगा।
- नेपाल-तिब्बत रेल लिंक को बनाने में पटरियों को 6000 मीटर की ऊँचाई पर बिछाना होगा (या तो सुरंगों से या घुमावदार चैनलों के द्वारा), जिसमें अत्यधिक लागत, समय और श्रम लगेगा।
- लागत और भौगोलिक विषमता के अवरोध के अतिरिक्त तिब्बत और नेपाल के बीच रेल संपर्क चीनी सत्ता के लिए एक राजनीतिक मुद्दा भी है। उन्हें इस बात पर निर्णय करना है कि भूमि संपर्क द्वारा तिब्बत को बाहरी दुनिया के लिए किस सीमा तक खोला जा सकता है।

भारत-नेपाल संबंधों पर प्रभावः

- नेपाल में संविधान लागू होने के बाद से भारत-नेपाल संबंध बिगड़े हैं। लगभग छः महीनों तक भारत-नेपाल सीमा पर गतिरोध बना रहा। इससे नेपाल में भारत-विरोधी प्रवृत्ति जन्मी है जिसका वर्तमान नेपाली सरकार द्वारा लाभ उठाया जा रहा है।
- इन समझौतों के माध्यम से नेपाल भारत को एक कड़ा सन्देश देने का प्रयास कर रहा है कि भारत द्वारा बनाए जा रहे किसी भी दबाव को संतुलित करने के लिए नेपाल चीन का समर्थन ले सकता है।
- चीन के साथ समझौतों का नेपाल-भारत संबंधों पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ सकता है। नेपाल भारत और चीन के बीच बफर देश के रुप में देखा जाता है।
- नेपाल के चीन की तरफ इस झुकाव के भारत के लिए गंभीर रणनीतिक निहितार्थ हो सकते हैं।
- जब भी नेपाल सरकार अपनी जनता के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाती तब वह भारत को चीन का भय (चाइना कार्ड) दिखाती है और भारत नेपाली जनता को अपना समर्थन देता है।
- भारत को अभी भी दक्षिण एशिया में चीन द्वारा बढ़ाए जा रहे प्रभाव क्षेत्र को रोकने का तरीका ढूंढना है। चीन भारत के पड़ोसियों के साथ भारत के संबंधों में उतार-चढ़ाव का अनुचित लाभ उठा सकता है। ऐसे में भारत को अपने निकटस्थ पड़ोसियों के साथ अत्यन्त बुद्धिमतापूर्ण एवं संवेदनशील व्यवहार करते हुए यह सुनिश्चित करना होगा कि वे विमुख न हों।

2.13. म्यांमार में लोकतांत्रिक परिवर्तन

(Democratic Transition In Myanmar)

- 50 वर्षों बाद पहली बार एक असैनिक राष्ट्रपति के रूप में ह्तिन क्यॉ (Htin Kyaw) ने म्यांमार के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है।
- ह्तिन क्यॉ की सरकार, 1962 में सेना द्वारा सत्ता अधिग्रहण के पश्चात् सर्वाधिक लोकतांत्रिक प्रशासन होगी।
- सुश्री सू की की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने संसद की 77% निर्वाचित सीटें जीती। किन्तु एक संवैधानिक प्रावधान के अनुसार उन्हें सरकार का नेतृत्व नहीं प्रदान किया जा सकता, क्योंकि उनके बेटे ब्रिटिश नागरिक हैं न कि म्यांमार नागरिक।

नई सरकार के लिए चुनौतियाँ :

आर्थिक विकासः

- म्यांमार एशिया के सर्वाधिक गरीब देशों में एक है। सैन्य सरकार के शासन काल में यह शेष विश्व से अलग था, जिससे इसकी आर्थिक संवृद्धि स्थिर हो चुकी थी एवं लाखों लोग निर्धनता के दुश्चक्र में फँसे हुए थे।

सेना की भूमिकाः

- संसद के दोनों सदनों की एक चौथाई सीटें सेना के लिए आरक्षित हैं। यह बिना सेना की अनुमति के कोई भी संवैधानिक संशोधन होने से रोकता है।
- तीन मुख्य मंत्रालयों यथा: रक्षा, ग्रह एवं सीमा संबंधी मामलों के मंत्रालयों पर सेना का प्रत्यक्ष नियंत्रण है।

नृजातीय संघर्षः

- म्यांमार बौद्धों एवं मुस्लिमों के मध्य गंभीर संघर्ष का साक्षी रहा है (विशेषकर रखाइन राज्य में)।

2.14. अमरीकी राष्ट्रपति की क्यूबा यात्रा

(USA President Visit to Cuba)

राष्ट्रपति बराक ओबामा क्यूबा की ऐतिहासिक यात्रा पर गए। राष्ट्रपति की इस यात्रा ने शीत युद्ध के समय से ही कटु शत्रु रहे इन दोनों देशों के मध्य संबंधो के एक नए अध्याय का आरंभ किया।

VISION IAS

- 1928 में केल्विन कूलिज के बाद बराक ओबामा अपने कार्यकाल में क्यूबा जाने वाले पहले राष्ट्रपति हैं।
- यात्रा यह दर्शाती है कि ऐतिहासिक एवं विचारधारात्मक शत्रुता में गहराई तक धंसी जटिल परिस्थितियों का समाधान करने में धैर्य एवं सृजनात्मक कूटनीति कार्य कर सकती है।

1959 की क्रांति में फिडेल कास्त्रो द्वारा सत्ता अधिग्रहण के बाद से यू. एस.- क्यूबा संबंधः

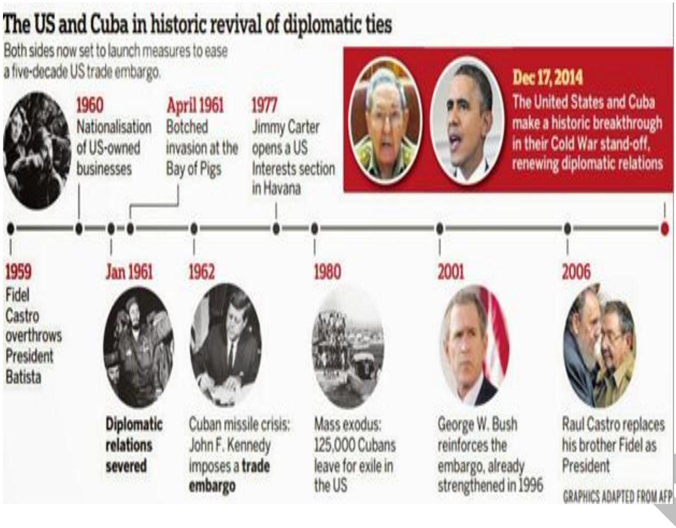

दिसंबर 2014 से संबंध सुधार की प्रक्रियाः

- राष्ट्रपति ओबामा और उनके क्यूबाई समकक्ष राउल कास्त्रों ने दिसंबर 2014 में संबंध सुधार की प्रक्रिया आरंभ की।
- वाशिंगटन ने इस दिशा में कुछ कदम उठाए। अमरीका द्वारा क्यूबा को आतंकवाद के प्रायोजक देशों की अपनी सूची में से हटाया गया ताकि द्विपक्षीय संबंधों में कुछ विश्वास का संचार किया जा सके।
- पिछले 50 वर्षों में पहली बार जुलाई 2015 में अमरीका और क्यूबा ने हवाना और वाशिंगटन में अपने दूतावासों को पुनः खोलने की घोषणा की।

संबंधों के पूर्णतः सामान्य होने की संभावनाएँ :

- राष्ट्रपति कास्त्रों ने मांग की कि प्रतिबंध (embargo) को समाप्त किया जाए एवं संबंधों को सामान्य करने के लिए गुआंतानामो क्यूबा को वापस लौटाया जाए।
- किन्तु निम्नलिखित विषयों में अमरीका अभी भी क्यूबा के प्रति संदेहग्रस्त है-
- मतभेदों का समाधान।
- मानवाधिकारों का उल्लंघन।
- अर्थव्यवस्था पर राज्य नियंत्रण।

2.15 ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफार्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट

(Global Energy Architecture Performance Report)

यह सूचकांक 126 देशों के ऊर्जा आर्किटेक्चर को "ऊर्जा त्रिभुज" के तीन आयामों- वहनीयता, पर्यावरणीय धारणीयता, सुरक्षा एवं पहुँच के जरिए ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता के आधार पर आँकता है।

- **एनर्जी आर्किटेक्चर परफार्मेंस इंडेक्स** (EAPI) का विकास विश्व आर्थिक मंच द्वारा एक्सेंचर (Accenture) के सहयोग से किया गया है।
- इस सूची में प्रथम, द्वितीय एवं स्थान पर क्रमशः स्विट्ज़रलैण्ड, नार्वे, स्वीडन रहे।
- ब्रिक (BRIC) देशों में ब्राजील का प्रदर्शन सबसे उत्कृष्ट (25वाँ स्थान) रहा तत्पश्चात् रुस (52वाँ) भारत (90वाँ) तथा चीन (94वाँ) का स्थान आता है।

भारत के विषय में:

- भारत को 126 देशों की सूची में 90वाँ स्थान मिला है।
- इससे आवृत्त जनसंख्या में पिछले छः वर्षों में 4% की वृद्धि हुई और अब यह 79% हो चुकी है।
- रिपोर्ट के अनुसार भारत अपनी संवृद्धि के लक्ष्यों को प्राप्त करने के सन्दर्भ में ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है।

2.16 ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट, 2016

(The World Happiness Report, 2016)

ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट 2016 सस्टेनेबल डेवलपमेंट साल्यूशंस नेटवर्क (SDSN), जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक वैश्विक पहल है, द्वारा प्रकाशित की गई है।

- यह रिपोर्ट प्रसन्नता के सूचकों के रुप में निम्नलिखित मापदंडों पर विचार करती है-
- प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद
- जीवन प्रत्याशा
- सामाजिक सहायता
- जीवन में अपने विकल्प चयन करने की स्वतंत्रता
- 156 देशों की सूची में भारत को 118वाँ स्थान प्राप्त हुआ है।
- डेनमार्क ने विश्व के सर्वाधिक प्रसन्न राष्ट्र के रुप में इस सूची में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है।

VISION IAS

2.17. शंघाई सहयोग संगठन

[Shanghai Cooperation Organization (SCO)]

- नेपाल को शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के 'संवाद साझेदार (डायलॉग पार्टनर)' का दर्जा प्रदान किया गया है।

SCO के विषय में:

- शंघाई सहयोग संगठन एक स्थायी अन्तरसरकारी संगठन है, इसकी स्थापना 15 जून, 2001 को हुई थी।

सदस्य राष्ट्र	सम्मिलित होने वाले राष्ट	पर्यवेक्षक राष्ट्र	संवाद साझेदार
कजाखस्तान	भारत	अफगानिस्तान	आर्मेनिया
चीन	पाकिस्तान	बेलारुस	अजरबेजान
किर्गिस्तान		ईरान	कम्बोडिया
रुस		मंगोलिया	श्रीलंका
ताजिकिस्तान			टर्की
उज्बेकिस्तान			नेपाल

2.18. चार देशों का आतंकवादरोधी तंत्र

(Four-nation Counter-Terror Mechanism)

चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के शीर्ष अधिकारी ने यूरेशिया में चीन की वन बेल्ट वन रोड (OBOR) परियोजना की सुरक्षा हेतु एक क्षेत्रीय आतंवाद रोधी तंत्र के निर्माण का प्रस्ताव पेश किया है।

इस तंत्र में चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं ताजिकिस्तान सदस्य देशों के रुप में शामिल होंगे।

आंतकवाद रोधी तंत्र क्यों?

- खुरासान प्रांत (ISIL-K) का उदय- ISIL-K अफगानिस्तान में ISIS की एक शाखा है जो अफगानिस्तान में चीन की OBOR परियोजना के लिए एक गंभीर खतरा हो सकता है।
- चीन विशेषकर ज़िनजियांग प्रांत में ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेण्ट (ETIM) के आंतकी हमलों के प्रति आशंकित है। ETIM पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में कार्य कर रहे आतंकी समूहों से भी जुड़ा हुआ है।

VISION IAS

3. अर्थव्यवस्था

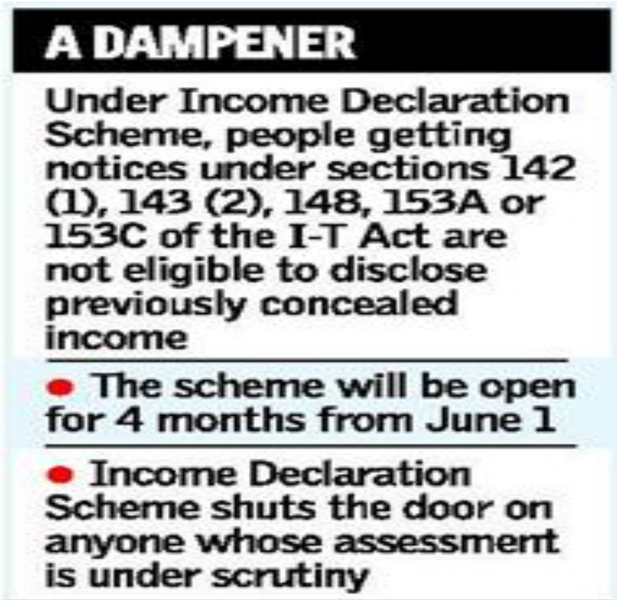

3.1. आय घोषणा योजना

(Income Declaration Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- काले धन को वापस लाने के लिए, केंद्रीय बजट में आय घोषणा योजना की घोषणा की गई थी। यह अप्रकट आय को वैध आय में बदलने का एक अवसर प्रदान करती है।
- जिनकी आय पहले से ही आकलन, पुनर्मूल्यांकन या सर्वेक्षण का हिस्सा है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं है।
- यह योजना अपराधियों को राहत प्रदान नहीं करती है।

आय घोषणा योजना क्या है?

- व्यक्तिगत करदाता जिन्होंने अतीत में आय का खुलासा नहीं किया है, वे इस योजना के तहत आय का खुलासा कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें घोषित आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर, 7.5 प्रतिशत की दर से अधिभार और 7.5 फीसदी की दर से जुर्माने/दंड का भुगतान करना होगा।
- 7.5 प्रतिशत की दर से लगने वाले अधिभार को 'कृषि कल्याण अधिभार' कहा गया है और इसका उपयोग कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए किया जाएगा।
- इस योजना के तहत घोषित आय के संबंध में संपत्ति कर अधिनियम और आयकर अधिनियम के तहत कोई जाँच तथा छानबीन नहीं की जाएगी।
- इस तरह के अधिनियमों के तहत अभियोजन से भी उन्मुक्ति मुहैया कराई जाएगी।
- कुछ शर्तों के अंतर्गत बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988 से भी उन्मुक्ति का प्रस्ताव रखा गया है।
- यह वर्ष 1997 की योजना की तरह कोई आम माफी योजना (एमनेस्टी स्कीम) नहीं है, क्योंकि नये प्रावधानों के अंतर्गत घोषणाकर्ता को करों के साथ दंड का भी भुगतान करना होगा।

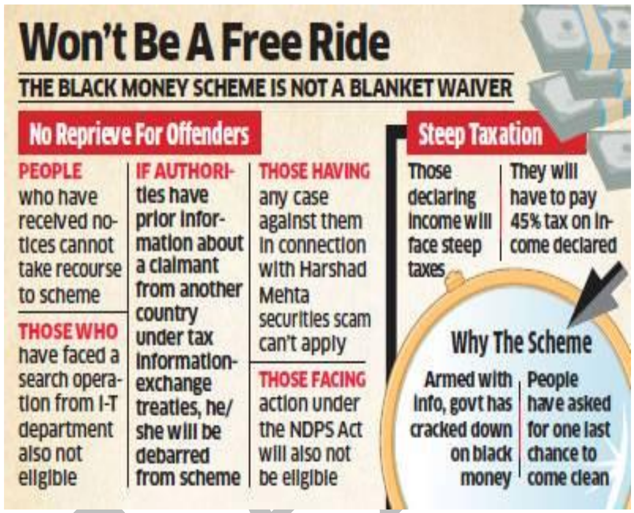

- ऐसी घोषणाएं वर्तमान कीमतों पर की जाएंगी, न कि 1997 वाली योजना की तरह 10 वर्ष पुरानी कीमतों पर।

आगे की राह

काले धन की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए, एक बहु-आयामी रणनीति की जरूरत है। इसके लिए सरकार अतिरिक्त उपायों को लाने का प्रयास कर रही है जैसे इंटरनेट बैंकिंग और ई-कॉमर्स के लिए कर लाभ, प्लास्टिक मनी के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना, उच्च मूल्य के लेन-देन के लिए अधिक पारदर्शिता लाना, आदि। ये न केवल ऐसे लेनदेन का पता लगाने में मदद करेंगे, बल्कि समय पर कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे।

3.2. राष्ट्रीय कृषि बाजार

(National Agriculture Market)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- राष्ट्रीय कृषि बाजार (NAM) का प्रायोगिक तौर पर 14 अप्रैल 2016 को शुरू किया जाना प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है?

- राष्ट्रीय कृषि बाजार की घोषणा केंद्रीय बजट 2014-15 में की गयी थी। यह एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है, जो मौजूदा कृषि उत्पाद विपणन समितियों (APMCs) और अन्य बाजारों को जोड़ कर कृषि जिंसों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार की स्थापना करेगा।
- राष्ट्रीय कृषि बाजार एक 'आभासी' बाजार है, लेकिन यह भौतिक बाजार (मंडी) से जुड़ा है।
- राष्ट्रीय कृषि बाजार को लागू करने के लिए एग्री टेक इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-

VISION IAS

18 के लिए 200 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।

- कृषि और सहकारिता विभाग राष्ट्रीय कृषि बाजार को *लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ* के माध्यम से लागू करेगा, जो कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

बाजारों को एकीकृत करने की आवश्यकता:

- किसानों को बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने के लिए।
- आपूर्ति श्रृंखला में सुधार करने के लिए।
- अनाज की बर्बादी में कमी के लिए।
- एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए।

लाभ

- संचालन क्षमता और मंडी के संचालन में पारदर्शिता बढ़ेगी।
- बाजार तक पहुँच बढ़ेगी और गोदाम आधारित बिक्री के माध्यम से किसानों के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध हो सकेंगे।
- मंडी में आने वाले स्थानीय व्यापारियों के लिए सेकेंडरी ट्रेडिंग हेतु व्यापक राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध होगा।
- थोक खरीदारों, प्रसंस्करणकर्ताओं, निर्यातकों आदि के लिए मध्यस्थता की लागत में कमी।
- सूचना विषमता समाप्त होगी।
- लाइसेंस जारी करने, शुल्क लगाने और उत्पादन के परिवहन के लिए एक सामान्य प्रक्रिया निर्धारित किया जाना सुनिश्चित होगा।
- इसके माध्यम से आने वाले 5-7 वर्षों में, किसानों को अधिक लाभ, खरीदारों के लिए कम लेन-देन खर्च और उपभोक्ताओं के लिए स्थिर कीमत और उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।
- यह वैज्ञानिक भंडारण और कृषि वस्तुओं के परिवहन को बढ़ावा देकर मूल्य श्रृंखला के उद्भव में मदद करेगा।

आवश्यक पूर्व-शर्तें

राष्ट्रीय कृषि बाजार का हिस्सा बनने से पूर्व राज्य को निम्न सुधारों को अपनाने की आवश्यकता होगी:

- राज्य भर में मान्य एकल लाइसेंस की व्यवस्था
- एक ही बिंदु पर बाजार शुल्क की उगाही
- उचित कीमत प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक नीलामी का प्रावधान

आगे की राह

कृषि और अंतर-राज्य व्यापार 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के विषय हैं। राज्यों को सहकारी संघवाद की नई भावना के तहत उनके कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम में संशोधन करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए, ताकि राष्ट्रीय कृषि बाजार का गठन किया जा सके।

3.3. हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति

(Hydrocarbon Exploration and Licensing Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 मार्च 2016 को हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (HELP) को मंजूरी दे दी है।
- यह नीति तेल एवं गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए वर्तमान नीति की जगह लेगी, जिसे नवीन अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (NELP) के नाम से जाना जाता था। NELP पिछले 18 वर्षों से अस्तित्व में थी।

HELP नीति के चार मुख्य पहलू:	HELP के उद्देश्य
• हाइड्रोकार्बन के सभी रूपों के उत्पादन और अन्वेषण के लिए एक समान लाइसेंस, • एक खुली रकबा (open acreage) नीति, • आसानी से प्रशासित होने वाला राजस्व साझा मॉडल • उत्पादित कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के संबंध में विपणन और मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता।	• घरेलू तेल और गैस के उत्पादन में वृद्धि • पर्याप्त निवेश लाना • रोजगार का सृजन • पारदर्शिता बढ़ाना और • प्रशासनिक विवेकाधिकार को कम करना।

HELP की विशेषताएं:

- **एक समान लाइसेंस:** मौजूदा व्यवस्था में प्रत्येक प्रकार के हाइड्रोकार्बन के लिए अलग-अलग लाइसेंस की जरुरत होती है। नई नीति में कोल-बेड मीथेन(CBM), शेल गैस/तेल, टाइट गैस और गैस हाइड्रेट्स सहित पारंपरिक और अपरंपरागत तेल और गैस संसाधनों का पता लगाने के लिए, ठेकेदार को एक ही लाइसेंस की आवश्यकता होगी।
- **खुला रकबा (open acreage):** यह हाइड्रोकार्बन कंपनी को, सरकार की ओर से औपचारिक बोली चक्र का इंतजार किए बिना, साल भर अन्वेषण ब्लॉक का चयन करने का विकल्प देता है।
- **राजस्व साझा मॉडल**: उत्पादन साझेदारी अनुबंध की वर्तमान वित्तीय प्रणाली की जगह अधिक सुविधाजनक 'राजस्व साझा मॉडल' को अपनाया गया है।
- **विपणन और मूल्य निर्धारण**: यह नीति इन ब्लॉकों से उत्पादित कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के विपणन की आजादी भी प्रदान करती है। यह सरकार की 'न्यूनतम सरकार – अधिकतम शासन' (मिनिमम गवर्नमेंट-मैक्सिमम गवर्नेंस) की नीति के अनुरूप है।
- रॉयल्टी दरों के लिए एक वर्गीकृत प्रणाली लागू की गयी है, जिसमें रॉयल्टी दरें जल की गहराई के आधार पर अर्थात् छिछले जल से गहरे जल तथा अत्यधिक गहरे जल तक घटती जाती हैं।

VISION IAS

- साथ ही, भूमि क्षेत्रों (लैंड एरिया) के लिए रॉयल्टी दर को अक्षुण्ण रखा गया है, ताकि राज्य सरकारों का राजस्व प्रभावित न हो।
- NELP की ही तर्ज पर, नई नीति के तहत भी ब्लॉक आवंटन पर उपकर और आयात शुल्क लागू नहीं होंगे।

दोनों नीतियों HELP और NELP की तुलना नीचे दी गई है:

मापदंड	हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (HELP)	नवीन अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (NELP)
राजकोषीय मॉडल	राजस्व साझा	लाभ साझा
लागत वसूली	लागू नहीं	हाँ
लागत कुशलता	प्रोत्साहित	निष्पक्ष
रॉयल्टी	अपतटीय क्षेत्रों के लिए कम दरें	मानक दरें
अन्वेषण अवधि	भूमि और छिछले जल में 8 साल गहरे जल में 10 साल	भूमि और छिछले जल में 7 साल गहरे जल और अत्यधिक गहरे जल में 8 साल
प्रबंधन समिति	जलाशय निगरानी पर अधिक ध्यान केंद्रित; कोई सूक्ष्म प्रबंधन नहीं	तकनीकी और वित्तीय परीक्षण
सरकार को राजस्व	उत्पादन पर	लागत वसूली के बाद अर्थात लाभ में से
खनन लीज क्षेत्रों में अन्वेषण	अनुमति	अनुमति नहीं
सभी हाइड्रोकार्बन का अन्वेषण और उत्पादन	अनुमति	अनुमति नहीं

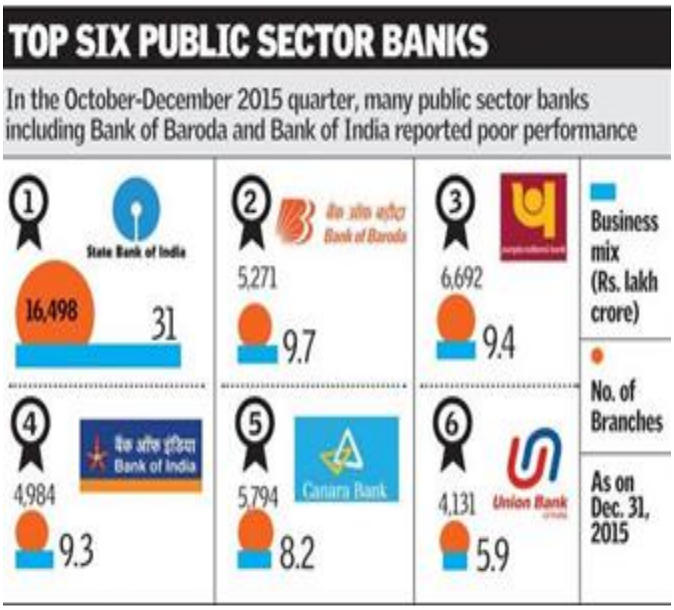

3.4. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का समेकन और विलय

(PSB Consolidation and Merger)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- वित्त मंत्री ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समेकन की रणनीति तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल का गठन शीघ्र ही किया जायेगा।
- बैंकों के वार्षिक सम्मलेन - **ज्ञान संगम** – के दूसरे संस्करण में भी समेकन को लेकर चर्चा की गई थी।

बैंकों के समेकन के लाभ:

- अवसंरचना परियोजनाओं के लिए काफी पूँजी की आवश्यकता होती है, और बैंक वर्तमान में अपनी कम पूंजी के कारण ऋण देने में असमर्थ हैं। समेकन से बड़े बैंकों का गठन संभव हो सकेगा, जो कि अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए सक्षम होंगे।
- समेकन से बढ़ते बैड लोन्स (डूबते क़र्ज़) को वसूलने में बैंकों की क्षमता में सुधार के अलावा पूँजी दक्षता में भी वृद्धि होगी।

चुनौतियाँ

- भारतीय स्टेट बैंक खुद के सहायक बैंकों के अतिरिक्त किसी अन्य बैंक को अपने में विलय करने स्थिति में नहीं है। अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इतने बड़े और मजबूत स्थिति में नहीं है कि उनका आपस में विलय किया जा सके। इस प्रकार दो खराब स्थिति वाली बैंकों के विलय से वांछित परिणाम नहीं प्राप्त होंगे।
- बैंकिंग क्षेत्र अन्य चुनौतियों का भी सामना कर रहा है जैसे पूंजी की कमी, उच्च अनर्जक परिसंपत्तियां (NPA), कम मुनाफा, आदि।
- लघु वित्त बैंकों (Small Finance banks) के आने से पूरा ग्रामीण बैंकिंग मॉडल बदल रहा है और इनके वित्तीय समावेशन में एक बड़ी भूमिका निभाने की उम्मीद है।
- मानव संसाधन प्रबंधन चिंता का सबसे बड़ा विषय होगा क्योंकि वेतन, वरिष्ठता, पोस्टिंग आदि एक बड़ी चुनौती पैदा करेंगे।
- नई इकाइयाँ, जैसे 5 या 6 बड़े बैंक, वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा हो सकते हैं। किसी भी बैंक का डूबना (दिवालया होना) अर्थव्यवस्था और बैंकिंग प्रणाली के लिए कई समस्यायें पैदा करेगा।
- समेकन के लिए यह सही समय नहीं है, क्योंकि बैंकों को भर्ती के क्षेत्र में और कोर क्षमताओं के विभेदन में परिचालन संबंधी लचीलापन देकर सशक्त बनाने की आवश्यकता है।
- ट्रेड यूनियनों द्वारा भी इसका विरोध किया जा रहा है क्योंकि इससे उन्हें अपनी पहचान खोने का डर है।

VISION IAS

- भारतीय स्टेट बैंक के पांच सहयोगी बैंकों के अतिरिक्त देश में सार्वजनिक क्षेत्र के 22 बैंक हैं।
- ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक दो तिहाई परिसंपत्तियों पर अधिकार के साथ भारत के बैंकिंग क्षेत्र पर हावी हैं। साथ ही क्षेत्र का करीब 85 फीसदी बैड लोन (डूबे हुए क़र्ज़) भी इनके खाते में ही हैं।

आगे की राह

- बैंकों का विलय भौगोलिक और तकनीकी सहक्रियता, मानव संसाधन और व्यापार रूप-रेखा के आधार पर किया जायेगा।
- बैंकरों के अनुसार, सरकार राज्य-स्वामित्व वाले बैंकों के बीच समेकन की प्रक्रिया के लिए छह से दस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पहचान करेगी। इन बैंकों को एंकर बैंक (anchor bank) के नाम से जाना जाएगा।
- भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक जैसे बड़े ऋणदाता एंकर बैंक बन सकते हैं।

बैंकों के समेकन का विचार सरकार और बैंकिंग संस्थानों द्वारा समर्थित है, लेकिन विभिन्न बाधाओं पर पहले से ही कार्य किये जाने की जरुरत है। विशेषज्ञों के साथ बनायी हुई मजबूत योजना तथा भौगोलिक और तकनीकी सहक्रियता, मानव संसाधन और व्यापार रूप-रेखा के आधार पर बैंकों के विलय से, इसे हासिल किया जा सकता है।

3.5. बजट में सिंचाई पर जोर

(Irrigation Thrust in Budget)

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (Accelerated Irrigation Benefit Program) परियोजनाओं के पूरा होने पर जोर

- सरकार त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) के तहत आने वाली सभी 89 'सक्रिय' सिंचाई परियोजनाओं पर तीव्र गति से कार्य करने की योजना बना रही है।
- सरकार का उद्देश्य इसके वित्तपोषण के लिए आवश्यक 86,500 करोड़ रुपए जुटाने का भी है। इसके लिए सरकार का इरादा बजटीय और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के साथ-साथ बाज़ार से भी पैसा जुटाने का है।
- सरकार ने वादा किया है कि इन 89 परियोजनाओं में से कम से कम 23 परियोजनाओं (जिनमें से कुछ पर वर्ष 1970 के मध्य में ही कार्य शुरू हो गया था) को मार्च 2017 तक पूरा कर लिया जायेगा। इसके बाद द्वितीय चरण में अन्य 23 परियोजनाओं को वर्ष 2020 तक पूरा किया जायेगा।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम परियोजनाओं की स्थिति

- अनुमोदित 297 बड़ी परियोजनाओं में से केवल 143 ही पूरी हो पायी हैं।
- उनमें से 89 परियोजनायें निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं, जिन्हें द्रुतगति से पूरा किया जायेगा।
- शेष 65 परियोजनायें अभी तक शुरू नहीं हुई हैं, और अब समीक्षा की जाएगी कि अब उन्हें पूरा करना संभव होगा या नहीं।

देरी के कारण

- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम को अपर्याप्त केंद्रीय वित्त पोषण का सामना करना पड़ा है।
- इसमें अधिक से अधिक परियोजनाओं को शामिल करने के लिए, इसके दायरे में विस्तार किया गया।
- अधिकांश परियोजनायें समय पर पूरी नहीं हुई और लागत बढ़ती गयी।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP)

- सरकार ने देश की बड़ी/मध्यम/लघु सिंचाई परियोजनाओं को केन्द्रीय ऋण सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 1996-97 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम शुरू किया था।
- इसका उद्देश्य उन परियोजनाओं में तेज़ी लाना था जो राज्यों की संसाधन क्षमता से परे थीं या पूरा होने के अंतिम चरण में थीं।

अन्य उपाय

- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के अंतर्गत एक समर्पित सिंचाई कोष की स्थापना, जिसे उधार लेने के लिए कर मुक्त बांड जारी करने के लिए कहा गया है।
- बजट के माध्यम से 20000 करोड़ रुपए का एक आरंभिक कोष (initial corpus) स्थापित किया जा चुका है, नाबार्ड बाजार से और धन जुटाने के लिए इसका लाभ उठा सकता है।
- सरकार ने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की 143 पूर्ण परियोजनाओं में से प्रत्येक वर्ष 50 की क्षमता बढ़ाने की दिशा में काम करने के लिए केंद्रीय जल आयोग और अन्य एजेंसियों को निर्देश दिया है।
- इन प्रत्येक परियोजनाओं में अब जल उपयोगकर्ता संघ (water user associations) भी होंगे, जो इस संबंध में फैसला लेंगे कि क्षेत्र में प्रत्येक दावेदार को पानी कैसे वितरित किया जाये ।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) भी सिंचाई सुविधाओं में सुधार लाने पर ध्यान केन्द्रित कर रही है।

3.6. दीपम-निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग

(DIPAM- Department of Investment and Public Asset Management)

- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की रणनीतिक हिस्सेदारी बिक्री को पूर्वरूप में लाने के लिए, विनिवेश विभाग का नाम बदलकर, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग कर दिया गया है।

VISION IAS

- विनिवेश विभाग को वर्ष 1999 में वित्त मंत्रालय में से बनाया गया था।

नई जिम्मेदारियाँ

- सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) में सरकारी निवेश के कुशल प्रबंधन के लिए पूंजी पुनर्गठन, लाभांश, बोनस शेयर और निष्क्रिय परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के माध्यम से जिम्मेदारियों को नए सिरे से परिभाषित किया है।
- सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन में शेयरों की वापसी खरीद (बाइबैक) को भी शामिल किया जाएगा।

विनिवेश के उद्देश्य

- सरकार पर वित्तीय बोझ को कम करना।
- सार्वजनिक वित्त में सुधार करना।
- प्रतिस्पर्धा और बाजार अनुशासन लाना।
- विकास के लिए वित्त-पोषण।
- स्वामित्व की व्यापक हिस्सेदारी को प्रोत्साहित करना।
- गैर-जरूरी सेवाओं का गैर-राजनीतिकरण करना।

- विनिवेश किसी संगठन अथवा सरकार द्वारा किसी परिसंपत्ति या सहायक कम्पनी को बेचने या उसमें हिस्सेदारी कम करने की प्रक्रिया है।
- विनिवेश के लिए मुख्य रूप से तीन अलग-अलग दृष्टिकोण हैं
  - **अल्पांश विनिवेश (Minority Disinvestment):** सरकार कंपनी में अपनी बहुलांश हिस्सेदारी बनाये रखती है, आमतौर पर 51% से अधिक, जिससे प्रबंधन पर नियंत्रण बना रहे।
  - **बहुलांश विनिवेश (Majority Disinvestment):** विनिवेश के बाद, सरकार अल्पांश हिस्सेदारी बनाये रखती है अर्थात् सरकार अधिकांश हिस्सेदारी बेच देती है।
  - **पूर्ण निजीकरण:** पूर्ण निजीकरण बहुलांश विनिवेश का एक प्रकार है जिसमें कंपनी का 100% नियंत्रण खरीदार को सौंप दिया जाता है।

लक्ष्य

- सरकार ने अगले वित्त वर्ष 2016-17 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश के जरिए 56500 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है।
- इस विनिवेश लक्ष्य में से, 36000 करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अल्पांश हिस्सेदारी बिक्री से आने का अनुमान है।
- शेष 20,500 करोड़ रुपये लाभ और घाटे, दोनों, में चल रही कंपनियों में रणनीतिक बिक्री से आने का अनुमान है।

रणनीतिक बिक्री क्या है?

विनिवेश विभाग के अनुसार, एक कंपनी की रणनीतिक बिक्री में, लेन-देन के दो तत्व हैं:

- रणनीतिक साझीदार को शेयर के एक हिस्से का हस्तांतरण और
- रणनीतिक साझीदार को प्रबंधन नियंत्रण का हस्तांतरण।

3.7. वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटरों को लाइसेंस

(Licensing of Virtual Network Operators)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- दूरसंचार आयोग ने देश में वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटरों (VNOs) को अनुमति प्रदान करने की दूरसंचार नियामक की अनुशंसा को स्वीकार कर लिया है।

वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर (VNO)

VNO एक ऐसी इकाई होती है जिसके पास दूरसंचार नेटवर्क अवसंरचना का स्वामित्व नहीं होता लेकिन यह एक समझौते के तहत दूरसंचार संवाहकों से क्षमता की खरीद के द्वारा दूरसंचार सेवाएं प्रदान करता है

VNO के लाभ

- VNO के लिए अवसर स्टार्ट-अप उद्यमियों से लेकर बड़े उपभोक्ता आधार वाली कंपनियों जैसे म्युचुअल फंड घरानों, ई-कॉमर्स कंपनियों, रिटेल श्रृंखलाओं तक सभी के लिए दरवाजे खोल सकता है।
- महंगे नेटवर्क के निर्माण के बजाय, वे बस एक मौजूदा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर को भुगतान करके उसके साथ साझेदार बन सकते हैं और इस नेटवर्क का इस्तेमाल करके अपनी सेवाओं को अपने स्वयं के ब्रांड के तहत बेच सकते हैं।
- वैश्विक स्तर पर, टेस्को,वालमार्ट और वर्जिन सहित लगभग 1,000 कंपनियां VNOs के रूप में मोबाइल फोन सेवाएं प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए, वॉलमार्ट फैमिली मोबाइल अपने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए टी-मोबाइल नेटवर्क का उपयोग करता है।
- भारत में फ्यूचर ग्रुप, Paytm और न्यू कॉल टेलीकॉम आदि कंपनियाँ VNO के लिए संभावित उम्मीदवार हैं।
- मोबाइल VNOs रिटेल, बिज़नेस, रोमिंग, आदि के रूप में विशिष्ट बाजार क्षेत्रों को लक्षित करके ग्राहकों के लिए अलग-अलग सेवाएं प्रदान करते हैं। यह टेलीकॉम कंपनियों के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा से बचने में मदद करता है और साथ ही यह वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटरों और स्पेक्ट्रम के मालिकों दोनों के लिए अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करता है।
- उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत कम कीमत पर वॉईस और डाटा सेवाओं के लिए अधिक विकल्प मिल सकेंगे।
- टेलीकॉम कंपनियों को भी अप्रयुक्त स्पेक्ट्रम के मुद्रीकरण के लिए अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध होंगे।

VISION IAS

दूरसंचार आयोग

- दूरसंचार आयोग को दूरसंचार से जुड़े विभिन्न पहलुओं को संबोधित करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था।
- आयोग में एक अध्यक्ष, चार पूर्णकालिक सदस्य और चार अंशकालिक सदस्य होते हैं।
- दूरसंचार आयोग और दूरसंचार विभाग नीति निर्माण, लाइसेंस, वायरलेस स्पेक्ट्रम प्रबंधन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रशासनिक निगरानी, अनुसंधान और विकास तथा उपकरणों के मानकीकरण/सत्यापन आदि के लिए उत्तरदायी हैं।

3.8. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर नीति आयोग की रिपोर्ट

(Niti Aayog Report on MSP)

रिपोर्ट के मुख्य उद्देश्य

- एक पूर्वानुमेय और न्यायसंगत फसल मूल्य व्यवस्था के निर्माण पर MSP के प्रभाव का आकलन करना।
- MSP के कार्यान्वयन में क्षेत्रीय और अंतर-फसल भिन्नता और इसके कारणों की पहचान करना।
- किसानों द्वारा उन्नत तकनीक को अपनाने, उचित निवेश और ग्रामीण अवसंरचना के संबंध में MSP से कुछ सहायता प्राप्त हुई है या नहीं, इसका मूल्यांकन करना।
- MSP को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उपाय सुझाना।

MSP के कार्यान्वयन में चिन्हित समस्याएं

- खरीद केंद्रों के दूर होने के परिणामस्वरूप भारी परिवहन लागत आती है।
- खरीद केन्द्रों का समय पर न खुलना।
- अधिकारियों द्वारा राजस्व रिकॉर्ड के लिए जोर।
- उत्पादों के अस्थायी भंडारण के लिए ढके हुए भंडारगृहों / गोदामों की सुविधा का अभाव ।
- कुछ स्थानों में इलेक्ट्रॉनिक तौल उपकरणों की कमी, भुगतान में देरी।

अनुशंसाएँ

- किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है और जानकारी को समय पर निम्नतम स्तर तक पहुँचाया जाना चाहिए।
- MSP के भुगतान में देरी से किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जिसे सही करने की आवश्यकता है।
- MSP की घोषणा बुवाई के मौसम के ठीक पहले की जानी चाहिए ताकि किसानों को उनकी फसल योजना के लिए समर्थ किया जा सके।
- किसानों को खरीद केंद्रों पर बेहतर सुविधायें जैसे कि सुखाने का स्थान, तौल के उपकरण, शौचालय, आदि उपलब्ध कराई जानी चाहिए। भंडारण और अपव्यय की कमी के लिए अधिक गोदामों की स्थापना की जानी चाहिए और उन्हें बेहतर स्थिति में बनाए रखा जाना चाहिए।
- MSP की गणना की पद्धति और साथ ही इसके कार्यान्वयन, दोनों पर राज्य सरकार के साथ सार्थक विचार-विमर्श होना चाहिए।
- MSP तय करने के मापदंड चालू वर्ष के आंकड़े होना चाहिए और ऐतिहासिक लागत के बजाय और अधिक सार्थक मानदंडों को आधार बनाया जाना चाहिए।
- परिवहन लागत से बचने के लिए खरीद केंद्रों को गाँव में ही होना चाहिए।
- MSP को सरकार की कृषि मूल्य नीति के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में जारी रखना सुनिश्चित करने के लिए उन राज्यों में, जहां इस योजना का प्रभाव 'शून्य' या 'अत्यल्प' है, MSP योजना में एक आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

- विभिन्न मोर्चों पर MSP के कार्यान्वयन में क्षेत्रीय असंतुलन मौजूद हैं जिसको सही करने की जरूरत है।
- कुल मिलाकर, यह पाया गया कि MSP धान और गेहूं और अन्य उत्पादों जैसे कि चना (काला और हरा), मसाले और तिलहन (मूंगफली, सरसों, तिल), गन्ना, जूट और कपास के लिए फ्लोर रेट प्रदान कराने में सफल रहा है, और इसने बाजार कीमतों को उनके लिए तय MSP से नीचे गिरने की अनुमति नहीं दी है।
- खेती में आधुनिक तकनीकों को अपनाने में लाभार्थियों की मदद करने के अतिरिक्त MSP बाजार कीमतों को स्थिर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
- लगभग सभी लाभार्थियों का मानना है कि MSP को जारी रखना चाहिए क्योंकि यह उन्हें उनके उत्पादन के लिए एक न्यूनतम रिटर्न देने का वादा करके प्रतिकूल बाजार परिस्थितियों से उन्हें बचाती है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में

- कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार का कृषि और सहकारिता विभाग 24 फसलों के लिए उनकी बुवाई सीजन के पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की घोषणा करता है ।
- राज्यों ने MSP के संचालन के तहत खाद्यान्न और अन्य कृषि उत्पादों की खरीद के लिए अपने स्वयं के तंत्र तैयार कर लिए हैं।

अवलोकन

वार्षिक आय की प्राप्ति: असम, बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और ओडिशा में बहुत कम किसानों ने संदर्भ अवधि में MSP पर अपनी उपज बेची। इसलिए उनकी आय पर MSP से कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

MSP के बारे में जागरूकता: 81% किसानों को विभिन्न फसलों के लिए तय किये गए न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में जानकारी है। इस

जागरूकता का स्तर विभिन्न राज्यों भिन्न में (45% से 100% तक) है।

जागरूकता का माध्यम: MSP के बारे में जागरूकता के विभिन्न माध्यम हैं- स्व-प्रयास, समाचार पत्र, राज्य के अधिकारी, भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी, गांव के मुखिया, ग्राम सेवक, शिक्षक, व्यापारी आदि। केवल 7% किसानों को राज्य के अधिकारियों के माध्यम से MSP के बारे में जानकारी प्राप्त हुई।

भुगतान प्राप्त होने का तरीका:

यह पाया गया कि 32.13%, 40.29% और 27.4% किसानों ने क्रमश: नकद, चेक या बैंक जमा के रूप में अपना MSP भुगतान प्राप्त किया।

अधिकांश राज्यों, जैसे बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान, में किसानों को कोई नकद भुगतान नहीं किया गया है।

भुगतान प्राप्त होने में लगा समय: कुछ राज्यों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 20%, 7%, 8%, 51% और 14% किसानों ने क्रमशः उसी समय/उसी दिन, बिक्री के 2 से 3 दिनों के अन्दर, बिक्री के 3 दिनों के बाद लेकिन एक सप्ताह अन्दर, बिक्री से एक सप्ताह के बाद लेकिन एक माह के अन्दर और एक माह की अवधि के बाद अपना MSP भुगतान प्राप्त किया ।

बिक्री के लिए इस्तेमाल माध्यम: 67% किसानों ने अपने उत्पादों को स्वयं अपनी व्यवस्था के माध्यम से बेचा, जबकि 21% किसानों ने दलालों के माध्यम से बेचा।

निजी और सरकारी एजेंसियों के माध्यम से बिक्री की हिस्सेदारी क्रमशः 8% और 4% थी।

खेती के तरीकों में सुधार:

यह पाया गया कि सरकार द्वारा MSP घोषित करने के परिणामस्वरूप उत्पादन बढ़ाने के लिए 78% किसानों ने खेती के उन्नत तरीकों को अपनाया: जैसे कि अधिक उपज देने वाली बीज की किस्मों, जैविक खाद, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों और बेहतर कटाई के तरीकों, आदि का प्रयोग।

MSP की प्रभावशीलता: यह पाया गया कि कुछ राज्यों के 21% किसानों ने सरकार द्वारा घोषित MSP पर संतोष व्यक्त किया। जबकि 79% किसानों ने विभिन्न कारणों से MSP के प्रति असंतोष व्यक्त किया, लगभग सभी किसान (94%) MSP को जारी रखने के पक्ष में हैं।

न्यूनतम समर्थन मूल्य का उद्देश्य

- न्यूनतम समर्थन मूल्य के पीछे मूल विचार किसानों के लिए कीमत गारंटी और सुनिश्चित बाजार उपलब्ध कराना और उन्हें कीमतों के उतार-चढ़ाव और बाजार खामियों से बचाना है।
- भूमंडलीकरण, जिसका परिणाम मुक्त कृषि व्यापार है, के युग में किसानों को सुरक्षा प्रदान करना।
- उच्च निवेश और कृषि वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करना।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) कैसे निर्धारित किया जाता है?

- MSP कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों पर निर्धारित किया जाता है।
- CACP एक सांविधिक निकाय है तथा खरीफ और रबी सीजन के लिए कीमतों की सिफारिश के संबंध में अलग-अलग रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। केन्द्र सरकार, इस रिपोर्ट और राज्य सरकारों के विचारों को ध्यान में रखते हुए तथा देश में कुल मांग और आपूर्ति की स्थिति पर भी नजर डालने के बाद, अंतिम निर्णय लेती है।
- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति इसे अंतिम मंजूरी देती है।
- गन्ने के मामले में, न्यूनतम समर्थन मूल्य को वैधानिक दर्जा दिया गया है और इस तरह से घोषित मूल्य को वैधानिक न्यूनतम मूल्य कहा जाता है, जिसे उचित एवं लाभकारी कीमत (FRP) के रूप में भी जाना जाता है। चीनी कारखानों पर इस घोषित मूल्य का भुगतान करने की कानूनी बाध्यता है और इस घोषित मूल्य से कम के सभी लेन-देन या इससे कम कीमत पर खरीद को गैर-कानूनी माना जाता है।

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न (2015)

गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत (FRP) को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता/करती है?

(a) आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति

(b) कृषि लागत और कीमत आयोग

(c) कृषि मंत्रालय का विपणन और निरीक्षण निदेशालय

(d) कृषि उत्पाद विपणन समिति

3.9. ई-कॉमर्स में 100 प्रतिशत FDI

(100 Per cent FDI in E-Commerce)

भारत में ई-कॉमर्स

- भारत में ई-कॉमर्स उद्योग में तेजी से वृद्धि हुई है, वर्तमान में इस उद्योग की 60% से अधिक की वृद्धि दर है।
- विभिन्न अध्ययनों में 2016 तक उद्योग का आकार लगभग 38 अरब डॉलर होने का अनुमान लगाया गया है और इसके 2020 में 50 अरब अमरीकी डालर तक पहुँचने की उम्मीद है।
- इस उद्योग में रोजगार के अवसर पैदा करने और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने की क्षमता है।
- इस क्षेत्र ने 2015 में सर्वाधिक FDI आकर्षित किया है।
- भारत में ई-कॉमर्स बाजार में अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ShopClues और Paytm आदि कुछ प्रमुख नाम हैं ; ये सभी विदेशी निवेशकों द्वारा वित्त पोषित हैं।
- वर्तमान में, B2B(बिजनेस-टू-बिजनेस) लेनदेन में स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI की अनुमति है।

VISION IAS

- अमेज़न इंडिया, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और ऐसी कई अन्य कंपनियां, जो हजारों की संख्या में विक्रेताओं को होस्ट करती हैं, ई-रिटेलर्स के बजाय प्रौद्योगिकी समर्थक के रूप में वर्णित की गयी हैं। इन्होनें अपनी स्वयं की कोई इन्वेंटरी नहीं होने का दावा किया है। यही कारण है कि ये कम्पनियाँ ई-कॉमर्स में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर प्रतिबंध के बावजूद तेजी से वृद्धि करती रही हैं।

नए दिशा-निर्देश

- सरकार ने स्वचालित मार्ग के तहत ई-कॉमर्स रिटेलिंग के बाजार प्रारूप में 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है।
- सरकार ने बाजार (मार्केट प्लेस) की परिभाषा को बढ़ाते हुए वेयरहाउस, लॉजिस्टिक, अन्य पूर्तियों, कॉल सेंटर, भुगतान संग्रह और अन्य सेवाओं के सन्दर्भ में विक्रेताओं के लिए समर्थन सेवाओं को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया है।
- ई-कॉमर्स के बाजार मॉडल का मतलब है खरीददार और विक्रेता के बीच सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करने के लिए किसी ई-कॉमर्स इकाई द्वारा डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर एक IT प्लेटफॉर्म प्रदान करना।
- इसके अलावा, इन्वेंटरी आधारित ई-कॉमर्स मॉडल का अर्थ है ऐसी ई-कॉमर्स गतिविधि जहाँ वस्तुओं और सेवाओं की इन्वेंटरी ई-कॉमर्स इकाई के स्वामित्व में है और उन्हें सीधे उपभोक्ताओं को बेचा जाता है।
- ई-कॉमर्स के इन्वेंटरी आधारित मॉडल में FDI की अनुमति नहीं दी गयी है।
- दिशा-निर्देशों ने ई-कॉमर्स बाजार को विक्रेताओं के लिए कई समर्थन सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी है, लेकिन, इसने कहा है कि इस तरह की संस्थायें इन्वेंटरी पर स्वामित्व का प्रयोग नहीं करेंगी ।
- बाजार उपलब्ध कराने वाली ई-कॉमर्स संस्थाएं सीधे या परोक्ष रूप से वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री मूल्य को प्रभावित नहीं करेंगी और सभी को समान अवसर उपलब्ध कराएंगी।

लाभ

- इससे इस क्षेत्र में निश्चितता के साथ व्यापार शुरू करने के लिए आवश्यक स्पष्टता आएगी तथा विदेशी निवेश भी आकर्षित होगा।
- बाजार ऑपरेटर मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए सक्षम होंगे।

हानि

- नई व्यवस्था विभिन्न निर्णयों में नौकरशाही संबंधी विवेक को बढ़ाएगी और इससे भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ जाएगी।
- इसने इन्वेंटरी आधारित मॉडल और बाज़ार आधारित ई-कॉमर्स के बीच एक कृत्रिम भेद बनाकर ई-रिटेल की जटिलता को और बढ़ा दिया है ।
- जहाँ बाजार में एक विक्रेता कुछ वस्तुओं तक विशिष्ट पहुँच या छूट की पेशकश कर रहा हो, वहाँ एक ही विक्रेता द्वारा की जा सकने वाली बिक्री को सीमित करना (अधिकतम कुल बिक्री का 25%) प्रतिबंधात्मक साबित हो सकता है। यदि विक्रेता उच्च मूल्य वस्तुएं (विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं) बेचता है तो यह और भी अधिक प्रतिबंधात्मक साबित हो सकता है ।
- एक मजबूत वाणिज्यिक सिद्धांत के बिना 25 प्रतिशत की इस ऊपरी सीमा का परिणाम पकड़े जाने से बचने के लिए कंपनियों द्वारा नयी इकाईओं के निर्माण के रूप में सामने आ सकता है।
- इस नियम में यह प्रावधान कि "ई-रिटेलर्स सीधे या परोक्ष रूप से वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री मूल्य को प्रभावित नहीं करेंगे और सभी को समान अवसर उपलब्ध कराएंगे" वस्तुतः "मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता" के खिलाफ जाता है जो बाजार के कामकाज का प्रमुख आधार है और इसे लागू करने में भी व्यावहारिक कठिनाइयाँ सामने आयेंगी।

आगे की राह

सरकार को भौतिक और ई-रिटेल के बीच भेद समाप्त कर देना चाहिए और मानदंडों को आसान बनाना चाहिए जिससे कारोबार पनप सकें और ये रोजगार पैदा करने के साथ-साथ सबसे कम कीमत पर उपभोक्ताओं के लिए वस्तुएं और सेवायें उपलब्ध करा सकें।

3.10. FRBM अधिनियम में बदलाव की आवश्यकता

(Need for Paradigm Shift in FRBM act)

वाद-विवाद क्यों?

- केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में टिप्पणी की है कि राजकोषीय विस्तार या संकुचन को क्रमशः अर्थव्यवस्था के क्रेडिट संकुचन या विस्तार के साथ संरेखित किया जाना चाहिए।
- इससे यह पता चलता है कि राजकोषीय घाटे (राजकोषीय विस्तार) और बैंक क्रेडिट (मौद्रिक विस्तार) के बीच प्रतिलोम सह-संबंध होना चाहिए।।
- यह सभी चक्रों में अर्थव्यवस्था के लिए पर्याप्त मुद्रा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए है।

अर्थव्यवस्था की मंदी के दौरान राजकोषीय घाटे का लक्ष्य शिथिल क्यों किया जाना चाहिए?

- बैंक और वित्तीय संस्थान कारोबार और दूसरों को पूँजी उपलब्ध कराते हैं, और यह क्रेडिट मनी ही अर्थव्यवस्था को गति देती है।

VISION IAS

- यदि, कारोबारी विश्वास में कमी या बढ़ते NPAs जैसे कारणों सहित कुछ अन्य कारणों से, अर्थव्यवस्था के लिए बैंक क्रेडिट पर्याप्त रूप से न बढ़े तो, पर्याप्त पैसे के अभाव की वजह से आर्थिक विकास बुरी तरह से प्रभावित होगा।
- ऐसे समय में अर्थव्यवस्था में पैसा डालने के लिए बजट के माध्यम से हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। और इस संदर्भ में, बैंकों के पास पड़ा पैसा उधार लेकर या यहां तक कि अगर जरूरत है तो अधिक पैसे के मुद्रण द्वारा इस उदेश्य को पूरा किया जाए।
- क्राउडिंग इन प्रभाव - आर्थिक मंदी के दौरान सरकारी खर्च अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और बाद में निजी उद्योगों से भी निवेश आकर्षित होगा।

राजकोषीय घाटे लक्ष्य का पालन क्यों किया जाना चाहिए?

- अक्सर FRBM लक्ष्य में संशोधन या उन्हें प्राप्त न करना निवेशक के मन में चिंता बढ़ा देंगे और निवेश में कमी आएगी।
- बेहतर राजकोषीय स्वास्थ्य से भारत की क्रेडिट रेटिंग में सुधार होगा।
- राजकोषीय घाटे के कम होने से विकास के लिए सस्ते ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी क्योंकि उच्च राजकोषीय घाटे से मुद्रास्फीति बढ़ती है और इसलिए उधार लेने की दर भी उच्च होती है।।
- यह भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाकर उसे अपने उभरते बाजार साथियों के करीब लाएगा।

आगे का राह

- राजकोषीय घाटा लक्ष्य को एक निश्चित संख्या के रूप में सकल घरेलू उत्पाद के 3% की बजाय एक रेंज के रूप में स्वीकार करना। यह वैश्विक आर्थिक और वित्तीय बाजार में अनिश्चितता, चीन में मंदी, और घरेलू स्तर पर उत्साहहीन निजी निवेश की मांग जैसी गतिशील और अस्थिर स्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक पॉलिसी स्पेस प्रदान करेगा।
- सरकार का व्यय दीर्घकालिक सार्वजनिक परिसंपत्तियों के सृजन पर होना चाहिए।

FRBM अधिनियम क्या है?

- राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 मध्यम अवधि में सरकार के घाटे और ऋण को टिकाऊ स्तर तक कम करने के लिए एक विधायी ढांचा प्रदान करने के लिए पारित किया गया था।
- इसका उद्देश्य वित्तीय प्रबंधन में अंतरपीढ़ीगत साम्य (equity) और दीर्घकालिक वृहत्-आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना था।

अधिनियम के मुख्य बिन्दु

- सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करना और राजस्व घाटे को शून्य करना।
- भारतीय रिजर्व बैंक से सरकार द्वारा उधार लिए जाने पर प्रतिबंध लगाता है - इस प्रकार यह मौद्रिक नीति को राजकोषीय नीति से स्वतंत्र बनाता है।
- सरकारी घाटे के मुद्रीकरण पर रोक लगाता है अर्थात सरकार अपने घाटे को पूरा करने के लिए नोट नहीं छाप सकती है। 2006 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र सरकार के प्राथमिक निर्गमों (primary issues)की खरीद पर प्रतिबंध ।
- अधिनियम निम्नलिखित 4 दस्तावेजों को संसद के समक्ष रखे जाने का अधिदेश देता है:

1. मध्यम अवधि के राजकोषीय नीति वक्तव्य:
   - बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में 5 राजकोषीय संकेतकों के लिए 3 साल के रोलिंग लक्ष्य और उन्हें प्राप्त करने के लिए रणनीति।
   - ये पांच राजकोषीय लक्ष्य हैं: राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, कर GDP अनुपात और सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल बकाया ऋण।
2. राजकोषीय नीति रणनीति वक्तव्य: बजट के समय प्रस्तुत किया जाता है और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कराधान, उधार, व्यय, निवेश, मूल्य निर्धारण, गारंटी आदि से संबंधित सरकार की रणनीतिक प्राथमिकताओं को दर्शाता है।
3. वृहत्-आर्थिक फ्रेमवर्क वक्तव्य: बजट के समय प्रस्तुत किया जाता है और अंतर्निहित धारणा के साथ अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर, केंद्र सरकार के राजकोषीय संतुलन और अर्थव्यवस्था के बाहरी क्षेत्र संतुलन को सम्मिलित करता है।
4. मध्यम अवधि व्यय फ्रेमवर्क वक्तव्य: यह 2012 में जोड़ा गया है और मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जाता है।

3.11. दीनदयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना

(Deendayal Upadhyay Swaniyojan Yojana)

VISION IAS

सुर्ख़ियों में क्यों?

- स्टार्टअप इंडिया अभियान के तहत ग्रामीण उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जल्द ही दीनदयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना (DUSY) शुरू की जाएगी।

मुख्य विशेषताएं:

- स्वनियोजन योजना का मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार के विकल्प की तलाश करने वाले ग्रामीण गरीबों को प्रोत्साहन, जैसे कि वित्तीय सहायता प्रदान करना है।।
- योजना को MUDRA बैंक ऋण योजना, नवीन क्रेडिट लिंकेज और स्व-सहायता समूहों के साथ एकीकृत किया जाएगा।
- इसका वित्त पोषण मौजूदा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा किया जाएगा
- यह ड्राइविंग, प्लंबिंग, कृषि, डेयरी फार्मिंग, ग्राफ्टिंग और बागवानी जैसे क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए आवश्यक बुनियादी कौशल प्रदान करेगी।
- इन क्षेत्रों में ग्रामीण गरीबों को अपने खुद के व्यापार स्थापित करने में मदद करने के लिए मंत्रालय अन्य सरकारी विभागों जैसे कि टेक्सटाइल, पशुपालन, और खाद्य प्रसंस्करण के साथ भी समन्वय करेगा।

आगे की राह

DUSY स्टार्ट-अप इंडिया का एक ग्रामीण अवतार है, यह न केवल ग्रामीण युवाओं के लिए लाभकारी रोजगार का एक अवसर प्रदान करेगी, बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी विभिन्न समस्याओं जैसे कि कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी, गरीबी, प्रवास आदि समस्याओं को भी हल कर सकती है।

3.12. भारतीय दवा उद्योग

(Indian Pharmaceutical Industry)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- आंकड़ों में गड़बड़ी, अस्वीकृत की गयी सामग्री के उपयोग, गुणवत्ता नियंत्रण से जुड़े मुद्दे जैसी कई खामियों को लेकर प्रमुख दवा कंपनियों की USFDA द्वारा खिंचाई की गयी है।

भारतीय फार्मा उद्योग से जुड़े मुद्दे

- कमजोर और गैर-पारदर्शी नियामकीय (रेग्युलेटरी) परिवेश।
- भारतीय कानूनों और WHO के मानकों के द्वारा निर्धारित विनिर्माण मानकों के प्रवर्तन की कमी।
- खराब गुणवत्ता, मिलावटी दवाओं, स्वच्छता और सफाई मानकों के आधार पर अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे विकसित देशों द्वारा भारतीय दवाओं पर प्रतिबंध।
- थोक दवाओं के क्षेत्र में आयात पर बढ़ती निर्भरता। अधिकांश आयात चीन से होता है।
- हाल के वर्षों में घरेलू दवा उद्योगों के अनुसंधान एवं विकास निवेश कम हो गए है।
- अपर्याप्त और अनियमित बिजली की आपूर्ति के कारण दवाओं के उत्पादन में लगे किण्वन (फर्मेंटेशन) उद्योग का पतन हुआ है।
- विभिन्न मंत्रालयों, जो फार्मा उद्योग के विभिन्न पहलुओं से संबंधित हैं, के बीच समन्वय की कमी है – जैसे फार्मास्यूटिकल्स विभाग दवा नीति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग नवाचार आदि को संबोधित करता है।

उपाय

- भारत में आसान और पारदर्शी नियामक व्यवस्था जिससे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के साथ ही नवाचार को बढ़ावा मिले।
- नैतिक और पारदर्शी क्लिनिकल परीक्षण और तीव्र एकल खिड़की मंजूरी की प्रक्रिया।
- विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप ऐसे विनियमन का विकास जिनका घरेलू उद्योग आसानी से पालन कर सकें।
- सभी मंत्रालयों द्वारा समन्वित और ठोस कार्रवाई।
- **क्लस्टर योजना:** साझा अपशिष्ट उपचार संयंत्र, साझा प्रयोगशाला, आदि के साथ मेगा पार्कों की स्थापना करना, ताकि भारतीय फार्मा उद्योग भी 'इकोनोमी ऑफ स्केल' का लाभ उठा सकें।
- **अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा-** अधिक उद्योग-शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान सहयोग, उपेक्षित बीमारियों के क्षेत्र में ओपेन सोर्स दवा खोजों को प्रोत्साहन आदि।

आगे की राह

- भारत द्वारा जेनेरिक दवाओं के निर्माण में वैश्विक नेतृत्व प्राप्त करने के लिए सरकार को फार्मा विजन 2020 में विनिर्दिष्ट मार्गों का अनुसरण करना चाहिए।
- सरकार द्वारा फार्मा सेक्टर में MSMEs को वर्तमान से और भी अधिक समर्थन एवं प्रोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकता है।

3.13. सेतु भारतम परियोजना

(Setu Bhartam Project)

- परियोजना का उद्देश्य 2019 तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाना है।
- परियोजना के तहत 20,800 करोड़ रुपये की लागत से 208 पुलों का निर्माण किया जाएगा।
- इसके अलावा, 1500 पुराने पुलों का पुनर्निर्माण किया जाएगा, जिस पर 30,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
- मंत्रालय ने एक भारतीय ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम (IBMS) स्थापित किया है, जिसका उद्देश्य मोबाइल निरीक्षण इकाइयों का उपयोग करके सभी पुलों (लगभग 1, 50,000) की निवर्तमान स्थिति का सर्वेक्षण (कंडीशन सर्वे) करना है।
- परियोजना से न केवल सड़क सुरक्षा में सुधार होगा, बल्कि इससे तीव्र परिवहन और अवसंरचना नेटवर्क में सुधार संभव हो सकेगा।

VISION IAS

3.14. उर्वरक सब्सिडी में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

(DBT in Fertilizer Subsidy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सरकार ने उर्वरक सब्सिडी भी अब सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंचाने (DBT) की पहल की घोषणा की है। पायलट आधार पर देश के कुछ जिलों में इसकी शुरुआत की जाएगी।
- वर्तमान में, उर्वरकों पर सालाना सब्सिडी लगभग 73,000 करोड़ रुपये है।

मुद्दे

- आजकल खेती का महत्वपूर्ण हिस्सा काश्तकार या बंटाईदार द्वारा किया जाता है, ये भूमि के मालिक नहीं होते हैं और बिना किसी औपचारिक पट्टा समझौतों के खेती करते हैं।
- आवश्यकता के उचित आकलन के आधार पर सब्सिडी की ऊपरी सीमा (अर्थात् उर्वरक की कितनी थैलियों के लिए सब्सिडी दी जाये) निर्धारित करने के लिए मापदंड का चयन।
- ऊपरी सीमा (कैपिंग) विशिष्ट उर्वरक के साथ फसल और स्थान जहाँ यह पैदा की गयी है पर निर्भर करेगी- यह रसोई गैस के लिए DBT तुलना में इसे और अधिक जटिल बना रही है।

व्यवहार्यता (Feasibility)

- उत्तर प्रदेश में, जहां राज्य सरकार ने 40 लाख से अधिक किसानों का एक ऑनलाइन डेटाबेस बनाया है, प्रत्येक किसान को एक विशिष्ट 'किसान आईडी' प्रदान की गयी है, जिससे उनके गाँव, भूमि विवरण, बैंक खाते और मोबाइल नंबर की पहचान हो सकेगी। इस प्रकार इस तरह के अंतरण की व्यवहार्यता प्रदर्शित की है।
- इस DBT पोर्टल को हाल ही में रबी सीजन के दौरान लगभग नौ लाख किसानों के खातों में बीज पर सब्सिडी के 140 करोड़ रुपये के अंतरण के लिए इस्तेमाल किया गया था।
- यह उम्मीद है कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के परिणामस्वरूप लीकेज में कमी, किसानों को सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता में सुधार और राजकोषीय घाटे में संभव कमी की जा सकेगी।

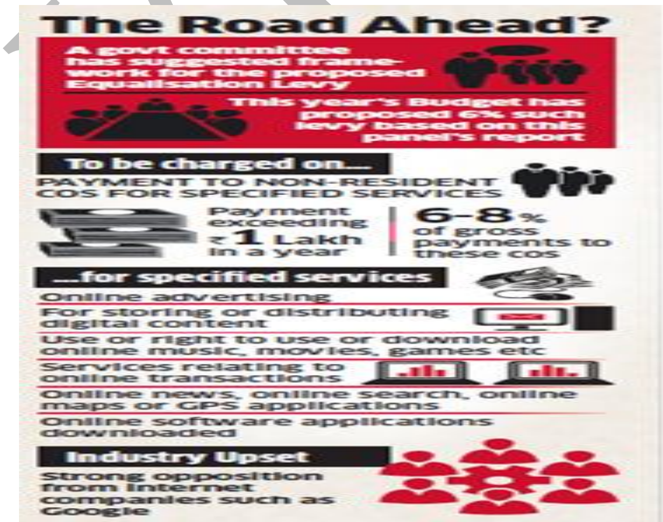

3.15. गूगल टैक्स: डिजिटल अर्थव्यवस्था पर इक्वलाईजेशन (समीकरण) लेवी

(Google Tax: Equalization Levy on Digital Economy)

यह क्या है?

- केंद्रीय बजट 2016-17 में 'ऑनलाइन विज्ञापन' के लिए विदेशी ई-कॉमर्स कम्पनियों को किये जाने वाले भुगतान पर इक्वलाईजेशन (समीकरण) लेवी का प्रस्ताव किया गया है।
- सरकार ने 'ई-कॉमर्स पर टैक्सेशन' के लिए एक समिति बनायी थी। इस समिति ने प्रस्ताव रखा कि ऑनलाइन विज्ञापन और क्लाउड कंप्यूटिंग से लेकर सॉफ्टवेयर डाउनलोड और वेब होस्टिंग तक की सेवाओं पर 'इक्वलाईजेशन लेवी' लगाई जाये। समिति ने कहा की यह लेवी ऐसे मामले में लगाई जानी चाहिए, जिसमें सेवा प्रदाता ऐसी विदेशी इकाई हो जिसका भारत में 'स्थायी ठिकाना' न हो। समिति ने सकल भुगतान के 6% से 8% तक 'इक्वलाईजेशन लेवी' का प्रस्ताव किया है।
- इस लेवी के दायरे में 1 लाख रुपये से अधिक के भुगतान को ही कवर किया जाना है।

पक्ष

- बड़ी कंपनियों को भारत में स्थायी प्रतिष्ठान बनाने के लिए बढ़ावा देगा
- सरकार की आय में वृद्धि

विपक्ष

- एक नया लेवी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला की लागत को बढ़ा देगा।
- कंपनियों के अनुसार, यह कदम नवाचार को हतोत्साहित करेगा और स्टार्टअप्स को विज्ञापन में कटौती करने के लिए मजबूर करके डिजिटल भारत और स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रमों को कमजोर करेगा।
- यदि दूसरे देश भी भारत के समान आचरण करते हुए भारत से उपलब्ध कराई गई सेवाओं पर इसी तरह के करों का आरोपण करेंगे, तो भारत की आई.टी. कंपनियों का लागत-लाभ काफी कम हो सकता है, जिससे ये गैर-प्रतिस्पर्धी हो जायेंगी।

निष्कर्ष

हाल के समय में "इक्वेलाईजेशन लेवी" डिजिटल अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास होने के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है जिसने बेस एरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग (BEPS) की समस्या सहित नयी कर चुनौतियों को उत्पन्न किया है।

VISION IAS

4. सामाजिक मुद्दे

4.1. शिक्षा का अधिकार अधिनियम का अप्रभावी कार्यान्वयन

(Poor Implementation of RTE Act)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- रिपोर्ट 'राष्ट्र की स्थिति: शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1) (c)' ने शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम की धारा 12 (1) (c) के क्रियान्वयन की स्थिति पर प्रकाश डाला है।
- यह रिपोर्ट भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद के आरटीई संसाधन केंद्र, सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन, एकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव (सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च) और कानूनी नीति के लिए विधि केंद्र (Vidhi Center for legal Polity) का एक सहयोगात्मक प्रयास है।

आरटीई अधिनियम की धारा 12 (1) (c) क्या है?

- आरटीई की धारा 12 (1) (c) निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों (अल्पसंख्यक और आवासीय स्कूलों को छोड़कर) को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए, प्रवेश के स्तर पर 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखना अनिवार्य करती है।
- इसका उद्देश्य शिक्षा के अवसर बढ़ाना और समावेशी स्कूली शिक्षा प्रणाली बनाना है।

रिपोर्ट के निष्कर्ष

- शिक्षा के अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के छह साल के बाद भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे अभी भी स्कूलों में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
- सीटें भरने की कम दर - शिक्षा के लिए जिला सूचना प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2014-15 में आरक्षित सीटों में से केवल 15.12 प्रतिशत सीटों पर ही कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रवेश मिल पाया था।
- अन्तर्राज्यीय विभिन्नता - रिपोर्ट से पता चलता है कि राज्यों के बीच आरक्षित सीटें भरने में काफी विभिन्नता है; आंध्र प्रदेश में यह शून्य प्रतिशत है तो दिल्ली में 44.61 प्रतिशत।
- अधिकांश राज्यों में शून्य कार्यान्वयन - 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 18 में यह प्रावधान बिलकुल भी लागू नहीं हुआ है। इसमें आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल, पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे राज्य शामिल हैं।

ख़राब कार्यान्वयन के कारण

- राज्य सरकारें इन आरक्षित सीटों के लिए, निजी स्कूलों को फीस की प्रतिपूर्ति बहुत ज्यादा समय में करती हैं। इसमें दो साल तक लग जाते हैं।
- नागरिकों के बीच इस नियम के बारे में जागरूकता का अभाव है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लोग तो इस नियम को लेकर बिलकुल भी जागरूक नहीं हैं।
- निजी स्कूलों और यहां तक कि राज्यों की ओर से अतिरिक्त खर्च उठाने की अनिच्छा।
- ज्यादातर राज्यों में या तो नियम और दिशा-निर्देश स्पष्ट नहीं हैं या वे इस प्रावधान को लागू नहीं कर रहे हैं।
- बच्चों की सहायता और उन बच्चों की प्रगति की समीक्षा करने के प्रावधान का कार्यान्वयन, स्कूल में प्रवेश के बाद लगभग न के बराबर है।

4.2. महिला ई-हाट

(Mahila E-Haat)

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिला ई-हाट का शुभारंभ किया। यह महिला सशक्तिकरण को मजबूती देने के लिए महिला उद्यमियों हेतु एक विपणन पोर्टल है।

महिला ई-हाट क्या है ?

- 'महिला ई-हाट' एक ऑनलाइन मंच है, जहां महिला उद्यमी अपने उत्पादों को सीधे बेच सकती हैं।
- महिलाओं उद्यमियों को अपने उत्पाद ऑनलाइन बेचने के लिए किसी भी प्रकार के शुल्क के भुगतान की जरूरत नहीं है।
- इस पोर्टल को राष्ट्रीय महिला कोष के तहत 10 लाख रुपये का निवेश करके स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय महिला कोष, महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है।
- इसके तहत पंजीकृत होने के लिए केवल एक ही मानदंड है – विक्रेता (महिला या महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के सदस्य) की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इस मानदंड का निर्धारण केवल बालश्रम के समस्या को समाप्त करने के लिए किया गया है।

इस पहल के लाभ

- यह महिला उद्यमियों को बढ़ावा देगा, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की महिला उद्यमियों को।
- इससे देश भर में 10000 से अधिक स्वयं सहायता समूह और 1.25 लाख महिला लाभार्थियों को फायदा होगा।
- ई-हाट का पूरा व्यापार एक मोबाइल के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है और विक्रेता या खरीदार से कोई कमीशन नहीं लिया जाता।
- कोई मध्यस्थ नहीं होने से अधिक लाभ - इस पहल के माध्यम से, लाभ का एक बड़ा हिस्सा सीधे महिला उद्यमियों के पास जाएगा, क्योंकि बिचौलियों का कोई काम नही होगा।

VISION IAS

4.3. मुसीबत में मदद करने वालों की सुरक्षा

(Protecting Good Samaritans)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए इन्हें अनिवार्य बना दिया है।

यह क्या है?

- यह कदम 2012 में सेव लाइफ नामक गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर जनहित याचिका पर उठाया गया है।
- केंद्र ने मुसीबत में मदद करने वालों की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश जारी किये हैं। ये वे लोग होते हैं जो सड़क पर किसी दुर्घटना के शिकार या संकटग्रस्त व्यक्ति की मदद के लिए आगे आते हैं।
- जब तक सरकार इस मुद्दे पर कोई कानून नहीं बनती, सर्वोच्च न्यायालय ने इन दिशा-निर्देशों को बाध्यकारी बना दिया है।
- सरकार ने भी पुलिस द्वारा या अदालत में प्रत्यक्षदर्शियों के परीक्षण के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है।
- दिशा-निर्देशों के अनुसार दुर्घटना के शिकार लोगों की मदद करने वालों के खिलाफ कोई आपराधिक या सिविल दायित्व आरोपित नहीं किया जायेगा।
- उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जायेगा और लिंग, धर्म, राष्ट्रीयता, जाति या किसी अन्य आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा।
- उन पर स्वयं की पहचान बताने की कोई अनिवार्यता नहीं होगी और पुलिस द्वारा या अदालत में उनको परेशान नहीं किया जायेगा।
- उनके बयान उनकी खुद की सुविधा वाली जगह पर लिए जाने की अनुमति होगी।
- इस पहल का महत्व इस तथ्य में है कि अगर बचाने वाले लोगों को मामले में आवश्यक रूप से फँसने का डर न हो तो दुर्घटना के शिकार लोगों का जीवन बचाया जा सकता है।

4.4 तिहरा तलाक

(Triple Talaq)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम पर्सनल लॉ में तिहरे तलाक के प्रावधानों के खिलाफ याचिका पर उत्तर देने के लिए केंद्र को नोटिस जारी किया है।
- सर्वोच्च न्यायालय में यह याचिका मुस्लिम पर्सनल लॉ में तिहरे तलाक़ और तलाक़ के दूसरे प्रावधानों पर एक मुस्लिम महिला द्वारा दायर की गयी थी।

यह क्या है?

याचिकाकर्ता की दलीलें:

- मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत तात्कालिक तलाक, तलाकशुदा पति के साथ पुनर्विवाह करने से पहले किसी और पुरुष से विवाह और बहुविवाह जैसी प्रथाओं को अवैध और असंवैधानिक घोषित करने के लिए एक रिट या आदेश जारी करने की मांग।
- ये सभी प्रथाएं संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 का उल्लंघन है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने इसका संज्ञान लिया कि विवाह और उत्तराधिकार से जुड़े हुए क़ानून धर्म का हिस्सा नहीं हैं और इन्हें अंतरराष्ट्रीय नियमों और संधियों के आलोक में देखा जाना चाहिए।
- ये प्रथाएं महिलाओं के प्रति अत्यंत भेदभावकरी हैं।
- कई इस्लामी विद्वान भी इस बात से सहमत हैं कि तिहरे तलाक़ जैसी प्रथा का पवित्र कुरान में भी कोई जिक्र नहीं है और सऊदी अरब, पाकिस्तान और ईरान जैसे कई देशों ने इसे प्रतिबंधित कर दिया है।
- उपरोक्त याचिका का महत्व इसलिए है कि इससे पता चलता है कि एक समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है।

4.5. दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यूनिवर्सल आईडी

(Universal ID for Persons With Disability)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्र ने हाल ही दिव्यांगों के लिए यूनिवर्सल आईडी की घोषणा की। इसकी जिम्मेदारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के पास रहेगी।

यह क्या है?

- पहचान पत्र पर एक विशिष्ट संख्या होगी जिसके माध्यम से उनके सभी विवरण को जांचा जा सकेगा। इससे विभिन्न प्रयोजनों के लिए प्रमाण पत्र ले जाने की परेशानी ख़त्म होगी।
- इसमें व्यक्तिगत पहचान पत्र, बैंक से संबंधित प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, शिक्षा एवं रोजगार से संबंधित प्रमाण और आय प्रमाण पत्र जैसे विवरण शामिल होंगे।
- यह देश भर में मान्य होगा और दिव्यांगों के लिए योजनाओं और आरक्षण का लाभ प्राप्त करने को सुलभ बनाएगा।

महत्व

- प्रवासियों को अन्य राज्यों में उनके प्रमाण पत्र आदि की गैर-मान्यता के कारण होने वाली परेशानियों के चलते इस संबंध में उन्हें अपने गृह राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा और उनका विवरण ऑनलाइन ही उपलब्ध हो जाएगा।
- यह दिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता सुनिश्चित करेगा। इससे दिव्यांगता से संबंधित जारी हुए जाली प्रमाण पत्रों की भी पहचान हो सकेगी।

4.6. "वीमेन ट्रांस्फोर्मिंग इंडिया अभियान

(Women Transforming India Campaign)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र संघ और MyGov के सहयोग से भारत में 8 मार्च 2016 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर

VISION IAS

पर 'वूमैन ट्रांसफॉर्मिंग' इंडिया नामक अभियान का शुभारंभ किया।

यह क्या है?

- इसे एक प्रतियोगिता की तरह बनाया गया है जिसमें कुछ नया व अलग काम करने वाली, खुद को या दूसरों को सशक्त बनाने वाली और रुढ़िवादी प्रथाओं को चुनौती देने वाली महिलाओं की प्रविष्टियाँ मांगी गयी है।
- यह विशेष रूप से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण मोर्चों में महिलाओं के नेतृत्व को प्रोत्साहित करेगा।
- विजेता प्रविष्टियों को नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रशस्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा विजेता को सरकार के नीति-निर्माताओं के साथ बातचीत का एक सीधा मौका भी मिलेगा।
- सतत विकास लक्ष्यों के तहत भारत ने "महिलाओं के लिए एक अकेले चल सकने योग्य लक्ष्य" (Stand-alone goal on gender) की जरुरत का समर्थन किया और कहा कि सतत विकास लक्ष्यों में महिलाओं को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।
- सतत विकास लक्ष्यों पर केंद्र और राज्यों के सभी प्रयासों को समन्वित करने और निगरानी की भूमिका नीति आयोग को दी गई है।

महत्व

- यह लैंगिक समानता के लिए सरकार के प्रयासों के साथ सुसंगत है।
- यह पहल लैंगिक मुद्दों पर नागरिकों को जागरूक करेगी।
- यह सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में भी मदद करेगी।
- यह पहल परोक्ष रूप से नवाचार और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को प्रोत्साहित करेगी।

4.7. मनरेगा – मोबाइल प्लेटफार्म

(MGNREGA-M Platform)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- कर्नाटक के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने मनरेगा की निगरानी के लिए हाल ही में 'मनरेगा-एम प्लेटफार्म' नामक एक मोबाइल एप विकसित किया है।

यह क्या है?

- यह मोबाइल एप अधिकारियों और लाभार्थियों को सभी चरणों में प्रगति की निगरानी करने में मदद करेगा।
- इस मोबाइल एप के माध्यम से पंचायत विकास अधिकारी कार्य आदेश जारी कर सकते हैं और साथ ही इसके माध्यम से कार्य की प्रगति की सूचना जिला पंचायत और राज्य सरकार को भेजी जा सकती है।
- लगभग 6000 ग्राम पंचायतों के मोबाइल फोन, विभाग के केंद्रीय सर्वर से आँकड़े प्राप्त करेंगे।
- उदाहरण के लिए
- अगर कोई लाभार्थी एक वर्षा जल संचयन संयंत्र का निर्माण करना चाहता है तो पंचायत विकास अधिकारी को इस बारे में बताकर, तस्वीरों के माध्यम से डेटा भेजकर कार्य शुरू कर सकता है।
- वे निर्माण के हर स्तर के पहले और बाद की तस्वीरें और कार्य पूरा होने के बाद की तस्वीरें एम-प्लेटफार्म पर भेज सकते हैं।
- इससे मजदूरी और अन्य लागत के भुगतान की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक रूप से शुरू की जा सकती है।

महत्व

- इससे पारदर्शिता बढ़ जाती है, पैसे का गलत उपयोग कम होता है और बिचौलियों का हस्तक्षेप कम होता है।
- यह मोबाइल एप केंद्रीय सर्वर को आंकड़ो का हस्तांतरण करके मजदूरों को मजदूरी का आटोमेटिक भुगतान सुनिश्चित करता है।
- नागरिक इंटरफ़ेस – इसके माध्यम से मजदूर कार्य की प्रगति की सूचना अधिकारियों को दे सकते हैं।
- इस एप के माध्यम से सरकार को भी आंकड़ो के संग्रह एव उनकी तुलनात्मक अध्ययन करने में मदद मिलती है।

4.8. बच्चों का दत्तक ग्रहण और उनकी तस्करी

(Adoption And Traficking Of Children)

- सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में बच्चों के दत्तक ग्रहण के दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए सरकार को किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया।
- सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्देश अद्वैत फाउंडेशन द्वारा दायर जनहित याचिका के मद्देनजर आया है, जिसमें दत्तक ग्रहण के दिशा-निर्देशों के अभाव के कारण बच्चों के शोषण की बात की गयी थी।
- इसमें आरोप लगाया गया कि बच्चों को गोद लेने का भारत में एक बड़ा रैकेट चल रहा है और इन बच्चों को अवैध रूप से विदेश ले जाया जाता है और इनका शोषण किया जाता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने किशोर न्याय अधिनियम की धारा 110 के तहत नए नियम बनाने के लिए कहा।
- सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) को अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के संबंध में बच्चों के संरक्षण और सहयोग पर हेग कन्वेंशन के तहत केंद्रीय प्राधिकरण की तरह कार्य करने के लिए कहा।
- CARA महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और दत्तक ग्रहण के कार्यों के लिए शीर्ष प्राधिकरण है।

VISION IAS

5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

5.1 स्वालबोर्ड वैश्विक बीज बैंक

(The Svalbard Global Seed Vault)

यह क्या है?

यह एक सुरक्षित बीज बैंक है जो उत्तरी ध्रुव से लगभग 1300 किमी. (810 मील) दूर स्थित सुदूर आर्कटिक में स्वालबोर्ड द्वीप समूह लाँगियरब्येन (Longyearbyen) के निकट स्थित स्पिट्सबर्जेन(Spitsbergen) नामक नार्वेजियन द्वीप पर अवस्थित है।

उदेश्य

- इस बीज प्रकोष्ठ का उद्देश्य विश्व के फसलों के बीज नमूनों का भण्डारण करना है।
- अतिशीतलन एवं मोटी चट्टानें यह सुनिश्चित करती है कि बीज नमूने बिना बिजली के भी लम्बे समय तक सुरक्षित रहेंगे।
- यह विश्व खाद्य आपूर्ति के लिए एक बीमे की तरह होगा जो आने वाली पीढियों को जलवायु परिवर्तन एवं जनसंख्या वृद्धि की चुनौतियों से निपटने के लिए विकल्प उपलब्ध कराएगा।
- यह वर्तमान विश्व की प्रत्येक प्रकार की फसल का प्रतिनिधित्व करने वाले, शताब्दियों से सुरक्षित लाखों बीजों का अंतिम बैंक अप होगा।

5.2 ट्रेस गैस आर्बिटर अभियान (TGO)

(Trace GAs Orbiter (TGO) Mission)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी (रॉसकॉस्मोस) एवं यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ई एस ए) ने ट्रेस गैस आॅर्बिटर (TGO) नामक संयुक्त मंगल अभियान का प्रक्षेपण किया गया है।
- ट्रेस गैस आरर्बिटर प्रवेश, अवरोहण, एवं अवतरण माड्यूल (Entry, Descent and landing demonstrator Module (EDM)) को वहन करता है जिसे शियापरेली (Schiaparelli) कहते हैं।
- मंगल पर गैसों यथा मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रोजन आक्साइड एवं एसीटीलीन का पता लगाना।

अभियान का लक्ष्य

- मंगल के वातावरण में मीथेन एवं अन्य दुर्लभ गैसों का अध्ययन करना।
- इसकी सतह पर एक लैण्डर (शियापरेली) को उतारना। नीचे उतरते समय यह अन्वेषक तस्वीरें लेगा किन्तु इस पर कोई सतही कैमरा उपस्थित नहीं है। अपनी बैटरी के समाप्त होने तक यह पर्यावरणीय प्रेक्षण करेगा।
- मुख्य लक्ष्य इसके अवरोहरण रडार, कम्प्यूटरों एवं एल्गोरिथम्स का प्रदर्शन करना है।
- यह उस प्रणाली में प्रयुक्त होगा जो भविष्य में एक्सोमार्स रोवर(ExoMars rover) को मंगल की सतह पर उतारेगा।
- ट्रेस गैस आर्बिटर एक वैज्ञानिक पेलोड का वहन करता है जो मंगल के वातावरण में गैसों का पता लगाने एवं उनके विश्लेषण में सक्षम हैं।

5.3 अल्फा गो

(Alpha Go)

(कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विषय में पिछले संस्करणों में उल्लेख किया जा चुका है।)

- अल्फा गो, लंदन स्थित गूगल डीपमाइण्ड(Deep Mind) द्वारा बोर्ड गेम गो (Go) खेलने के लिए विकसित एक कंप्यूटर प्रोग्राम है।
- यह पहला ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसने जी ओ (Go) के खेल में किसी पेशेवर खिलाड़ी को हराया है।
- इसने न केवल विश्व के सर्वाधिक जटिल बोर्ड गेम में श्रेष्ठता हासिल की है बल्कि कृत्रिम बुद्धिमता की भविष्य की संभावना को भी बदल कर रख दिया।
- अल्फागो न्यूरल नेटवर्क एआई(AI) इन्जिन्स द्वारा चालित कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि इस प्रोग्राम को सर्वश्रेष्ठ गो खिलाड़ियों से प्राप्त डेटा के प्रेक्षण से सीखने और उसके बाद स्वयं को बेहतर करने के लिए प्रशिक्षित करता है।
- इसके द्वारा स्वयं को प्रशिक्षित कर सकने की क्षमता का सिद्धांत दूसरे कार्यों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे स्वयं को अनेक चित्रों को देखकर चेहरा पहचानना सिखाना।
- कृत्रिम बुद्धिमता विशाल डेटाबेस को देखकर गणनाएँ करने में भी लोगों की मदद कर सकती है जैसा कि ये शतरंज या गो जैसे "पूर्ण सूचना परक खेलों"**(complete information games)** में करती है।
- 'अपूर्ण सूचनावरक खेलों'**(incomplete information games)** में यह उन स्थितियों में इस्तेमाल की जा सकती है जहाँ सौदेबाजी या साइबर सुरक्षा जैसे अंजान कारक अधिक हो।

5.4. टच डीएनए

(Touch DNA)

- विश्व भर की अदालतों में इस बात को लेकर मतभेद है कि क्या टच डीएनए को किसी की दोष सिद्धि के लिए विश्वसनीय प्रमाण माना जा सकता है।
- टच डीएनए एक प्रकार की डीएनए विश्लेषण पद्धति है जिसमें अपराध स्थल पर अपराधी द्वारा पीड़ित या हथियार या किसी अन्य वस्तु को स्पर्श करते समय छोड़ा गया आनुंवाशिक गुण सूक्ष्म मात्रा में छूट जाता है।

VISION IAS

विवाद में क्यों?

- यद्यपि बहुत से विद्वान इसे केस को सुलझाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण मानते हैं तथापि कुछ आलोचक जैसे FBI इसे विश्वसनीय नहीं मानते हैं।
- इसका कारण है मात्रा का अत्यन्त सूक्ष्म होगा। नमूने इतने छोटे (100 पीको ग्राम 4176 मानव कोशिकाओं से भी कम) होते हैं कि उनका प्रसार कर विश्लेषण करना अत्यन्त कठिन हो जाता है।

5.5 टिंटोरैग

(Tintorang)

सुर्ख़ियों में क्यों?

एक विज्ञान स्टार्ट-अप है जिसका प्रारम्भ भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) में हुआ है । इसने विश्व के प्रथम खाद्य-स्तरीय DNA/RNA Stain का निर्माण किया है।

महत्वपूर्ण क्यों?

- पारंपरिक तौर पर जीव वैज्ञानिकों एवं जीनोम विशेषज्ञों द्वारा फसल सुधार एवं खाद्य परीक्षण से लेकर फोरेंसिक अनुप्रयोगों के लिए कैंसरजनक एवं विषैले न्यूक्लिक एसिड रंजकों का इस्तेमाल किया जाता है।
- टिंटोरैग (एक अज्ञात पादक स्त्रोत से विकसित) को डीएनए एवं दृश्यीकरण, आण्विक जांच एवं इन वीवों (in vivo) इमेजिंग अनुप्रयोगों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

रंजक का इस्तेमाल ऊतकों या कोशिकाओं को रंगने में होता है एवं ये सूक्ष्मदर्शीय अध्ययन तथा पहचान करने को भी संभव बनाते हैं जिसका शोधकर्ताओं के लिए विशेष महत्त्व है।

अनुप्रयोग

- बीमारियों की जांच में टिंटोरैंग के प्रयोग हेतु बैक्टीरियल कल्चर की आवश्यकता नहीं पड़ती जिसके कारण परिणाम अत्यन्त शीघ्रता से प्राप्त होते हैं।
- टिंटोरैंग एच.आई.वी. एड्स जैसी घातक बीमारियों की प्रयोगशाला जांच में लगने वाले वर्तमान समय (3-45 दिन) को घटा कर 1 दिन कर सकता है।
- इसके अलावा एक DNA / RNA रंजक का प्रयोग कई परीक्षणों के लिए किया जा सकता है क्योंकि एक परीक्षण से न्यूक्लिक अम्ल की संरचना में परिवर्तन नहीं होता।
- टिंटोरैग उपभोग के लिए भी सुरक्षित है क्योंकि यह एक खाद्य योगज(food additive) है। अतः वैज्ञानिकों द्वारा इसका उपयोग अत्यन्त सुरक्षित है।
- स्वदेशी, तीव्रतर एवं दुबारा इस्तेमाल के योग्य होने के कारण यह आण्विक जांच की लागत घटा देगी।

5.6 ट्रेसोर्स प्रोजेक्ट

(Treasores Project)

सुर्ख़ियों में क्यों?

यूरोप के शोधकर्ताओं ने 'पारदर्शी इलेक्ट्रोड एवं अवरोधक पदार्थ' नामक एक नई प्रौद्योगिकी विकसित की है । इसे अगली पीढ़ी के लचीले प्रकाश उपकरणों(optoelectronics devices) जैसे एलईडी, सौर सेलों एवं टफ पैनलों इत्यादि में इस्तेमाल किया जा सकता है।

यह क्या है ?

- यह ट्रांसपैरेंट इलेक्ट्रोडस फॉर लार्ज एरिया लार्ज स्केल प्रोडक्शन आफ आर्गेनिक आप्टोइलेक्ट्रानिक्स डिवाइसेस(Transparent Electrodes for large area large scale production of organic optoelectronics devices) का संक्षिप्त नाम है।
- वर्तमान में इंडियम टिन आक्साइड (ITO) प्रकाश-इलेक्ट्रिक उपकरणों में व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है।
- ट्रांसपैरेंट आर्गेनिक इलेक्ट्रोड- यह कार्बनिक बहुलकों से बने इलेक्ट्रोडो का प्रयोग करता है जो आई टी ओ इलेक्ट्रडो के विपरीत (जो 2 परमाणुओं के संयोजन से बनते हैं), अणुओं के संयोजन से बनते हैं।
- वर्तमान में चिंता केवल इसकी कार्यकुशलता और आवेश गतिशीलता को लेकर है (क्योंकि आईटीओ इलेक्ट्रोडो में अणु सुव्यवस्थित अवस्था में होते हैं,जबकि कार्बनिक इलेक्ट्रोडों में वे सुव्यवस्थित अवस्था में नहीं होते हैं।)

इण्डियम टिन ऑक्साइड (ITO) के साथ समस्याएँ

- इण्डियम एक महंगी एवं दुर्लभ धातु है।
- इण्डियम टिन आक्साइड उपकरणों में यांत्रिक लचीलापन/प्रत्यास्थता अत्यन्त निम्न होती है।
- सीमित स्पेक्ट्रल परिचालन अर्थात यह प्रकाश के सभी स्पेक्ट्रमों में कार्य नहीं कर सकते।

पारदर्शी कार्बनिक इलेक्ट्रोडो को इस्तेमाल करने के लाभ :

- कार्बनिक इलेक्ट्रोडो के निर्माण की मूल इकाई अणु है जो परमाणुओं से बड़ा होता है। इस कारण इनका निर्माण एवं उपयोग सरल होता है।
- कम लागत
- बेहतर यांत्रिक प्रत्यास्थता
- वृहत् स्पेक्ट्रल उपयोगिता
- पारदर्शी अवरोधकों को शामिल करके संवेदनशील कार्बनिक इलेक्ट्रानिक उपकरणों के भीतर नमी एवं आक्सीजन के प्रवेश को रोका जा सकता है।

VISION IAS

- अतः पारदर्शी कार्बनिक इलेक्ट्रोड एवं अवरोधक का संयोजन उपकरणों की लागत एवं प्रत्यास्थता के अर्थ में सौर उद्योग के लिए वरदान साबित हो सकती है।

5.7 नासा इन साइट मिशन

(NASA Insight Mission)

सुर्ख़ियों में क्यों?

नासा के अधिकारियों ने मार्च 2016 में होने वाले इनसाइट मिशन के प्रक्षेपण को टालने का फैसला किया है। यह निर्णय इसके पे लोड के एक मुख्य पुर्जे के मरम्मत के असफल प्रयासों के बाद लिया गया है।

इनसाइट मिशन के विषय में

- इण्टीरियर एक्स्प्लोरेशन यूसिंग सीस्मिक इवेस्टिगेशन, जियोडेजी एण्ड हीट ट्रांस्पोर्ट(**I**nterior Exploration using **S**eismic **I**nvestigation, **G**eodesy and **H**eat **T**ransport) का यह संक्षिप्त नाम है। यह नासा का डिस्कवरी प्रोग्राम मिशन है जो मंगल के गहरे आंतरिक भाग के अध्ययन के लिए इस पर एक जियोफिजिकल लैण्डर उतारेगा।
- इसका उदेश्य 4 अरब वर्षों पूर्व पृथ्वी जैसे चट्टानी ग्रहों के लिए उत्तरदायी कारकों का अध्ययन करना है।
- एसईआईएस (Seismic Experiment for Interior Structure) यह परमाणु जितने आकर वाले सूक्ष्म भौमिक संचलनों/हलचलों को माप सकता है। बेहतर संवेदनशीलता प्राप्त करने के लिए इसे निर्वात प्रकोष्ठ में कार्य करने की आवश्यकता होती है।
- हीट फ्लो एण्ड फिजिकल प्रापर्टीज पैकेज-यह स्वयं को मंगल की भूमि में 16 फीट की गहराई तक गाड़ेगा।

मंगल के लिए दूसरे अभियान

वर्तमान अभियान

- मंगल की सतह का आॅपरच्यूनिटी एवं क्यूरियासिटी रोवर अन्वेषण कर रहे हैं।
- ओडिसी एवं मार्स रिकानेसेंस कक्षीय (**Odyssey** and **Mars Reconnaissance Orbiter**) यान मंगल ग्रह का चक्कर लगा रहे हैं।
- मार्स एटमासफीयर एण्ड वोलाटाइल इवोल्यूशन मिशन (Mars Atmosphere and Volatile Evolution Mission, MAVEN) जो वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद कर रहा है कि मंगल के वातावरण में क्या हुआ था।
- वर्ष 2014 में भारत ने अपने प्रथम कक्षीय अभियान मंगलयान को मंगल की कक्षा में प्रवेश कराया।

भविष्य के अभियान

- नासा मंगल के लिए एक महत्वांकाक्षी परियोजना पर कार्य कर रहा है जिसके तहत मनुष्यों को इस ग्रह पर भेजा जाएगा।
- इसरो द्वारा 2018 से 2020 के बीच मंगलयान 2 के प्रक्षेपण की योजना है। इस अभियान में संभवतया लैंडर एवं मार्स रोवर शामिल होंगे।

5.8 एंटी-माइक्रोबियल रेजिस्टेंस फण्ड

(Anti-Microbial Resistance Fund)

- डिपार्टमेंट ऑफ़ बायोटेक्नोलॉजी (DBT) ने बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल (BIRAC) के माध्यम से एक भारत-केन्द्रित सीड फण्ड आरंभ करने हेतु 1 लाख डॉलर का निवेश किया है।
- यह भारत में इस क्षेत्र में काम कर रहे समूहों को लोंगीट्यूड पुरस्कार प्राप्त करने में सहायता करेगा।
- यह पुरस्कार यू. के. की एक चैरिटी संस्था नेस्टा द्वारा दिया जाता है जिसमे 1 करोड़ पौण्ड की पुरस्कार राशि शामिल होती है। यह पुरस्कार विश्व के किसी भी एकल समूह को दिया जाता है जो सूक्ष्म जीवाणुओं के विरुद्ध प्रतिरोधकता का पता लगाने हेतु एक प्रभावी एवं वहनीय चिकित्सकीय जांच का विकास करते हैं।

भारत के लिए महत्व

- भारत में कई ऐसे रोगों (जैसे टी.बी.) के संदर्भ में दवा प्रतिरोधकता की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है, जहाँ ऐसे रोगों में फ्रंट लाइन ड्रग्स के प्रति प्रतिरोधकता का विकास हुआ है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा वर्ष 2014 के लिए प्रदत्त आंकड़ों (जहां ड्रग-रेजिस्टेंस टी.बी. के मामलों में लगातार वृद्धि की बात कही गयी है) के अनुसार विश्व भर में 90 लाख नए टी.बी. रोगियों की संख्या अनुमानित की गई है जिनमें से लगभग 22 लाख मामले भारत में पाए गए हैं, जो इसकी भयावहता को इंगित करता हैं।

एंटी-माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में वृद्धि के कारण:

- निगरानी का अभाव
- चिकित्सकों द्वारा गैर-जिम्मेदारी पूर्वक तरीके से रोगियों के लिए ऐसे दवाओं के लिखे जाने के कारण ये आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं।
- इन दवाओं के अंधाधुंध उपयोग के कारण समय के साथ सूक्ष्म जीवाणुओं में इनका प्रतिरोध बढ़ता जा रहा है।

5.9 आई. आर. एन एस एस-1 एफ

(IRNSS-1F)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल में इसरो ने भारत का 6ठा समर्पित नौवहन उपग्रह, आई.आर.एन.एस.एस-1 एफ प्रक्षेपित किया।

VISION IAS

आई.आर.एन.एस.एस-1 एफ के विषय में

- इस उपग्रह का प्रक्षेपण भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV) से किया गया।
- इस उपग्रह में 2 पेलोड शामिल हैं- नेविगेशन पेलोड एवं रेंजिंग पेलोड
- नैविगेशन पेलोड नौवहन सेवा के संकेतों को प्रसारित करेगा एवं L5 बैंड (एल5 बैंड) में कार्य करेगा।
- रेंजिंग पेलोड में सी-बैंण्ड ट्रांसपोंडर(C-band transponder) शामिल हैं जो उपग्रहों के परास के सटीक निर्धारण को सुगम बनाता है।
- इसरो अब आई.आर.एन.एस.एस. श्रृंखला के अन्तिम उपग्रह (IRNSS-1G) को प्रक्षेपित करने की तैयारी में है और इस पर कार्य भी आरंभ हो चुका है।

5.10 भारत का प्रथम स्वदेशी सोनार गुम्बद

(India's first indigenous Sonar Dome)

सुर्ख़ियों में क्यों

हाल में रक्षा मंत्री ने भारत के प्रथम मिश्रित स्वदेशी सोनार गुम्बद शुभारंभ किया।

यह क्या है?

- इसकी डिजाईन एवं निर्माण का श्रेय पुणे की रक्षा एवं अनुसंधान संगठन (DRDO) प्रयोगशाला को जाता है।
- सभी पनडुब्बी रोधी युद्धक (anti-submarine warfare, ASW) जहाजों में जल रेखा के नीचे के भाग में सोनार पंक्ति लगी होती है।
- सोनार जहाज के जलगत आँख एवं कान की तरह होते हैं।

सोनार गुम्बद क्या है?

सोनार गुम्बद जलयानों एवं पनडुब्बियों के ढांचे पर अवस्थित होते हैं। उनमें अन्वेषण, नौवहन व रेंजिंग के लिए प्रयुक्त इलेक्ट्रानिक उपकरणों का संग्रहण होता है।

5.11 बेडाक्विलीन

(Bedaquiline)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- विश्व तपेदिक दिवस (24 मार्च) के अवसर पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत दवा प्रतिरोधी तपेदिक (ड्रग रेजिस्टेंट टी.बी.) के लिए एक नई दवा बेडाक्विलीन जारी की गई।
- इसे पांच राज्यों के 104 जिलों में उपलब्ध कराया जाएगा।

बेडाक्विलीन क्या है ?

- यह जीवनुनाशकों के नए संवर्ग से जुड़ी प्रतिजैविक दवा (diarylquinolines) है।
- यद्यपि यह दवा विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं के विरुद्ध काम करेगी, तथापि इसे विशेष रूप से मल्टीड्रग रेजिस्टेंट टी.बी. के इलाज के लिए प्रभावी माना गया है।
- यह विशेष रूप से जीवाणु के अन्दर ए.टी.पी. निर्माण की प्रक्रिया को लक्षित करता है जो कि माइकोबैक्टिरियम ट्यूबरकुलासिस एवं अधिकांश अन्य माइकोबैक्टीरीया के लिए अनिवार्य एंजाइम है।
- यह दवा टयूबरकुलासिस-रोधी दवाओं में अद्वितीय है क्योंकि यह ट्यूबरकुलासिस की ऊर्जा एवं उसके द्विगुणन के लिए आवश्यक एन्जाइम की प्रक्रिया को बाधित करती है।

महत्त्व

- विशेष रूप से टी.बी. के इलाज के लिए अन्तिम बार रिफैम्पिसिन नामक दवा को 1960 के दशक के अन्त में लाया गया था।
- तब से विश्व में रिफैम्पिसिन के प्रति प्रतिरोध बढ़ता ही जा रहा है।
- यह एक चिंता का विषय है क्योंकि रिफैम्पिसिन वर्तमान में टीबी के इलाज हेतु सर्वाधिक प्रभावी दवा है।
- बेडाक्विलीन उन टी.बी. रोगियों के इलाज लिए प्रयुक्त होती है, जिनमें रिपैम्फिसिन नामक दवा के साथ-साथ आइसोनियाजिड के प्रति प्रतिरोधकता का विकास होने के कारण वे MDR-TB के लक्षण से ग्रस्त होते हैं।

5.12.फोटोडाइनैमिक थेरेपी

(Photodynamic Therapy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) बंगलूरु के वैज्ञानिकों ने कार्बनिक समूहों से सुसज्जित लौह आधारित यौगिकों के प्रयोग द्वारा कैंसर कोशिकाओं को मारने का एक नया तरीका खोजा है। इस पद्धति को फोटो डाइनैमिक थेरेपी कहते हैं।

यह क्या है?

- इस इलाज में फोटोसेन्सिटाइजर या फोटो सेन्सिटाइजिंग एजेंट नामक दवा तथा विशेष प्रकार के प्रकाश का उपयोग किया जाता है।
- प्रत्येक फोटोसेंसेटाइजर विशेष तरंग दैर्ध्य के प्रकाश द्वारा सक्रिय किया जाता है जो यह निर्धारित करता है कि प्रकाश शरीर के अन्दर कहाँ तक जा सकता है।
- जब इसे प्रकाश के विशेष तरंग दैर्ध्य के सामने रखा जाता है तो यह ऑक्सिजन का एक प्रकार उत्पन्न करता है जो निकट स्थित कोशिकाओं को समाप्त कर देता है।
- इस प्रकार चिकित्सक शरीर के विभिन्न भागों के इलाज के लिए प्रकाश के विशिष्ट तरंग दैर्ध्य एवं फोटोसेंसेटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं।

5.13 कॉम्बिनेशन ड्रग्स पर प्रतिबंध

(Ban on Combination Drugs)

मुद्दा क्या है?

- सरकार ने हाल ही में 344 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशनों पर प्रतिबंध लगाया है और तकरीबन 600 अन्य दवाओं को भी प्रतिबंधित करने के लिए सूचीबद्ध किया है।
- बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार को प्रतिबंध लगाने से तब तक के लिए रोका है जब तक न्यायालय इस प्रतिबंध के आदेश के विरुद्ध दवा निर्माताओं की याचिकाओं पर अपना निर्णय न सुना दे।

प्रतिबंध के कारण?

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर गठित स्थायी संसदीय समिति के अनुसार इन दवा संयोजनों को मान्यता देने में कई समस्याएँ हैं।
- समिति ने यह भी पाया कि इनमें से कई दवाएँ पश्चिमी देशों में पहले से ही प्रतिबंधित हैं।
- चिकित्सकीय कारण-फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन(एफडीसी) अप्रभावी, खतरनाक और अनुपयोगी हैं जैसा कि कई शोधों में भी बताया गया है।
- ये दवाएं व्यसन बन जाती हैं जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में एक गंभीर समस्या के रूप में देखा जा रहा है।

फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन(एफडीसी) क्या है ?

FDCs ऐसी दवा है जिसमें 2 या अधिक एक्टिव फार्मस्यूटिकल घटकों(active pharmaceutical ingredients (APIs)) को एक निश्चित खुराक में एकल दवा बनाने के लिए मिलाया जाता है। संयोजित उत्पाद के पार्श्व प्रभाव एवं प्रभाव इसके मूल घटकों से अलग होते हैं एवं कभी-कभी संयोजन में वह खतरे छुपे होते हैं जो मूल घटकों में भी नहीं होते। अतिरिक्त खतरा यह है कि जब किसी रोगी में दवा के प्रति प्रतिक्रिया होती है तो यह जानना कठिन हो जाता है कि इस पार्श्व प्रभाव के लिए कौन-सा घटक जिम्मेदार है।

निर्णय के निहितार्थ

- FDCs पर प्रतिबंध, दवाओं के मूल्य को थोक मूल्य सूचकांक से जोड़ना तथा अनेक दवाओं को मूल्य नियंत्रण में लाने जैसी प्रक्रियाएँ दवा/फार्मस्यूटिकल उद्योग के समस्त कारोबार में 12% कमी ला सकती है।

उपाय

- विनियमन को सरल बनानाः वर्तमान में राज्य एवं केन्द्र किसी दवा के 'निर्माण' एवं 'विपणन' के लिए अलग-अलग लाइसेंस जारी करते हैं। उपभोक्ताओं को उपयुक्त एफ.डी.सी. उपलब्ध हो रही है या नहीं यह सुनिश्चित करने के लिए विनियमन की एक सरल व कारगर व्यवस्था की आवश्यकता है।
- एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिकरण की स्थापना होनी चाहिए जो फार्मस्यूटिकल उद्योग में स्वास्थ्य एवं वाणिज्यिक दोनों मुद्दे को देख सके।
- फार्मस्यूटिकल/दवा निरीक्षणालयों को पर्याप्त अवसंरचना एवं कोष उपलब्ध कराना चाहिए ताकि वह दवा के चिकित्सकीय गुणों के परीक्षण की अपनी क्षमता को बढ़ा सकें।

5.14 सुपरफ्लेयर्स

(Superflares)

- सूर्य की सौर लपटे अक्सर पृथ्वी पर उच्च ऊर्जा कणों के साथ आतीं है जिससे अरोरा बोरियालिस(Aurora Borealis) की उत्पत्ति होती । इनसे कभी-कभी ऊर्जा नेटवर्कों एवं संचार में बाधा उत्पन्न होती है।
- एक अन्तर्राष्ट्रीय अनुसंधान दल का विचार है कि हमारा सूर्य एक सुपरफ्लेयर तारे में बदल रहा है जो अति उच्च ऊर्जा की सुपरफ्लेयर्स नामक लपटें उत्पन्न करने में सक्षम है।
- सुपरफ्लेयर्स 4 वर्ष पूर्व केप्लर मिशन के दौरान अपनी खोज के समय से ही रहस्य बने हुए हैं।
- सुपरफ्लेयर्स तारों में देखे जाने वाले वह विशालकाय विस्फोट होते हैं जिनमें सामान्य सौर लपटों से 10,000 गुना अधिक ऊर्जा होती है।
- तारों की सतह पर सुपरफ्लेयर्स चुम्बकीय क्षेत्र सामान्यतः सूर्य की सतह की सौर लपटों से अधिक शक्तिशाली होता है।
- तथापि, शोध में विश्लेषित सुपरफ्लेयर्स वाले सभी तारों में से लगभग 10% तारों में सूर्य के बराबर या उससे थोड़ा कमजोर चुम्बकीय क्षेत्र देखा गया। अतः संभावना है कि हमारा सूर्य भी भविष्य में एक सुपरफ्लेयर में बदल जाए।

VISION IAS

6. आंतरिक सुरक्षा

6.1. जिला रिजर्व बटालियन

(District Reserve Battalions)

सुर्ख़ियों में क्यों?

जिला रिजर्व समूह (DRG), स्थानीय स्तर पर गठित रक्षा बल है जिसका काम माओवादियों से निपटना है। पिछले एक साल में दक्षिणी छत्तीसगढ़ में आतंकवाद विरोधी कार्रवाई में इसने मदद की है।

DRG के बारे में

- यह पहली बार कांकेर (उत्तरी बस्तर) और नारायणपुर (अभुजमाड़) में 2008 में बनाया गया था और पांच साल के अंतराल के बाद यह बल 2013 में बीजापुर और बस्तर जिलों में गठित किया गया था।
- DRG में अधिकारियों सहित 1700 के करीब रक्षाबल हैं।
- DRG में कार्यरत व्यक्ति पूर्ण रूप से पुलिस अधिकारियों के समान हैं और अन्य पुलिसकर्मी की तरह ही उनकी भी जवाबदेही है और इस तरह राज्य उनके कार्यों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है।
- उन्हें 'भूमिपुत्र" कहा दिया जाता है क्योंकि इन पुलिसकर्मियों की भर्ती स्थानीय युवाओं और बस्तर संभाग के उन पूर्व नक्सलियों के बीच से की जाती है जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है।

डी.आर.जी. के लाभ

- वे बस्तर के घने जंगलों और दुर्गम इलाके से अच्छी तरह से परिचित होते हैं।
- वे भावनात्मक रूप से इस क्षेत्र से जुड़े होते हैं क्योंकि वे इस जगह के हैं। वे माओवादियों से कुशलतापूर्वक अपने अन्दर निहित प्रेरणा की वजह से लड़ रहे हैं।
- डी.आर.जी. के रंगरूटों में से कई लोग पूर्व नक्सली होते हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है और गैरकानूनी घोषित सी.पी.आई. (माओवादी) में सेवारत रह चुके हैं। इसलिए उन्हें जंगल में माओवादियों के आंदोलन, उनके कार्यक्रम, आदतें और परिचालन पैटर्न के बारे में पता होता है।
- जब परिस्थितियों से निपटने की बारी आती है तो उन्हें बेहद "लचीला" समझा जाता है। अच्छी तरह से प्रशिक्षित रक्षाबल मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। आत्मसमर्पण कर चुके ये कार्यकर्ता, नियमों का पालन नहीं करते हैं और इस तरह जंगलों में गुरिल्ला युद्ध के लिए बेहतर रूप से सुसज्जित हैं।
- डी.आर.जी. का एक अच्छा स्थानीय सूचना नेटवर्क है जो उन्हें विशिष्ट सूचनाओं के आधार पर अभियान शुरू करने में मदद करता है।

डी.आर.जी. की आलोचना

- पुलिस के आलोचकों का कहना है कि आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों की राज्य के उपकरण के रूप में उपयोग की अवधारणा प्रतिबंधित सलवा जुडूम के मॉडल पर आधारित है।
- आरोप है कि डी.आर.जी. . कार्यकर्ता निर्दोष ग्रामीणों को परेशान करते हैं और गांवों में महिलाओं का यौन शोषण भी कर रहे हैं।
- पुलिस पर डी.आर.जी. की मदद से सामूहिक सजा के रूप में व्यापक छापे मारने और ग्रामीणों को पूर्व नियोजित अपराधों में फँसाने का आरोप लगाया जाता है।

निष्कर्ष

- सरकार को उग्रवाद का खात्मा करने के लिए अपने सभी संसाधनों का उपयोग करना पड़ता है। हालांकि, ऐसा करने में सरकार को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।
- राज्य सरकार को डी.आर.जी. की भर्ती में और अधिक पारदर्शिता लाने की ज़रुरत है और डी.आर.जी. के गलत कामों की निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए। नक्सलवाद को केवल बलप्रयोग कर के हराया नहीं जा सकता है; संघर्ष क्षेत्र में रहने वाले लोगों का दिल और दिमाग जीतना बहुत आवश्यक है।

6.2. सार्क देशों में सीमा पार आतंकवाद से निपटना

(Tackling Cross-Border Terrorism in SAARC Nations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- उच्चतम न्यायालय के न्यायधीश न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे ने सार्क के सदस्य देशों के लिए एक उभयनिष्ठ अदालत की स्थापना का सुझाव दिया है।ऐसा नकली नोटों, नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी और 26/11 जैसे सीमा पार के आतंकी हमलों और अपराधों से निपटने के लिए एक कदम के रूप में सुझाया गया है।

लाभ

- ऐसी अदालत जो सभी सार्क देशों के न्यायाधीशों से मिलकर बनी होगी, से शायद त्वरित न्याय सुनिश्चित होगा। इसके साथ ही साथ यह सीमा पार मामलों पर सहयोग सुनिश्चित करेगा।
- यह भी सुझाव दिया गया है कि सार्क देशों के न्यायाधीशों के लिए एक आम सुरक्षित वेबसाइट बनाया जाए। यह वेबसाइट आतंकी संगठन और उनके आकाओं द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले हथियारों और उपकरणों और आतंकवादियों के काम करने का ढंग के बारे में सूचना का आदान-प्रदान करेगी।

चुनौतियां

- विशेषज्ञों की राय है कि इस विचार को लागू करना मुश्किल होगा क्योंकि भारत-पाकिस्तान के बीच प्रत्यर्पण संधि हस्ताक्षरित नहीं है।
- राज्य (पाकिस्तान) एजेंसियाँ जैसे आई.एस.आई. और सेना आतंकी समूहों के सहयोग में लगी हुई हैं।
- भारत और पाकिस्तान के बीच विश्वास की कमी।
- पाकिस्तान ने यह कभी स्वीकार नहीं किया है कि भारत विरोधी आतंकवादी संगठन उसके क्षेत्र में फल-फूल रहे हैं

VISION IAS

- अफगानिस्तान में आंतक सरकार नियंत्रित करने का एक साधन बन गया है।

6.3. आठवां अंतर्राष्ट्रीय भारत सुरक्षा शिखर सम्मेलन

(8th International India Security Summit)

सुर्ख़ियों में क्यों?

8वां अंतर्राष्ट्रीय "भारत सुरक्षा शिखर सम्मेलन: राष्ट्र की सुरक्षा" एसोचैम द्वारा आयोजित किया गया था, जो वाणिज्य और उद्योग के लिए भारत का शिखर प्रकोष्ठ है।

शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं:

- एसोचैम के अध्यक्ष ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला
  - भारत की आंतरिक सुरक्षा चिंता का एक प्रमुख क्षेत्र बना हुआ है, जिसे लगातार आंतरिक साइबर अपराध, भौतिक अपराध, आर्थिक धोखाधड़ी, उग्रवाद, सीमा पार के घटनाक्रम से उत्पन्न होने वाली सुरक्षा चिंता की बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
  - यह राज्य का कर्तव्य और कार्य है कि वह अपने नागरिकों, संगठनों और संस्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करे और उनकी सुरक्षा के सामने आने वाले सभी खतरों का निवारण करे। इसके साथ ही कानून और व्यवस्था बनाए रखने के पारंपरिक कार्य को भी दुरुस्त रखे।
  - आज जबकि आधे से अधिक वैश्विक आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है, सुरक्षित शहर का होना उत्तरोत्तर रूप से सुरक्षित रहने और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक माना जा रहा है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला:

- विकास और प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ इन दिनों साइबर अपराध दुनिया भर में सबसे बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है।
- साइबर स्पेस का इस्तेमाल युवामन को कट्टरपंथी बनाने के लिए किया जा रहा है।
- साइबर अपराध के साथ मुख्य समस्या इसका पता लगाना और अभियोजन है, क्योंकि यह चेहराविहीन और सीमाविहीन है।
- पूर्वगठित विशेषज्ञ समूह ने देश में साइबर अपराधों से लड़ने के लिए एक भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र (Cyber Crime Coordination Centre, I4C) की स्थापना करने के लिए सिफारिश की है।
- इससे पहले अपराध भूमि, जल और वायु में उत्पन्न होते थे। 20 वीं सदी में इसमें अंतरिक्ष का आयाम जुड़ गया। लेकिन आजकल, साइबर अपराध अपनी संख्या में कई गुना वृद्धि दिखा रहा है। यह मद्देनज़र रखते हुए कि मोबाइल फोन और इंटरनेट की पहुंच दूर-दराज के क्षेत्रों सहित दुनिया भर में है, साइबर अपराध एक गंभीर चिंता का विषय है।
- भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत ने सुझाव दिया कि भारत को साइबर अपराध पर कन्वेंशन जिसे बुडापेस्ट कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, को स्वीकार करना चाहिए।
- बुडापेस्ट कन्वेंशन पहली अंतरराष्ट्रीय संधि है जो कि राष्ट्रीय कानूनों में तालमेल, खोजी तकनीकों के लिए कानूनी अधिकरणों में सुधार, और देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने के माध्यम से इंटरनेट और कंप्यूटर से संबंधित जैसी समस्याओं का समाधान करती है।
- एक पार्टी के रूप में, भारत उस प्रमाणित ढांचे से लाभान्वित होगा जिसके तहत कई राष्ट्र साइबर अपराध और ऐसे अन्य अपराध जिसमे इलेक्ट्रॉनिक सबुत जुड़े हैं के संबंध में व्यापकतम संभव सीमा तक एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- बुडापेस्ट सम्मेलन साइबर सुरक्षा पर एकमात्र बहुपक्षीय सम्मेलन है ,इसलिए यह किसी देश की आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।
- भारत सहित अन्य विकासशील देशों ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इसका मसौदा संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में विकसित देशों द्वारा उनसे(विकासशील देशों से) परामर्श लिए बिना तैयार किया गया है।

6.4. भारत की साइबर सुरक्षा संरचना

(India's Cyber Security Architecture)

डिजाइन और सघनता: यह दो बातें भारत की डिजिटल दुनिया को संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जैसी बड़ी शक्तियों से अलग करती हैं।

डिज़ाइन

- भारत एक निवल संसूचना निर्यातक (**net information exporter**) देश है।
- इसके संसूचना निर्यात का गंतव्य पश्चिमी देश हैं, जहाँ लाखों भारतीयों का पर्सनल डेटा जाता है।
- यह एक डिजाइन का दोष नहीं है, अपितु सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की लोकप्रियता और भारत सरकार द्वारा डेटा के प्रवाह को सीमित करने के लिए किसी भी गंभीर प्रयास की कमी को दर्शाता है।
- अप्रतिबंधित सूचना प्रवाह भारत की साइबर सुरक्षा संरचना को कई खतरों के प्रति अतिसंवेदनशील बनाता है।

घनत्व

- लगभग 500 मिलियन भारतीय आज इंटरनेट का उपयोग करते हैं, लेकिन वे एक ही प्रकार के उपकरण से इंटरनेट का उपयोग नहीं करते।
- उदाहरण के लिए, अमेरिका में एप्पल की बाजार हिस्सेदारी 44 प्रतिशत है, लेकिन भारत में आईफ़ोन 1 प्रतिशत से भी कम हैं।
- भारतीय बाजार में एक उच्च मूल्य वाले स्मार्ट फोन और एक सबसे सस्ते फोन द्वारा दी गई सुरक्षा के बीच भारी अंतर होता है और यह नियामकों द्वारा डेटा संरक्षण के लिए कानूनी और तकनीकी मानकों को स्थापित करना असंभव बनाता है।

VISION IAS

डिजिटल घुसपैठ

भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना साइबर स्पेस में भारतीय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं द्वारा हार्डवेयर और उनके द्वारा वाहित संसूचना पर नियंत्रण की कमी के कारण एक मुश्किल काम का सामना करती है। भारत के बुनियादी ढांचे में चार प्रकार के डिजिटल घुसपैठ की संभावना है:

(क) **जासूसी**: इसमें सिस्टम में घुसपैठ कर रणनीतिक या वाणिज्यिक मूल्य की जानकारी चोरी करना शामिल है।

(ख) **साइबर अपराध:** यह इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी या गंभीर आपराधिक परिणाम के अन्य कार्य करने को संदर्भित करता है।

(ग) **हमले:** एक अस्थायी अवधि के लिए सेवाओं या सिस्टम में खलल डालने को अभिप्रेत करता है।

(घ) **युद्ध:** भारत के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर एक व्यवस्थित और बड़े पैमाने पर डिजिटल हमला।

राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना का अभाव :

वर्तमान में ऐसी कोई भी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना नहीं है जोकि साइबर खतरों की प्रकृति का आकलन कर सके और उनके प्रति प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया कर सके।

- भारत के सिविल संस्थाओं के पास स्वयं की फायर फाइटिंग (fire fighting) एजेंसियाँ हैं और सशस्त्र बलों के पास अपने स्वयं के साइबर हमला रोधक प्लेटफार्म हैं।
- साइबर स्पेस के रणनीतिक आयाम की पहचान करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा 2014 में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक के पद का गठन किया गया।

इस तरह की एजेंसी कैसी होनी चाहिए ?

डिजिटल युद्ध का विषम चरित्र एक बहु एजेंसी संगठन की मांग करता है जो तकनीकी रूप से सुसज्जित हो, और इसके निर्णय समर्थ रणनीति और नियमित रूप से नीतिगत इनपुट (Input) आदानों पर आधारित हो।

- स्थायी और अर्द्ध स्थायी कर्मचारी जो साइबर संचालन में तकनीकी रूप से कुशल हों क्योंकि,
- भारत को एन्क्रिप्टेड प्लेटफार्म बनाने और तोड़ने वाले और साथ ही साथ खुफिया जानकारी जुटाने के लिए डिजिटल नेटवर्क का उपयोग करने में प्रशिक्षित अधिकारियों की कमी का सामना करना पड़ता है।
- अगर इस तरह की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी (NCSA) का गठन हो, तो इसके पास एक कार्यात्मक "नाभिक" या सचिवालय होना चाहिए।
- दूसरी आवश्यकता एजेंसी की कार्यनीतियों और अभियानों में समन्वय स्थापित करने की है।
- वर्तमान साइबर सुरक्षा नीति, जो संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सन 2013 में बनाई गई थी, मूल रूप से प्राथमिक सिद्धांतों का एक ब्यौरा है।
- NCSA को एक ऐसे दस्तावेज निर्देशित किया जाना चाहिए जोकि भारत की साइबर रणनीति की रूपरेखा प्रदर्शित करता हो, जैसा परमाणु सिद्धांत में किया गया है।
- भारत के पास वर्तमान में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड और राष्ट्रीय सूचना बोर्ड इत्यादि भारत के पास वर्तमान में साइबर आपरेशन के लिए शीर्ष की एजेंसियां हैं।
- भारत की खुफिया एजेंसियों को अलग से NCSA के संचालन में सहायता करने के लिए अपनी समेकित जानकारी प्रदान करनी चाहिए।
- भारत को अपनी आक्रामक साइबर क्षमताओं का निर्माण करने में संकोच नहीं करना चाहिए।
- इसमें अतिक्रमण अवरोधन और डिजिटल नेटवर्क में घुसपैठ करने, इन्टरसेप्ट करने और फायदा उठाने के लिए डिजाइन सॉफ्टवेयर का विकास शामिल होगा।
- भारत की साइबर कमान को इस तरह के हथियारों के निर्माण और तैनाती के लिए प्राथमिक एजेंसी के तौर पर जिम्मेदार होना चाहिए।

निष्कर्ष

एक पूरी तरह से क्रियाशील साइबर कमान का निर्माण करने में कई साल लगेंगे। सरकार को अंतरिम काल के लिए एक दो आयामी रणनीति अनुसरण करना चाहिए:

- एक वैश्विक आदर्श के रूप में साइबर स्पेस में संयम की वकालत करना। भारत ताल्लिन्न मैनुअल (Tallinn Manual), जो कि युद्ध के दौरान संलिप्तता के लिए गैर सरकारी दिशा-निर्देशों का एक समुच्चय है, पर आधारित चर्चा का एक सक्रिय भागीदार है।
- सरकार को साइबर विशेषज्ञों के एक कैडर को नियुक्त करने और उनको प्रशिक्षित करने सम्बन्धी दिशा-निर्देशों का मसौदा तैयार करना चाहिए।

6.5. भारत की साइबर सुरक्षा चुनौतियाँ

(India's Cyber Security Challenges)

साइबरस्पेस की कल्पना मुख्य रूप से एक असैनिक दुनिया के रूप में की गई थी। तथापि, अब यह युद्ध के लिए एक नया प्रक्षेत्र बनता जा रहा है।

विगत साइबर हमले

- स्टक्सनेट साइबर हमला (2010)- नतांज़ प्रान्त में एक ईरानी परमाणु अधिष्ठापन पर हमला
- 2007 में, एस्टोनिया ने एक साइबर हमले के समक्ष लगभग अपने घुटने टेक दिए थे, जो माना जाता है कि रूसी हैकर्स द्वारा किया गया था।
- पिछले कुछ वर्षों में उन्नत देशों के सबसे सुरक्षित माने जा रहे प्रतिष्ठानों के खिलाफ भी सफल साइबर हमलों को देखा गया है।
- पिछले साल यूक्रेन के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर भी एक घातक साइबर हमला हुआ था।

स्पष्ट है कि साइबर स्पेस में विधि के कोई नियम मौजूद नहीं हैं। यह प्रक्षेत्र पहले से ही एक खतरनाक स्थान बन गया है।

साइबर सुरक्षा की आतंकवाद से तुलना -

- इंटरनेट की संरचना कनेक्टिविटी बढाने के लिए की गई थी, न कि सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। साइबर विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि कोई देश तकनीकी रूप से जितना अधिक उन्नत और

तारों के संजाल से लैस है, एक साइबर हमले के समक्ष वह उतना ही कमज़ोर है।

- साइबर सुरक्षा दिलचस्प रूप से आतंकवाद के समानांतर है।
- दोनों विषम हैं।
- डेटा, जानकारी और संचार की सुरक्षा सुनिश्चित करना, एक सिस्टम में हैकिंग की तुलना में काफी कठिन है।
- हमलावर पारंपरिक आतंकवाद और साइबर हमले दोनों से लाभ प्राप्त कर सकता है।
- राज्य प्रायोजित हमलों के मामले में चुनौतियां बहुत ही उच्च परिमाण की हैं।

साइबर स्पेस में भारत के लिए जोखिम

- भारत डिजिटल घुसपैठ जैसे साइबर जासूसी, साइबर अपराध, डिजिटल विघटन और वितरित रूप में सेवा से वंचित करना (Distributed Denial of Service) इत्यादि के प्रभावित है।
- एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति (2013) होने के बावजूद भी हमारी महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाओं के लिए एक जोखिम बना रहता है।
- एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक (2014) गठित करने के बावजूद, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (साइबर सुरक्षा के लिए नोडल एजेंसी) और संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच आपसी प्रतिद्वंद्विता सहयोग में बाधक है।
- विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी।
- 'क्लाउड कंप्यूटिंग तकनीक' पर चीन का ज़ोर डालना और इस प्रयास में चीन के सुरक्षा मंत्रालय की भागीदारी, से अंदेशा है कि चीन जी जान से एक आक्रामक साइबर ऑपरेशन के लिए तैयारी कर रहा है। भारत इसका एक प्रमुख लक्ष्य हो सकता है।

भारत की जरूरत क्या है?

- ब्लीडिंग एज टक्नोलॉजी (**Bleeding edge technology**): ब्लीडिंग एज टक्नोलॉजी उन नई तकनीकों की एक श्रेणी है जिनके अविश्वसनीय होने का जोखिम अधिक है और उनका प्रयोग करने वालों को अधिक खर्च उठाना पड़ सकता है। शब्द"ब्लीडिंग एज" को इसी तरह के शब्दों "लीडिंग एज" और "कटिंग एज" की तर्ज पर बनाया गया है।

बिग डाटा एनालिटिक्स

- **एयर गैपिंग:** एयर गैपिंग एक सुरक्षा उपाय है जिसमें एक कंप्यूटर या नेटवर्क को अलग-थलग करने और बाह्य संबंध स्थापित करने से रोकना शामिल है। एक एयर गैप्ड कंप्यूटर भौतिक रूप से अलग-थलग होता है और अन्य कंप्यूटर या नेटवर्क उपकरणों के साथ बिना तार के या अन्य किसी प्रकार से भौतिक रूप से जोड़ने के काबिल नहीं होता है।
- क्लाउड कंप्यूटिंग तकनीक पर जोर।
- आक्रामक साइबर ऑपरेशन और सुदृढ़ साइबर सुरक्षा पर बल देने की आवश्यकता है।

6.6. ICANN के लिए नई शासन संरचना

(New Governance Architecture for ICANN)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- मारकेश (मोरक्को) में एक बैठक में इन्टरनेट कारपोरेशन फॉर एसाइन्ड नेम्स एंड नंबर्स (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN) ने निर्णय लिया कि ICANN अब एक "बहु हितधारक" मॉडल (बहु हितधारक ICANN समुदाय) द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, जिसमें व्यापारी, व्यक्तिगत उपयोगकर्ता और दुनिया भर की सरकारों के सदस्य शामिल किये जाएँगे।
- चूंकि यह समूह ही प्रथमतया आई.सी.ए.एन.एन. बोर्ड के निदेशकों का चयन करता है अत: यह कहा जा सकता है कि ICANN अब बिना किसी बाहरी निरीक्षण के एक स्वतंत्र संगठन होगा।

ICANN और इसकी वर्तमान शासन संरचना

- यह एक गैर लाभकारी निकाय है जिसकी स्थापना सन 1998 में हुई थी। यह विश्व स्तर पर डोमेन नेम और इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस (आईपी) को प्रशासित करता है।
- ICANN को एक अनुबंध, जो 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है के तहत अमेरिका के वाणिज्य विभाग को नेशनल टेलीकम्युनिकेशन एंड इनफार्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इंटरनेट के प्रबंधन का कार्य सौंपा गया है।
- इंटरनेट एसाइन्ड नेम्स अथॉरिटी (IANA) इंटरनेट सेवा से संबंधित देश कोड, इंटरनेट नंबर और प्रोटोकॉल जैसी तकनीकी पहलुओं का संचालन करता है। वर्तमान में यह ICANN का एक भाग है। कई देशों द्वारा इंटरनेट पर अमेरिका का बोलबाला स्थापित होने की आशंका जताए जाने के बावजूद, इंटरनेट एसाइन्ड नेम्स अथॉरिटी (IANA) उस समय ICANN का हिस्सा बन गया।
- ICANN की संरचना ऐसी है कि यह केवल अमेरिकी कानून और अदालतों के प्रति जवाबदेह है।
- गैर-यू.एस. हितधारकों के लिए ICANN पर अमेरिकी नियंत्रण होने के विषय में गैर-अमेरिका हितधारकों की प्रमुख चिंता यह है कि अमेरिका इंटरनेट के रूट सर्वर और ICANN की नीति प्रक्रिया में एकतरफा हस्तक्षेप कर सकता है।

ICANN के शासन में बदलाव

- नई शासन संरचना सितंबर 30, 2016 के पश्चात पूरी तरह से पुरानी व्यवस्था में सुधार लाने का प्रस्ताव करती है।
- ICANN अपने डोमेन नाम से संबंधित नीति कार्य के प्रबंधन में एक स्वतंत्र निकाय बन जाएगा और इंटरनेट के रूट जोन फ़ाइल जिसमें इंटरनेट के नाम, नंबर, और एड्रेस, की सूचना होगी, उसे कॉपी कर दुनिया भर के अन्य सर्वरों डाला जाएगा।

VISION IAS

- इंटरनेट एड्रेस के गेटकीपर की भूमिका अब अमेरिकी निरीक्षण से मुक्त हो जाएगी और यह कार्य व्यापक वैश्विक ऑनलाइन समुदाय के पास चले जाएँगे।

भारत की स्थिति

- भारत का प्रस्ताव है कि इंटरनेट बहु हितधारक दृष्टिकोण के माध्यम से प्रबंधित किया जाना चाहिए और सरकारों के पास अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों पर "सर्वोच्च अधिकार और नियंत्रण" होना चाहिए।
- भारत ने सरकार की भूमिका का "एक महत्वपूर्ण हितधारक" और वैश्विक इंटरनेट बुनियादी सुविधाओं के लिए "सुरक्षा के एक संरक्षक" के रूप में वर्णन किया है।
- अपने प्रस्ताव में भारत ने कहा है कि नए बदलाव के तहत, इंटरनेट का प्रबंधन देखने वाले निकाय की उन क्षेत्रों में "सरकारों के प्रति जवाबदेही" होनी चाहिए जहाँ "सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है, जैसे सार्वजनिक नीति के मामलों में और सुरक्षा के मामले में"।

बहु हितधारक मॉडल से संबंधित प्रमुख चिंताएं

- अमेरिकी नेताओं और निगमों ने चिंता व्यक्त की है कि उनकी सरकार ने इंटरनेट और उसकी शक्तियों का नियंत्रण दूसरे हाथों में दे दिया है और चीन या रूस जैसी ताकतें इसे अपने नियंत्रण में ला सकती हैं।
- अमेरिका के ICANN पर कई कार्यकारी, विधायी और न्यायिक नियंत्रण हैं, और साथ ही साथ रूट सर्वर मौजूदा प्रस्ताव के साथ नहीं बदलेंगे।
- बहु-हितधारक मॉडल भिन्न रूप में हो सकता है और प्रमुख हितधारकों को बाहर कर सकता है।
- भारत को बहु हितधारक शासन के बारे में आशंका है कि निर्णय लेने में निगमों, विशेष रूप से अमेरिका आधारित निगमों का वर्चस्व रहेगा।
- अंत में स्वतंत्र स्थिति सुनिश्चित होने पर, ICANN इसका उपयोग अपना संकीर्ण स्वार्थ सिद्ध करने और वैश्विक सार्वजनिक हित की अनदेखी कर वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कर सकता है।
- ICANN के प्रस्तावित मॉडल में वाद क्षेत्र के विषय में निर्णय नहीं है।
- अतीत में, ICANN ने संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा इसके काम अपने अधिकार में लेने के प्रयास का विरोध किया है।

आगे की राह

- यह आवश्यक है ICANN को एक अंतरराष्ट्रीय कानून अंतर्गत लाया जाए, जिसमें इस अंतरराष्ट्रीय संगठन के लिए मेज़बान देश द्वारा उन्मुक्ति अथवा कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान करना शामिल हो।

6.7. ऑपरेशन वीरांगना

(Operation Veerangana)

- ऑपरेशन वीरांगना शहर में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली पुलिस की समुदाय आधारित पहल है।
- पुलिस गृहिणियों को अपनी 'आंख और कान' बनाकर सेवा प्राप्त करेगी और वे पुलिस को यौन शोषण, घरेलू हिंसा और सड़क पर होने वाले अपराधों के ऐसे मामलों का रिपोर्टिंग करेंगी जिन्हें सामान्यत: दबा दिया जाता है।
- दर्जनों गृहिणियों को उनके आसन्न पड़ोस में हो रहे अपराधों को पहचानने और रिपोर्ट करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
- हाल ही में, 'ऑपरेशन निर्भीक' के तहत, विद्यालय के छात्रों के साथ पुलिस की बातचीत में दर्जनों लडकियाँ ने चौका देने वाले तथ्यों का खुलासा किया है। जिनमें परिवार के सदस्यों, शिक्षकों या अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लड़कियों का यौन शोषण किया गया है।

गृहिणियाँ क्यों?

- पुलिस ने प्रशिक्षित करने के लिए गृहिणियों को चुना है, क्योंकि वे अक्सर 'मूक पर्यवेक्षक' होती हैं और कई घटनाओं को रिपोर्ट नहीं करने का फैसला करती हैं।
- गृहिणियाँ अक्सर यौन शोषण या घरेलू हिंसा के बारे में सुनती हैं - जिनमें से अधिकांश मामले रिपोर्ट नहीं किये जाते क्योंकि वे एक घर की चारदीवारी के भीतर हो रहे होते।
- इसके अलावा, पुलिस का मानना है कि पीड़ित गृहिणियों के साथ खुल कर बात कर सकेंगे क्योंकि अक्सर वे उनसे बातचीत करते हैं।

बलात्कार के मामलों में वृद्धि

- 2014 में राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (N.C.R.B.) द्वारा जारी अंतिम आंकड़ों से पता चलता है कि देश में बलात्कार की संख्या में 35.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, 2013 में यह संख्या 33,707 थी। दिल्ली में 2013 में 1,441 बलात्कार के मामले दर्ज किये गए। इस प्रकार यह सबसे बड़ी संख्या में बलात्कार वाला शहर बन गया।

6.8. बेल्जियम में आतंकी हमला

(Terror Attack in Belgium)

घातक विस्फोटो की एक श्रृंखला ने बेल्जियम की राजधानी को हिलाकर रख दिया, मुख्य हवाई अड्डे ज़ावेंतेम(Zaventem) और शहर की मेट्रो प्रणाली को निशाना बनाया गया।

- कम से कम 34 लोग ज़ावेंतेम हवाई अड्डे और मैलबीक (Maelbeek) मेट्रो स्टेशन पर हुए बम विस्फोट में मारे गए।
- ब्रुसेल्स J जहाँ यूरोपीय संघ के प्रमुख संस्थानों मुख्यालय है, यूरोप की वास्तविक राजधानी है।

VISION IAS

इस्लामिक स्टेट (आई.एस.) आतंकवादी समूह

- इस्लामिक स्टेट समूह, जिसका हाथ पेरिस हमलों के पीछे था, ने ब्रसेल्स में बम विस्फोट की जिम्मेदारी ली है।
- हाल के महीनों में इस्लामिक स्टेट ने पेरिस से अंकारा तक दुनिया भर में कई हमले किये हैं।

इस्लामिक स्टेट द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर क्यों हमला किया जा रहा ?

- तथाकथित 'खिलाफत'(Caliphate) के चक्कर में इस्लामिक स्टेट को कई सैन्य असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है।
- सार्वजनिक स्थानों पर हमला करने और निर्दोष लोगों को मारने का मूलकारण है:
- पहला, 'खिलाफत'(Caliphate) के क्षेत्र का विस्तार नहीं कर पाना है। आइ.एस, अन्य देशों को आतंकवाद निर्यात करना चाहता है और इस रूप में 'प्रासंगिक' बने रहना और अधिक रंगरूटों को ढूँढना चाहता है।
- दूसरा एवं अत्यधिक महत्वपूर्ण कारण यह है कि आइ.एस. आधुनिक विश्व की सभ्यता के मूल्यों के खिलाफ एक युद्ध लड़ रहा है। जनता पर हमला करके, यह स्वतंत्र और खुले समाज में दहशत पैदा करना चाहता है तथा उनकी सामाजिक एकता को तोड़ कर इसका लाभांश लेना चाहता है।

बेल्जियम क्यों?

- बेल्जियम सालों से आतंकवाद विरोधी अधिकारियों की नज़र में रहा है क्योंकि बड़ी संख्या बेल्जियन विदेशी लड़ाकों ने आई.एस.आई.एस. और सीरिया और इराक में अन्य आतंकवादी संगठनों में शामिल होने के लिए कूच किया है।
- किसी भी पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्र की तुलना में बेल्जियम के प्रति व्यक्ति विदेशी लड़ाकों की संख्या सीरिया में सबसे ज्यादा है।
- कई शहरों में इस्लामी सेल मौजूद रहे हैं, लेकिन सबसे अधिक सक्रिय ब्रुसेल्स में और विशेष रूप से मैलबीक(Maelbeek) के दक्षिण-पश्चिमी उपनगर में हैं – यह मोरक्को नृजाती की उच्च जनसंख्या का क्षेत्र है और यहाँ बेरोजगारी की उच्च दर भी व्याप्त है।
- ब्रुसेल्स पर आतंकी हमला बदला लेने के इरादे से नहीं किया गया है, बल्कि यह तीव्र कट्टरता, जो समुदायों में और पड़ोस में गहराई से व्याप्त हो गई है, से सम्बंधित है।

6.9. न्यायमूर्ति विष्णु सहाय जांच आयोग

(Justice Vishnu Sahai Inquiry Commission)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सेवानिवृत्त न्यायाधीश विष्णु सहाय की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन मुजफ्फरनगर सांप्रदायिक दंगों में हिंसा को रोकने में हुई प्रशासनिक खामियों और हिंसा भड़काने में मीडिया एवं नेताओं द्वारा अदा की गई भूमिका के जांच करने के लिए हुआ था।

आयोग के निष्कर्ष

- आयोग ने स्थानीय प्रशासन की "लापरवाही" तथा खुफिया एजेंसियों की 'नाकामी' को दंगों के लिए दोषी ठहराया है। इसके साथ ही सोशल एवं प्रिंट मीडिया द्वारा सांप्रदायिक दंगों की अतिरंजित रिपोर्टिंग की बात कही भी है।
- चूक से या इसके लिए तय की गई शर्तों के आधार पर, ऐसा प्रतीत होता है कि सहाय आयोग ने पूरे राजनीतिक वर्ग को बरी कर दिया है।
- जस्टिस सहाय की रिपोर्ट ने राज्य सरकार (उत्तर प्रदेश) को क्लीन चिट दी है।

रिपोर्ट की आलोचना

- नागरिक समाज संगठनों ने आयोग के निष्कर्षों की आलोचना की है और जानबूझकर दंगों से राजनीतिज्ञों को बरी करने का आरोप लगाया है।
- रिपोर्ट दंगा रोकने की विफलता के उत्तरदायित्व को स्थानीय प्रशासन से लेकर सचिवालय स्तर तक विस्तारित नहीं करती है।

6.10. एक्सरसाइज फ़ोर्स 18

(Exercise Force 18)

भारत ने क्षेत्रीय देशों के साथ अपने प्रथम बहुपक्षीय फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास (Field Training Exercise) की मेजबानी किया।

- अभ्यास का विषय 'मानवीय खदान कार्रवाई' (**Humanitarian Mine Action**) और 'शांति अभियान'(**Peacekeeping Operations**) था।
- यह भारत की धरती पर आयोजित किया गया सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास (एँफ़.टी.एक्स.) था।
- अठारह देशों (आसियान + 8 डायलॉग पार्टनर) के सेना की इकाइयों ने अभ्यास में भाग लिया गया।
- अभ्यास बल 18 (Exercise-18), 18 आसियान प्लस देशों के बीच आम समझ का निर्माण और पारस्परिकता को बढ़ावा देगा।

इस तरह के अभ्यास का महत्व

- अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक आपदाओं और अन्य गैर परंपरागत सुरक्षा चुनौतियों की दशा में आसियान क्षेत्र में इस अभ्यास को "ऐतिहासिक घटना" के रूप में माना जा सकता है।
- इस अभ्यास ने भारत की "सॉफ्ट पॉवर" के साथ साथ इसकी "हार्ड पॉवर" क्षमताओं का प्रदर्शन कर इसने भारत की 'एक्ट ईस्ट नीति" को मज़बूत किया है।
- इसने भारत को आसियान के साथ "समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला, मानवीय सहायता और आपदा प्रबंधन, शांति अभियानों और मिलेट्री मेडिसिन"(maritime security, counter-terrorism, humanitarian assistance and disaster management, peacekeeping operations and military medicine) के क्षेत्र में सहयोग और अधिक मजबूत करने का अवसर प्रदान किया है।

- इस प्रकार के बहुपक्षीय अभ्यास क्षेत्र की शांति और सुरक्षा में वृद्धि कर सकते हैं और भारत क्षेत्रीय सुरक्षा के जिम्मेदार हितधारक के रूप में उभर रहा है।
- अभ्यास बल 18 की सफल मेजबानी भारत को एशिया-प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख विश्वसनीय शक्ति के रूप में खुद को स्थापित करने में मदद मिली है।

6.11. आयरन फिस्ट एक्सरसाइज 2016

(Iron Fist Exercise 2016)

आयरन फिस्ट एक्सरसाइज राजस्थान के पोखरण में आयोजित भारतीय वायु सेना का एक युद्धाभ्यास है।

उद्देश्य: - एक समकालिक "हवाई बैले" के प्रदर्शन के माध्यम से हवाई संचालन के सभी स्पेक्ट्रम में भारतीय वायुसेना की मारक लड़ाकू क्षमता का प्रदर्शन करना।

महत्व

- यह युद्धाभ्यास भारत के विरोधियों को भारतीय वायुसेना की उन तैयारियों के बारे में एक सन्देश भेजेगा जो भारत को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाएगा।
- यह अभ्यास विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह हमारे देश की सैन्य क्षमता की प्रमुख शक्ति के रूप में भारतीय वायुसेना की महत्वपूर्ण भूमिका एवं उसकी मारक क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है।
- भारतीय वायु सेना ने अपने लड़ाकू और फायर पॉवर क्षमताओं का प्रदर्शन किया।

VISION IAS

7. पारिस्थितिकी और पर्यावरण

7.1. प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों का वर्गीकरण

(Categorization of Polluting Industries)

- भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने औद्योगिक इकाइयों को उनकी प्रदूषण क्षमता के आधार पर रंगों की एक श्रेणी में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया है।
- वर्गीकरण पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा विकसित एक प्रदूषण सूचकांक पर आधारित है, इस सूचकांक का निर्धारण उत्सर्जन, अपशिष्ट, उत्पन्न खतरनाक अपशिष्ट और संसाधनों की खपत के आधार पर किया गया है।
- विभिन्न उद्योगों को उनके द्वारा 15 से लेकर 60 तक के पैमाने पर प्राप्त स्कोर के आधार पर वर्गीकृत किया जायेगा:

रंग	स्कोर	उदाहरण
लाल (भारी प्रदूषण फैलाने वाले)	60 और इससे अधिक	पेट्रोरसायन, फार्मास्यूटिकल्स, चीनी, कागज और लुगदी, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र, चमड़ा कारखाना, कार्बनिक रसायन, उर्वरक, पटाखे
नारंगी	30-59 के बीच	कोयला शोधन, कांच निर्माण, पेंट, स्टोन क्रशर, एल्यूमीनियम और स्क्रैप से तांबा निकालना
हरा	15-29 के बीच	एल्यूमिनियम के बर्तन, स्टील फर्नीचर, साबुन निर्माण, चाय प्रसंस्करण
सफेद (गैर-प्रदूषणकारी)	15 से कम	एयर कूलर, एयर कंडीशनर इकाईयाँ, चाक कारखाने, बिस्किट ट्रे इकाईयाँ

वर्गीकरण पूरे औद्योगिक क्षेत्र के लिए है न कि अलग-अलग इकाईयों के लिए।

- प्रमाणन के वार्षिक आधार पर नवीकरण की व्यवस्था को भी इसके साथ समाप्त कर दिया जायेगा। पर्यावरण एवं मंत्रालय ने लाल श्रेणी के लिए पांच साल के नवीकरण, नारंगी के लिए दस साल और हरे रंग के लिए एक बार प्रमाणन का सुझाव दिया है। सफेद (व्हाइट) उद्योगों को किसी ग्रीन क्लीयरेंस की आवश्यकता नहीं होगी।

लाभ

- यह भारी प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को अधिक से अधिक जांच के दायरे में रखेगा।
- कम प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को निश्चित अंतराल पर होने वाली नवीकरण की अनावश्यक परेशानियों से बचाया जा सकेगा। इस प्रकार, यह कारोबार करने को आसान बनायेगा।
- नए लाल श्रेणी के उद्योगों के लिए बेहतर स्थल चयन क्योंकि लाल श्रेणी में मौजूद उद्योगों को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- कलर कोडिंग से पर्यावरण अनुकूल उद्योगों के लिए वित्तपोषण आसान होगा।

7.2. यमुना के बाढ़ के मैदान

(Yamuna Floodplains)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ने यमुना फ्लडप्लेन पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया था।
- यह कार्यक्रम पर्यावरण कार्यकर्ताओं और गैर सरकारी संगठनों की आलोचना के केंद्र में आ गया क्योंकि वृहद् स्तर की निर्माण गतिविधियों की वजह से बाढ़ के मैदानों को भारी नुकसान होने की संभावना थी।
- हालांकि NGT ने कार्यक्रम के लिए अनुमति दी थी, लेकिन उसने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन को उपचारात्मक और पुनरुद्धार कार्य के लिए 5 करोड़ रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया।

फ्लडप्लेन (Floodplain) क्या है ?

- फ्लडप्लेन (Floodplain) नदी के निकट का क्षेत्र है जो कि हमेशा पानी के नीचे नहीं रहता है, लेकिन यहाँ बाढ़ का खतरा रहता है। यह नदी तल का विस्तार है और किसी भी नदी-प्रणाली का एक अभिन्न अंग है।
- यह एक पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र है।
- दिल्ली में यमुना के मामले में, 25 साल की अवधि में कम से कम एक बार जलमग्न हो जाने की संभावना वाले क्षेत्र को इसके फ्लडप्लेन (floodplain) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

फ्लडप्लेन (Floodplain) का महत्व

- बाढ़ सुरक्षा: यह नदी की वृद्धि की स्थिति में नदी के लिए और अधिक स्थान प्रदान करता है
- पानी की गुणवत्ता में सुधार: बाढ़ की स्थिति में, यह अतिरिक्त अवसादों और पोषक तत्वों को हटाने के लिए प्राकृतिक फिल्टर के रूप में कार्य करता है।
- जलाशय पुनर्भरण: एक नदी के मुख्य प्रवाह मार्ग से बाहर, पानी का प्रवाह धीमा होता है और जमीन में रिसने के लिए अधिक समय होता है जहां यह भूमिगत जल स्रोतों का पुनर्भरण कर सकता है।
- बेहतर वन्यजीव पर्यावास: पृथ्वी पर जैविक रूप से सबसे अधिक समृद्ध प्राकृतिक वासों में से कुछ बाढ़ के मैदानों में हैं।
- मनोरंजन उद्योग और पारिस्थितिकी पर्यटन: नदियों की प्राकृतिक प्रक्रियाओं और स्वस्थ बाढ़ के मैदानों के द्वारा मत्स्य पालन, शिकार, कैंपिंग, हाईकिंग, वन्य-जीवन पर्यवेक्षण और नौका विहार आदि गतिविधियों के लिए स्थान उपलब्ध होता है।

VISION IAS

पर्यावरण पर प्रभाव

- बाढ़ के मैदानों के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक भूजल पुनर्भरण है। चौरस या सपाट होने की प्रक्रिया में, सतह कठोर हो जाती है, और इससे इसकी भूजल पुनर्भरण क्षमता पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।
- बाढ़ के मैदानों के प्राकृतिक ढाल में परिवर्तन से इसकी बाढ़ वहन क्षमता कम होगी।
- पेड़ों की कटाई और मलबे की डंपिंग का जलीय जीवों और पक्षी जनसंख्या पर प्रभाव पड़ेगा।
- लोगों के चलने-फिरने में हुई वृद्धि भी क्षेत्र को प्रभावित करती है।

7.3. जलवायु अभियांत्रिकी समाधान

(Climate EnginEering Solutions)

- क्लाइमेट इंजीनियरिंग प्रतिकूल जलवायु परिवर्तन को सीमित करने के उद्देश्य से पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में जानबूझकर और बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप से संबंधित है।
- इंजीनियरिंग समाधान की आम तौर पर दो श्रेणियाँ हैं:
- ग्रीनहाउस गैस को हटाना: उदाहरण
- कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (CCS), जहाँ कोयला आधारित बिजली स्टेशनों द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ मात्रा को प्राकृतिक रूप से सोखकर उसका किसी अन्य स्थान (जैसे तेल क्षेत्रों में) पर परिवहन करके उसका भूमिगत प्राच्छादन किया जाता है।
- बायोचार (Biochar) जिसे बायोमास के ताप-अपघटन द्वारा बनाया जाता है
- परिष्कृत अपक्षय में कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए एक रासायनिक प्रक्रिया शामिल है जिसमें भूमि या समुद्र आधारित तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। भूमि आधारित परिष्कृत अपक्षय तकनीकों के उदाहरण सिलिकेट के यथास्थान (in-situ) कार्बोनेशन हैं।

वनीकरण

- **सूर्य की रोशनी का प्रबंधन:** इसके अंतर्गत सूर्य से पृथ्वी द्वारा अवशोषित गर्मी की मात्रा कम करके ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की योजना है। उदाहरण:
- **समतापमंडल एयरोसोल इंजेक्शन (SAI):** SAI में सूक्ष्म, हल्के रंग के कणों का समतापमंडल में छिड़काव करना शामिल है, इन कणों को इस तरह डिजाईन किया जाता है कि ये कण सौर विकिरण के पृथ्वी पर पहुँचने से पहले ही उसकी कुछ मात्रा को वापस परावर्तित कर देते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस को इस प्रक्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है।
- **पक्षाभ मेघ प्रकलन:** यहाँ पक्षाभ मेघ हटाया या उनकी मोटाई कम की जाती है ताकि उनकी दीर्घ तरंग प्रग्रहण क्षमता कम हो जाये और इस प्रकार ये सतह को ठंडा रख सकें।
- **समुद्री मेघ ब्राइटनिंग:** इसमें निम्न गर्म बादलों, जो सूर्य के प्रकाश के अत्यधिक परावर्तक हैं, को उनकी परावर्तन क्षमता बढ़ाने के लिए संशोधित किया जाता है।
- **अंतरिक्ष सनशेड:** अंतरिक्ष आधारित दर्पण के द्वारा सूर्य की किरणों को रोकना
- हल्के रंग की छत सामग्री का उपयोग करना या उच्च अल्बिडो फसलों को उगाना।

7.4. नये ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम

(New E-Waste Management Rules)

पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ई-अपशिष्ट (प्रबंधन तथा निपटान) नियम, 2011 के अधिक्रमण में ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को अधिसूचित किया है।

मुख्य विशेषताएं

प्रासंगिकता

- इससे पहले यह केवल उत्पादकों और उपभोक्ताओं, विघटनकर्ताओं (Dismantlers) और पुनःचक्रणकर्ताओं (recyclers) पर लागू था। अब इसे निर्माता, व्यापारी, नवीकरणकर्ताओं (refurbishers) और उत्पादक दायित्व संगठन (PRO) तक बढ़ा दिया गया है। इससे अनौपचारिक क्षेत्र के लिए ई-अपशिष्ट के रिसाव को रोकने में मदद मिलेगी।
- इससे पहले केवल इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को कवर किया गया था। अब उनके घटकों (components) और स्पेयर पार्ट्स को भी कवर किया गया है। कंपैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प (CFL) तथा मरकरी वाले अन्य लैम्प और ऐसे अन्य उपकरण भी शामिल किए गए हैं।
- विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (**Extended Producers' Responsibility,** EPR):
- विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) एक ऐसी रणनीति है जो किसी उत्पाद के सम्पूर्ण जीवन काल के दौरान आई पर्यावरणीय लागत और उसके बाजार मूल्य को एकीकृत करने को प्रोत्साहित करती है।
- भारत भर में कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उत्पादकों के लिए एकल EPR अनुमोदन को अब CPCB की जिम्मेदारी बनाया जा रहा है।
- इसके अलावा, EPR प्रावधानों के कार्यान्वयन में आसानी के लिए लचीला रुख अपनाया गया है। ई-अपशिष्ट के संबंध में सही दिशा निर्धारण के लिए उत्पादक दायित्व संगठन (PRO) की स्थापना, ई-अपशिष्ट विनिमय, ई-रिटेलर, जमा वापसी योजना जैसे विकल्प उत्पादकों को दिए गए हैं।
- जमा वापसी योजना एक अतिरिक्त आर्थिक साधन के रूप में शुरू की गयी है।

VISION IAS

- ई-अपशिष्ट विनिमय के तहत स्वतंत्र कंपनियाँ उन उपकरणों की बिक्री करने और खरीदने की सेवाओं की पेशकश कर सकती हैं जिनका जीवन-काल समाप्त हो चुका है।
- संग्रहण अब उत्पादक की अनन्य जिम्मेदारी है। इसके लिए अलग से किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी जैसा कि पूर्व में आवश्यक था।
- संग्रहण के लिए एक लक्ष्य आधारित दृष्टिकोण अनिवार्य कर दिया गया है। पहले चरण में यह उत्पन्न कचरे की मात्रा का 30% है और अंततः 7 साल में इसे 70% तक किया जायेगा।
- बड़े उपभोक्ताओं का उत्तरदायित्व: इन्हें अनिवार्य रूप से वार्षिक रिटर्न फाइल करना है। स्वास्थ्य सुविधाओं को परिभाषा में जोड़ा गया है।
- राज्य सरकार की भागीदारी: नियमों के प्रभावी आरोपण और इसके साथ ही ई-अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में लगे श्रमिकों का कल्याण, सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सुनिश्चित करने की भूमिका राज्य सरकारों की है ।
- विनिर्माण चरण के दौरान खतरनाक पदार्थों में कमी लाने के प्रावधानों को मौजूदा यूरोपीय संघ के नियमों के अनुरूप लाया गया है। गैर-अनुपालन के मामले में उत्पाद को हटाने और उसे वापस लेने के लिए एक प्रावधान जोड़ा गया है।

एक अत्यावश्यक सुधार

- भारत सालाना लगभग 8 लाख टन ई-अपशिष्ट पैदा करता है, जबकि 151 पंजीकृत पुनर्चक्रण सुविधा केंद्र उसमें से केवल आधे का निपटान कर सकते हैं ।
- वर्तमान में, ई-अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली अनौपचारिक क्षेत्र के प्रसार से बुरी तरह से प्रभावित है। ये अपशिष्ट निपटान के लिए अत्यधिक अवैज्ञानिक तरीका अपनाते हैं जोकि पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। नए नियमों से इस पर नियंत्रण लगाने में मदद मिलेगी।
- उपभोक्ता को औपचारिक श्रृंखला में लाने की सफलता दो बातों पर निर्भर करेगी:
- असंगठित क्षेत्र की तुलना में बेहतर पुनर्खरीद का ऑफर; जमा वापसी योजना से इसमें मदद मिलेगी
- आसान संग्रह विधि
- उत्पादकों की ओर से प्रक्रियाओं के सरलीकरण और लचीलेपन पर जोर दिया गया है।
- राज्य सरकार और अन्य हितधारकों की भूमिका को रेखांकित किया गया है इससे बेहतर क्रियान्वयन की संभावना है।

चुनौतियाँ

- पुनर्चक्रण क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। वर्तमान में यह उत्पादित अपशिष्ट के केवल आधे भाग का निपटान कर सकते हैं।
- नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के पृथक्करण में सुधार की आवश्यकता है जहाँ कई तरह का ई-अपशिष्ट इसमें मिश्रित हो जाता है।
- भारतीय परिवारों की काम नहीं करने वाले उपकरणों को निपटान के लिए देने के बजाय उसे घर में ही संभालकर रखने की आदत।

आगे की राह

- भारत के लिए इस बढ़ते खतरे से निपटने के लिए यह एक बड़ा अवसर है, यदि इस समस्या का अभी पूर्ण उत्साह के साथ समाधान नहीं किया गया तो यह एक बड़ी चुनौती का रूप धारण कर सकती है।
- एक जागरूकता अभियान से इसे अच्छी तरह से लागू करने में सहायता मिलेगी।

7.5. प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के नए नियम

(New Plastic Waste Management Rules)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सरकार ने हाल ही में प्लास्टिक अपशिष्ट (मैनेजमेंट एवं हैंडलिंग) नियम, 2011 में संशोधन किया।

प्रमुख परिवर्तन

- प्लास्टिक कैरी बैग की न्यूनतम मोटाई 40 माइक्रोन से बढाकर 50 माइक्रोन कर दिया गया है । इससे लागत में वृद्धि होगी और प्लास्टिक के कैरी बैग को मुफ्त में प्रदान करने प्रवृत्ति में कमी आएगी ।
- स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी: ग्रामीण क्षेत्रों में इन नियमों को लागू किया जाएगा क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्लास्टिक के उपयोग की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गयी है। ग्राम सभाओं को इन नियमों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है।
- विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (**Extended Producers' Responsibility,** EPR): इससे पहले EPR स्थानीय निकायों के विवेक पर छोड़ दिया गया था। पहली बार, उत्पादकों और ब्रांड के मालिकों को अपने उत्पादों से उत्पन्न कचरे को इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार बनाया गया है।
- उत्पादकों को उनके विक्रेताओं जिन्हें उनके द्वारा निर्माण के लिए कच्चे माल की आपूर्ति की गयी है, का एक रिकार्ड रखना होगा। इससे असंगठित क्षेत्र में इन उत्पादों के विनिर्माण पर रोक लगेगी।
- अपशिष्ट उत्पादकों की जिम्मेदारी: प्लास्टिक कचरे के सभी संस्थागत उत्पादक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नियमों के अनुसार उनके द्वारा उत्पन्न कचरे को पृथक करेगें और उन्हें स्टोर करेगें तथा पृथक अपशिष्ट को अधिकृत अपशिष्ट निपटान सुविधा केंद्र तक पहुचायेगें।
- स्ट्रीट वेंडर और खुदरा विक्रेताओं की जिम्मेदारी: ये इस तरह के कैरी बैग किसी को नहीं देगें नहीं तो उन पर अर्थदंड लगाया जाएगा। स्थानीय निकायों को पंजीकरण शुल्क के भुगतान करने के पश्चात केवल पंजीकृत दुकानदारों द्वारा ही उपभोक्ताओं से निर्धारित शुल्क लेकर ही उन्हें प्लास्टिक कैरी बैग दिया जाएगा।

VISION IAS

- सड़क निर्माण और ऊर्जा के उत्पादन के लिए प्लास्टिक के उपयोग को बढ़ावा देना।

प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध क्यों नहीं?

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनुसार सभी उपयोगों में प्लास्टिक के स्थानापन्न के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले किसी पारिस्थितिकीय तौर पर अनुकूल उत्पाद की अभि तक खोज नहीं हो सकी है।
- अतः एक उपयुक्त विकल्प के अभाव में पूरे देश में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए यह एक अव्यावहारिक और अवांछनीय कदम होगा

7.6. अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व

(Agasthyamala Biosphere Reserve)

- अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व को हाल ही में वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क की यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है।

उल्लेखनीय तथ्य

- यह बायोस्फीयर रिजर्व मालाबार वर्षावन के क्षेत्र में अवस्थित है और पश्चिमी घाट के हॉटस्पॉट क्षेत्रों में से एक है।
- यह 3500 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है और तमिलनाडु तथा केरल के विभिन्न जिलों में फैला हुआ है।
- अगस्त्यमाला शिखर समुद्र तल से लगभग 1868 मीटर की ऊंचाई पर तिरुवनंतपुरम में अवस्थित है । इसी शिखर के नाम पर इस बायोस्फीयर रिजर्व का नाम है।
- इस बायोस्फीयर रिजर्व में संकटापन्न प्रजाति नीलगिरि ताहर सहित फ्लोरा और फौना की विभिन्न स्थानिक और लुप्तप्राय प्रजातियां पाई जाती हैं।
- इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत भारतीय पारिस्थितिकीय प्रदेशों जैसे नम पर्णपाती वनों, पर्वतीय वर्षा वनों , शोला वनों और घास के मैदानों की उपस्थिति पायी जाती है।
- इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत तीन वन्यजीव अभयारण्य Shendurney, Peppara,और Neyyar पाए जाते हैं।
- कालाक्कड मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व को हाल ही में इस बायोस्फीयर रिजर्व के एक भाग के रूप में शामिल किया गया था।
- यह बायोस्फीयर रिजर्व विश्व की प्राचीनतम जनजातियों में से एक Kanikaran का वास स्थल भी है।
- वर्तमान समय में भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और उनमें से 9 यूनेस्को की प्रतिष्ठित वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में सम्मिलित हैं। अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व को दसवें रिजर्व के रूप में इस सूची में जोड़ा जा रहा है। अन्य बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरि, मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, नंदा देवी, नोकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचानकमार-अमरकंटक और ग्रेट निकोबार हैं जो यूनेस्को की सूची में सम्मलित हैं।

7.7 फ्लाई ऐश

(Fly Ash)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के एक विशेषज्ञ पैनल ने खानों को भरने के लिए हो रहे फ्लाई ऐश के उपयोग पर चिंता व्यक्त की है। विशेषज्ञ पैनल के अनुसार इसके निम्नलिखित पर्यावरणीय परिणाम हो सकते हैं :
- फ्लाई ऐश में पायी जाने वाली भारी धातुओं की लीचिंग के कारण भू-जल के प्रदूषित होने की समस्या।
- फ्लाई ऐश खानों की छिद्रों को भर देगी इससे वर्षा जल का अंत:स्पंदन नहीं हो पाएगा, परिणामस्वरूप भूजल के पुनर्भरण में कमी आएगी।
- फ्लाई ऐश खानों की छिद्रों को भर देंगी। इस प्रकार फ्लाई ऐश से भरे गए स्थान पेड़-पौधों के लिए उपयुक्त नहीं होगें क्योंकि फ्लाई ऐश के कारण वृक्षों की जड़ें सही से विकसित नहीं हो पाएंगी । इससे ऐसे स्थान पर उगने वाले वृक्ष मंद गति से चलने वाली पवनों को भी झेल नहीं पायेगें और जल्द ही जड़ सहित उखड़ जाएगें।
- चूंकि इस पैनल के द्वारा प्राप्त निष्कर्ष अभी अंतिम रूप से प्रमाणित नहीं हो पाए हैं। अत: इस मुद्दे पर 10 साल तक एक विस्तृत अध्ययन करने का निर्णय लिया गया है।

फ्लाई ऐश क्या है?

- फ्लाई ऐश कोयला दहन उत्पादों में से एक है और सूक्ष्म कणों से निर्मित होता है जो कि बॉयलर से फ्यूल गैसों के साथ बाहर निकलते हैं । ऐसे ऐश जो कि बायलर के नीचे जाती है उसे बॉटम ऐश कहते हैं।
- फ्लाई ऐश में सिलिका, एल्यूमीनियम और कैल्शियम के आक्साइड की पर्याप्त मात्रा भी शामिल होती है। आर्सेनिक, बोरान, क्रोमियम, सीसा आदि जैसे तत्व भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रकार यह पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए खतरा बन गयी है।
- हालांकि, इस प्रकार के इतने सारे खनिजों की एक साथ उपस्थिति फ्लाई ऐश को कुछ अद्वितीय गुण प्रदान करती है। रेलवे तटबंधों के निर्माण , पुरानी खानों को भरने ,भवन निर्माण सामग्री और निचले इलाकों को भरने के लिए फ्लाई ऐश का उपयोग किया जा सकता है ।

भारत में फ्लाई ऐश से सम्बंधित स्थिति

- भारतीय कोयले में बहुत अधिक मात्र में ऐश सामग्री पायी जाती है। आयातित कोयले में 10-15% ऐश की मात्रा पायी जाती है

VISION IAS

जबकि इसकी तुलना में भारतीय कोयले में 30-40% ऐश की मात्रा पायी जाती है।

- भारत सरकार को यह एहसास हो गया है कि फ्लाई ऐश की इतनी अधिक मात्रा वाले कोयले का प्रयोग भी लाभकारी तरीके से किया जा सकता है और इससे लाभ प्राप्त करने के लिए निम्लिखित कदम उठाए गए हैं:
- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा फ्लाई ऐश के उपयोग हेतू 2009 में जारी की गयी अधिसूचना के अनुसार तापीय विद्युत् संयंत्र से 100 किलोमीटर के दायरे में ही सम्पूर्ण फ्लाई ऐश का उपयोग कर लिया जाएगा।
- फ्लाई ऐश के नए और अभिनव उपयोग भी किये जा रहे हैं। इस प्रकार के उपयोग विशेष रूप से विद्युत् कम्पनियों जैसे NTPC इत्यादि ने आईआईटी-दिल्ली और आईआईटी-कानपुर जैसे संस्थानों के साथ सहयोग से प्रारम्भ किया है। इन संस्थानों की मदद से फ्लाई ऐश का उपयोग करके NTPC ने रेलवे के लिए प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट रेलवे स्लीपरों का निर्माण किया है।
- परिवहन लागत: उड़ीसा जैसे कुछ राज्यों ने विभिन्न प्लांटों को फ्लाई ऐश के परिवहन लागत में सब्सिडी देने का आदेश दिया है।
- हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सिंगापुर और दुबई जैसी स्थानों पर फ्लाई ऐश की बढती मांग को देखते हुए इसके निर्यात के लिए एक निर्यात निति की घोषणा की है।
- हालांकि, भारत अभी भी अपनी कुल फ्लाई ऐश का उपयोग करने में सक्षमनहीं हो सका है। सीएसई के हाल के एक अध्ययन के अनुसार कुल उत्पादित फ्लाई ऐश में से केवल 50-60% का ही सदुपयोग किया जा रहा है।
- अत: फ्लाई ऐश के उपयोग की क्षमता को बढ़ाने के लिए इससे सम्बन्धित उद्योगों प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ इस क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी की शुरूआत करने के लिए भी प्रोत्साहन देने की जरूरत है।

VISION IAS

8. संस्कृति

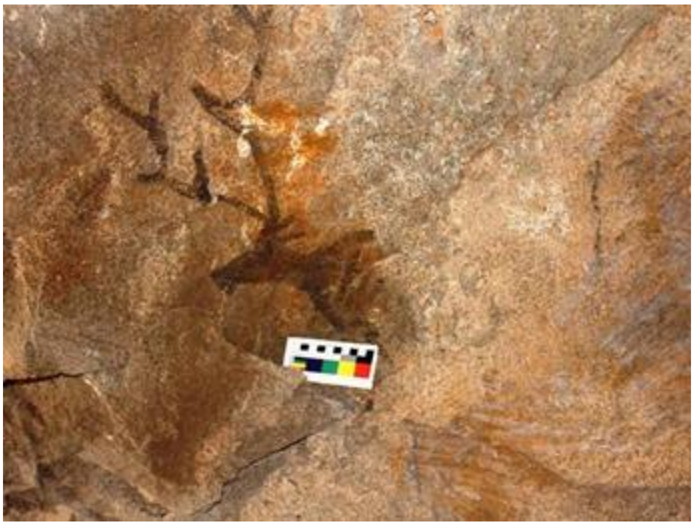

8.1. कोंडाणे गुफाओं में शैल चित्रों की खोज

(Rock Paintings Discovered in Kondane Caves)

- हाल ही में महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र के रायगढ़ जिले की कोंडाणे गुफाओं में 40 शैल चित्रों की खोज की गई है।
- प्राकृतिक एवम् मानवनिर्मित दोनों तरह की गुफाओं में ये चित्र पाए गए हैं।
- एक अधूरा बौद्ध चैत्य और एक विहार दो मानवनिर्मित गुफाओं में पाए गए हैं। विहार का अर्थ मठ(रहने का स्थान) होता है।
- ऐसा बौद्ध प्रार्थना सभागार जिसके एक छोर पर स्तूप हो, चैत्य कहलाता है।
- इन बौद्ध गुफाओं में चट्टानों को काटकर की गई वास्तुकला बौद्ध धर्म के हीनयान प्रावस्था से संबंधित है।
- यह एक महत्वपूर्ण खोज है क्योंकि इससे पहले हमें महाराष्ट्र के इस क्षेत्र में शैल-उत्कीर्ण चित्रकला के अस्तित्व के बारे में पता नहीं था।
- इन गुफाओं में एक विचित्र पौराणिक आकृति का चित्र पाया गया है, जो संभवतः एक दानव का है।
- अन्य चित्र रोजमर्रा की जिंदगी और आखेटों, जैसे कि, हिरण के शिकार को दर्शाते हैं।
- इन चित्रों की शैली और अभिव्यक्ति यह प्रदर्शित करती है कि वे दूसरी शताब्दी ई.पू. व उसके उपरांत बनाए गए थे।

8.2. विश्व विरासत स्थलों को अपनाने के लिए नीति

(Policy to Adopt World Heritage Sites)

- यूनेस्को अपने 21 सदस्यों वाले विश्व विरासत समिति और सलाहकार निकायों जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद (ICOMOS) और अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की मदद से, अपने परिचालन दिशानिर्देश (Operational Guidelines) के ढांचे के अंतर्गत, विश्व विरासत सूची में शामिल किए जाने वाले सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों के बारे में फैसला करती है।
- ऐसे सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थल निश्चित तौर पर आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू (OUV) प्रदर्शित करने वाले होने चाहिए और इसके अतिरिक्त उन्हें 10 निर्धारित मापदंडों (जैसा कि नीचे प्रस्तुत है) में से एक या अधिक मापदंड पर खरा उतरना चाहिए, पुनः इन्हें वास्तविकता और अखंडता को बनाये रखने के साथ-साथ संरक्षण हेतु एक अच्छी स्थिति में होना चाहिए।
- भारत से 32 स्थलों को विश्व विरासत स्थलों के रूप में घोषित किया गया हैं –जिनमें से 25 सांस्कृतिक स्थल हैं और 7 प्राकृतिक स्थल हैं।
- यूनेस्को के परिचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार OUV का आकलन करने के मापदंड निम्लिखित हैं :-
    - मानव रचनात्मक प्रतिभा की एक उत्कृष्ट कृति का प्रतिनिधित्व करना चहिए।
    - मानवीय मूल्यों का एक महत्वपूर्ण इंटरचेंज (परस्पर विनिमय) प्रदर्शित करना चहिए।
    - किसी सांस्कृतिक परंपरा या किसी सभ्यता के लिए एक अनूठा या कम से कम असाधारण साक्ष्य प्रदर्शित करना चहिए।
    - इमारत, वास्तु या तकनीकी के किसी नमूने का एक उत्कृष्ट उदाहरण होना चहिए।
    - किसी पारंपरिक मानव बसवट, भू-उपयोग या समुद्र-उपयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण होना चहिए, जो कि किसी संस्कृति (या संस्कृतियों) अथवा मानवीय अंतःक्रिया का प्रतिनिधित्व करता हो।
    - उत्कृष्ट वैश्विक महत्व के किसी विचार, विश्वास/आस्था, कलात्मक तथा साहित्यिक कार्यों के साथ-साथ प्रत्यक्षतः अथवा सुनिश्चित रूप से किसी घटना अथवा जीवित परंपरा से संबंधित होना चाहिए।
    - श्रेष्ठतम प्राकृतिक घटना या असाधारण प्राकृतिक सौंदर्य और सौंदर्यपरक महत्व से युक्त होना चाहिए।
    - पृथ्वी के इतिहास के प्रमुख चरणों के प्रतिनिधित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण होना चाहिए।
    - चली आ रही महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी और जैविक प्रक्रियाओं के प्रतिनिधित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण होना चाहिए।

जैविक विविधता के अति विशिष्ट तथा महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवासों के लिए स्व-स्थानिक (in-situ) संरक्षण से युक्त होना चाहिए।

VISION IAS

8.3. चन्देस्वरार की चोल मूर्तिकला

(Chola Sculpture of Chandesvarar)

- 10वीं सदी ईसवी की मानी जाने वाली चंदेस्वरर की एक मूर्ति तमिलनाडु के त्रिची में उम्मैयलपूरम के निकट सुंडईक्कई गांव में प्राप्त हुई है।

मूर्तिकला का विवरण:

- इस मूर्ती के सिर के बालों को 'जटाभरा' (एक प्रकार का हेयर स्टाइल, जिसे शिव धारण करते थे) के रूप में व्यवस्थित किया गया है, जिसे सामान्यतः वृहत संख्या में चोटियों के झुण्ड के रूप में धारण किया गया है।
- कूल्हे की पोषाक छोटी और लहराती हुई अवस्था में है, जो कमर के चारों ओर एक अच्छी तरह से लिपटी हुई वस्त्रों से सुरक्षित है, जिसे 'इडाक्कात्तु (idaikkattu) कहा जाता है।
- यह मूर्ति सुहासन (suhasana)' की मुद्रा में है, जहाँ एक पैर मुड़ा हुआ है आसन पर टिका हुआ है, जबकि दूसरा पैर मूर्तितल पर है।
- इस मूर्ति को एक पवित्र धागे, पेट पर एक बैंड तथा थोड़े से आभूषणों से सजाया गया है।

चन्देस्वरर के बारे में

- चन्देस्वरर शैव संप्रदाय के 63 नयनार संतों में से एक हैं और इन्हें मंदिरों में सबसे पहले जगह मिली थी।
- इन्हें इष्टदेव के समक्ष सभी शैव मंदिरों के उत्तरी किनारे पर एक अलग मंदिर में स्थापित किया गया है।
- चन्देस्वरर का सबसे प्रतिष्ठित मंदिर तंजावुर के राजराजेस्वरम में राजराजा-I द्वारा बनवाया गया था।

नयनार:

- 7वीं से 9वीं सदी के दौरान,दक्षिण भारत में नयनार (शिव को समर्पित संत) और अलवार (विष्णु को समर्पित संत) संतों (जो "अछूत" माने जाने वाली जातियों सहित सभी जातियों से संबंधित थे) के नेतृत्व मे नए धार्मिक आंदोलन देखने को मिलते हैं।
- वे बौद्ध और जैन सम्प्रदायों की आलोचना किया करते थे तथा मोक्ष के मार्ग के रूप में शिव या विष्णु की आराधना/भक्ति का प्रचार करते थे।
- उन्होंने संगम साहित्य में प्रदर्शित प्यार और वीरता के आदर्शों से सीख लिया तथा उन्हें भक्ति के मूल्यों के साथ मिश्रित किया।
- नयनारों की कुल संख्या 63 थी, तथा वे विभिन्न जातिगत पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखते थे, जैसे- कुम्हार,अछूत, मजदूर,किसान,शिकारी,सैनिक,ब्राह्मण और प्रमुख।
- उनमें से अप्पार,संबंदर,सुन्दरर और मानिक्कावचगर सर्वाधिक लोकप्रिय थे।
- उनके गीतों के संकलन के दो संग्रह/खंड हैं – तेवरम (अथवा देवारम) और तिरुवाककम।

8.4. पंचतीर्थ : बी. आर. अम्बेडकर

(Panchteerth: B R Ambedkar)

- भारत सरकार बी. आर. अम्बेडकर के सम्मान में पांच स्थानों को "पंचतीर्थ" के रूप में विकसित करेगी।
- पंचतीर्थ में शामिल किए जाएंगे- महू में स्थित अम्बेडकर का जन्मस्थान,लंदन में वह जगह जहां वह ब्रिटेन में पढ़ाई के दौरान रुके थे,नागपुर स्थित 'दीक्षाभूमि', जहां उन्होंने शिक्षा ली थी, दिल्ली स्थित ' महापरिनिर्वाणस्थल', और मुंबई स्थित ' चैत्य भूमि'।
- इसके अलावा, सरकार दिल्ली स्थित 15 जनपथ पर डॉ अम्बेडकर फाउंडेशन से संबंधित इमारत भी बना रही है।
- प्रधानमंत्री द्वारा अलीपुर रोड, जहां अम्बेडकर अपने अंतिम दिन बिताए थे, पर एक स्मारक के निर्माण की आधारशिला भी रखी है।
- प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की समुद्री क्षमता और अंतर्देशीय जलमार्ग विकसित करने की परिकल्पना, पहली बार अम्बेडकर द्वारा की गई थी। इसलिए उनकी जयंती के अवसर पर भारत समुद्री ताकत का दोहन करने तथा जलमार्ग विकसित करने के लिए मुंबई में एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी करेगा।

VISION IAS

8.5. सिद्दी जनजाति

(Siddi Tribe)

- सिद्दी जिन्हें शीड़ी, हब्शी या मकरानी के रूप में भी जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान में रहने वाला एक नृजातीय समूह हैं।
- वे उत्तर-पूर्व और पूर्वी अफ्रीका में रहने वाले अफ्रीकियों के वंशज हैं, जो दास, सैनिक या नौकर के रूप में भारत लाए गए थे।
- विस्तार: भारत में कर्नाटक, गुजरात और हैदराबाद और पाकिस्तान में मकरान तथा करांची इनकी जनसंख्या के मुख्य केन्द्र माने जाते हैं।
- वर्तमान अनुमानित जनसंख्या: 20,000-55,000
- धर्म: सिद्दी मुख्य रूप से सूफी मुसलमान हैं, हालांकि इनमें से कुछ हिंदु और रोमन कैथोलिक ईसाई भी हैं।
- गुजरात में रहने वाले सिद्दी, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के आसपास रहते हैं।
- हालांकि गुजरात में रहने वाले सिद्दियों ने अपने आसपास में रहने वाली आबादी के कई रीति-रिवाजों को अपनाया है, परंतु उन्होने कुछ अफ्रीकी परंपराओं को भी संरक्षित रखा है।
- इनमें गोमा संगीत और नृत्य शैली जिसे कभी कभी धमाल भी कहा जाता है शामिल हैं।

8.6. टोडा जनजाति

(Toda Tribe)

- **विस्तार:** दक्षिण भारत के पृथक नीलगिरि पठार।
- पिछली सदी के दौरान 700 से 900 के बीच जनसंख्या वाला एक चरवाहा समुदाय।
- अपने रूप-रंग, शिष्टाचार और रीति-रिवाज़ में अपने पड़ोसियों से बिलकुल अलग होने के कारण वे अपनी ओर अधिक ध्यान आकर्षित करते हैं।
- पिछले दशक के दौरान टोडा समाज और उनकी संस्कृति दोनों, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील पर्यावरणीय पुनरुद्धार को समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।
- टोडा भूमि अब नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। नीलगिरि यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय जैवमंडल निचय के नेटवर्क में आता है जिसे अब (यूनेस्को द्वारा) विश्व विरासत स्थल भी घोषित कर दिया गया है।
- उनका एकमात्र व्यवसाय पशु-पालन और दुग्ध उत्पादन है।
- **धर्म:** भैंस पर केन्द्रित
- **खतरा:** कुछ टोडा चारागाह भूमि बाहरी लोगों द्वारा कृषि अथवा तमिलनाडु सरकार द्वारा वनीकरण के कारण कम हो गई है।

8.7.असुर जनजाति

(Asur Tribe)

- इस जनजाति के सदस्य झारखंड, बिहार के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल और कुछ अन्य राज्यों में रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, झारखंड में 22459 और बिहार में 4129 असुर जनजाति के लोग रहते हैं।
- असुर जनजाति के लोग महिषासुर (एक महिष-दानव जिसे देवी दुर्गा ने नौ रातों तक चलने वाले एक विकट युद्ध के बाद मार गिराया था) के वंशज होने का दावा करते हैं।हिंदू धर्म में इसी पौराणिक कथा को नौ दिवसीय दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। लेकिन असुर जनजाति के लोग इसे 'महिषासुर दशैं' (Mahishasur Dasain), के रूप में मनाते हैं,जिसमें वह शोक की अवधि के दौरान काफी हद तक घर के अंदर रहते हैं।
- परंपरागत रूप से, असुरजनजाति के लोग लौह धातु गलाने वाले व स्थानांतरित कृषि करने वाले रहे हैं। इस प्रकार, वे खानाबदोश थे।
- एक मत के अनुसार, मगध साम्राज्य को असुरों द्वारा बनाए गए हथियारों से बहुत लाभ हुआ।
- लेकिन वन अधिनियम और विनियमों ने जंगलों पर से उनका पारंपरिक अधिकार छीन लिया है। इससे उनकी लोहा गलाने और स्थानांतरित कृषि के उनकी अभ्यास की प्रक्रिया भी प्रभावित हुई है। अब वे गांवों में बसे गए हैं।
- उनका अपना लोहा गलाने का परंपरागत कौशल भी खोता जा रहा है।
- यूनेस्को द्वारा असुर भाषा को "अनिवार्यतः लुप्तप्राय" (definitely endangered) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है क्योंकि इसके केवल 7000 बोलने वाले शेष रह गए हैं।

8.8. बोंडा जनजाति

(Bonda Tribe)

- यह जनजाति ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के संधि-स्थल (जंक्शन) के पास पश्चिमी ओडिशा के मलकानगिरी जिले के अलग-थलग पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है। उनकी वर्तमान जनसंख्या 12,000 है।

विशेषताएँ

- बोंडा का बाहर की दुनिया से लगभग कोई संबंध नहीं होता है। केवल 6% बोंडा साक्षर हैं।
- बोंडा समाज में महिलाओं को विशेषाधिकार दर्जा प्राप्त होता है।
- बोंडा जनजाति की लड़कियाँ मोटे तौर पर ऐसे लड़कों से शादी करती है जो उनकी तुलना में कम से कम पांच से दस साल छोटी उम्र के होते हैं। इस प्रकार जब पति की उम्र बढ़ती है तब लड़कियाँ अपने पतियों का ध्यान रखती है और बाद में जब लड़कियां बूढ़ी हो जाती हैं तो उनके पति उनका खयाल रखते हैं।
- बोंडा जनजाति में महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुक़ाबले काफी अधिक है।
- बोंडा जनजाति के लोगों के बीच, विवाह और मृत्यु से सम्बद्ध अनिवार्य सामाजिक रीति-रिवाजों एवं अन्य सामाजिक-धार्मिक प्रथाओं के कारण गरीबी एक बुनियादी मुद्दा बन गया है।

VISION IAS

8.9. जागोर लोक नृत्य

(Jagor folk dance)

- यह गोवा की एक नृत्य-नाटिका है जो किसी सतत कथा पर आधारित नहीं होती है।
- यह हिंदुओं और ईसाइयों द्वारा संयुक्त रूप से प्रदर्शित की जाती है।
- इसमें नदी के पानी से गांव की रक्षा करने के लिए देवता से प्रार्थना की जाती है। ऐसा विश्वास है कि यह प्राकृतिक आपदाओं और आपस में झगड़े को टालता है।

8.10. ज़रदोजी

(Zardozi)

- ज़रदोजी धातु से की जाने वाली एक सुंदर कढ़ाई है,जो भारत में राजाओं और शाही खानदान के व्यक्तियों के पोशाक के लिए इस्तेमाल की जाती थी। फारसी शब्द ज़र (ZAR) का अर्थ सोना और दोजी (Dozi) का अर्थ कढ़ाई होता है।
- इसमें सोने और चांदी के धागे का उपयोग कर के विस्तृत डिजाइन बनाए जाते हैं । साथ ही, कीमती पत्थर, हीरे, पन्ने, और मोती का इस्तेमाल भी किया जाता है।
- उपयोग: शाही टेंट की दीवारों, स्यानों, दीवार के पर्दे और शाही हाथी और घोड़ों की सामग्री को सजाने के लिए
- 17 वीं सदी में, अकबर के संरक्षण के तहत, जरदोजी अपने शिखर पर थी। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान, शाही संरक्षण बंद होने के कारण इस शिल्पकला में गिरावट आई।
- 18वीं और 19 वीं सदी में औद्योगीकरण के बाद इसमें और गिरावट आई।
- ज़रदोसी कशीदाकारी कार्य वस्तुतः लखनऊ ,भोपाल, हैदराबाद, दिल्ली, आगरा, कश्मीर, मुंबई, अजमेर और चेन्नई जैसे शहरों की विशेषता रही है।
- 2013 में भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री (जीआईआर) द्वारा लखनऊ जरदोजी को भौगोलिक संकेतक (जीआई) पंजीकरण प्रदान किया गया।

8.11. बाउल

(Baul)

- बाउल पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में रहने वाले कुछ लोगों का एक समूह है।
- बाउल एक बहुत ही विषम समूह हैं जिसमे कई संप्रदाय शामिल हैं। लेकिन उनमें मुख्य रूप से वैष्णव, हिंदु और सूफी मुसलमान शामिल हैं।
- वे अक्सर अपने विशिष्ट कपड़ों और संगीत वाद्य यंत्रों से पहचाने जाते हैं।
- हालांकि बाउल बंगाली आबादी का केवल एक छोटा सा अंश ही हैं, मगर बंगाल की संस्कृति पर उनका काफी प्रभाव है।
- 2005 में, बाउल परंपरा को यूनेस्को द्वारा मानवता के मौखिक और अमूर्त विरासत की सर्वोत्तम कृतियों(Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity by UNESCO) की सूची में शामिल किया गया था।

बाउल संगीत

- यह बाउल समुदाय द्वारा प्रदर्शित किया जाने वाला एक लोक गीत है।
- इनके गीतिकाव्यों(lyrics) पर हिंदू भक्ति आंदोलन और कबीर के गीतों द्वारा प्रस्तुत किया गया एक सूफी गीत (जिसे सूफ़ी कहते हैं) का प्रभाव देखा जा सकता है।
- उनके द्वारा *एकतारा,दोतारा,खमक ,डुग्गी, ढ़ोल और खोल जैसे संगीत* वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है।

VISION IAS

9. सुर्ख़ियों में

9.1. वायु परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2015

(Carriage by Air (Amendment) Bill, 2015)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, राज्यसभा ने वायु परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2015 परित किया। लोक सभा ने इसे दिसंबर 2015 में पारित किया था।
- यह विधेयक **एयरलाइंस की जवाबदेही और मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के अनुसार मुआवजे की सीमा में संशोधन हेतु केंद्र सरकार को समर्थ बनाता** है।

विशेषताएं

- इस विधेयक के माध्यम से मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, 1999 को प्रभावी बनाने के लिए वायु परिवहन अधिनियम, 1972 में संशोधन किया गया।
- इसका उद्देश्य विलंब, चोट या मृत्यु या यहां तक कि उड़ानों में अत्यधिक विलंब की दशा में हानि के लिए क्षतिपूर्ति की सीमा में वृद्धि करना है।
- इससे **अपने वैश्विक समकक्षों द्वारा भुगतान की जाने वाली दरों के बराबर मुआवजा राशि का भुगतान करने के लिए भारतीय विमानन सक्षम होगा**।

मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1999:

- भारत ने मई 2009 में मॉन्ट्रियल कन्वेंशन स्वीकार किया था।
- मॉन्ट्रियल कन्वेंशन यात्रियों की मृत्यु, चोट या विलंब की दशा में, या सामान और माल के विलंब, क्षति या हानि की दशा में एयरलाइन के उत्तरदायित्व की स्थापना करता है।
- यह कन्वेंशन प्रत्येक पांच वर्ष पर विमान वाहकों के उत्तरदायित्व की सीमा की समीक्षा का भी प्रावधान करता है।

9.2. भारत में राज्यों की शासन के आधार पर रैंकिंग

(Ranking on Governance of States in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, बंगलौर स्थित थिंक टैंक *पब्लिक अफेयर्स सेंटर* (पी.ए.सी) ने राज्यों में शासन के संबंध में शासन का सर्वेक्षण और सार्वजनिक मामलों के सूचकांक (पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स-PAI) का प्रकाशन किया है।
- यह सर्वेक्षण **आवश्यक अवसंरचना, मानव विकास, सामाजिक सुरक्षा, महिलाएं और बच्चे, अपराध नियंत्रण, कानून और व्यवस्था, न्याय वितरण, पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही, पर्यावरण, वित्तीय प्रबंधन, आर्थिक स्वतंत्रता जैसे दस विषयों** पर आधारित था।

THE RESULTS

TOP RANKING AMONG BIG STATES		LOW RANKING AMONG BIG STATES	
State	Rank	State	Rank
Kerala	1	Bihar	17
Tamil Nadu	2	Jharkhand	16
Karnataka	3	Odisha	15
Maharashtra	4	Assam	14
Gujarat	5	Madhya Pradesh	13

TOP RANKING AMONG SMALL STATES

State	Mizoram	Himachal Pradesh	Delhi	Sikkim	Goa
Rank	1	2	3	4	5

मुख्य निष्कर्ष

- राज्यों में शासन के लिए PAI की रैंकिंग में **केरल और तमिलनाडु ने क्रमशः पहला और दूसरा स्थान प्राप्त किया है,** वहीं बिहार, झारखंड और ओडिशा इस मोर्चे पर पिछड़ रहे हैं।
- अपने नागरिकों के लिए पर्याप्त और प्रभावी सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने की श्रेणी में सभी राज्यों में कर्नाटक ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इस श्रेणी में पश्चिम बंगाल और केरल ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है।
- यह भी पाया गया है कि जो राज्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम रहे हैं, वही शिक्षा और महिलाओं की भलाई के क्षेत्र में भी अच्छा काम कर रहे हैं।

9.3. लोकसभा में आचार समिति

(Ethics Committee in Lok Sabha)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- लोकसभा अध्यक्ष ने कुछ सांसदों के कथित अनैतिक आचरण के मुद्दे को सदन की आचार समिति के पास भेजा है।

आचार समिति:

- राज्यसभा में 1997 में और लोकसभा में 2000 में इसका गठन किया गया था।
- यह संसद सदस्यों के लिए आचार संहिता लागू करती है।
- यह कदाचार संबंधी प्रकरणों की जांच करती है और उचित कार्रवाई की अनुशंसा करती है। इस प्रकार, यह संसद में अनुशासन और मर्यादा बनाये रखने का कार्य करती है।
- इस समिति का अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और राज्य सभा के सभापति द्वारा नियुक्त किया जाता है।

9.4. कायाकल्प पुरस्कार योजना

(Kayakalp Award Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, स्वास्थ्य मंत्रालय ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वच्छता और सफाई का उच्च मानक बनाए रखने के लिए कायाकल्प पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया है।
- यह योजना **सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में समुदाय का विश्वास और भरोसा प्राप्त करने के लिए साफ-सफाई की संस्कृति विकसित करना चाहती है।**

उद्देश्य

- सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में साफ-सफाई, स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण व्यवहारों को बढ़ावा देना।
- साफ-सफाई और संक्रमण नियंत्रण के मानक प्रोटोकॉल का पालन करने में अनुकरणीय प्रदर्शन दिखलाने वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रोत्साहित और मान्यता प्रदाना करना।
- स्वच्छता, साफ-सफाई और सैनीटेशन से संबंधित प्रदर्शन के सतत मूल्यांकन और सहकर्मी समीक्षा की संस्कृति का विकास करना, सकारात्मक स्वास्थ्य के परिणामों से जुड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में उन्नत साफ-सफाई संबंधी संधारणीय व्यवहारों का सृजन करना और उसे साझा करना।

9.5. सरकारी विज्ञापन के नियमों में परिवर्तन

(Changes in Government Advertisements Rules)

- पूर्व में, सर्वोच्च न्यायालय ने **राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश** के चित्रों को छोड़कर सरकारी विज्ञापनों में राजनीतिक नेताओं, मंत्रियों या प्रमुख व्यक्तियों के चित्र प्रकाशित करने से सरकार को रोका था।
- हाल ही में, सर्वोच्च न्यांयालय ने अपने पहले के आदेश में संशोधन किया और सरकारी विज्ञापनों में **केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों और राज्य मंत्रियों के चित्रों** के प्रकाशन की अनुमति प्रदान की।
- यह तर्क दिया गया था कि यदि सरकारी विज्ञापनों में केवल प्रधानमंत्री के चित्र की अनुमति होगी, तो इससे "व्यक्तित्व पूजा" को बढ़ावा मिलेगा जिसे "लोकतंत्र के प्रतिवाद" के रूप में वर्णित किया जाता है।

9.6. तंबाकू उत्पादों पर चेतावनी

(Warnings on Tobacco Products)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- संसदीय समिति ने तंबाकू उत्पादों पर चेतावनी प्रदर्शित करने पर दिशा-निर्देशों के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

पृष्ठभूमि

- वर्तमान प्रावधानों के अनुसार, पैकेट के **40 प्रतिशत हिस्से पर और केवल एक ही ओर** चेतावनी का प्रदर्शन किया जाना निर्धारित है।
- वर्तमान में, भारत तम्बाकू पैकेजिंग पर सचित्र स्वास्थ्य चेतावनी की प्रमुखता के संदर्भ में 198 देशों में 136वें स्थान पर है।
- डब्ल्यू.एच.ओ. की रिपोर्ट के अनुसार, **लगभग 6 मिलियन लोगों की मृत्यु तंबाकू के उपयोग और तंबाकू के धुएं के संपर्क में आने से होती है।**
- इससे पहले, स्वास्थ्य मंत्रालय ने अनुशंसा की थी कि सिगरेट पैक पर सचित्र चेतावनी 85 प्रतिशत तक बढ़ायी जानी चाहिए।
- हालांकि, तंबाकू उद्योग द्वारा इसका विरोध किया गया और उद्योग पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए संसदीय पैनल को निर्देशित किये जाने के बाद इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।

अनुशंसाएँ

- सचित्र चेतावनी सिगरेट के पैकेट पर **दोनों ओर केवल 50 प्रतिशत** तक ही सीमित होनी चाहिए।
- बीड़ी, चबाने वाली तंबाकू और अन्य तंबाकू उत्पादों के मामले में, **चेतावनी प्रदर्शन क्षेत्र के 50 प्रतिशत और पैकेट पर केवल एक ओर ही सीमित होनी चाहिए।**
- समिति ने तंबाकू नियंत्रण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में **विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी** का भी उल्लेख किया है।

आगे की राह

- निकोटीन गम्स, वाटर पाइप आदि जैसे वैकल्पिक उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देना
- व्यवहारात्मक दृष्टिकोण में परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करना जिसका दीर्घकालिक प्रभाव होगा ।
- तंबाकू के बुरे प्रभावों के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए फिल्मी हस्तियों, खिलाड़ियों को लामबंद करना।
- तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर एक विशेष अधिभार आरंभ करना और कैंसर के रोगियों के उपचार के लिए इस धन का उपयोग करना।

9.7. अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाई) में परिवर्तन

(Changes in Atal Pension Yojna (APY))

- सरकार ने, मूल अंशदाता के 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, **शेष निहित अवधि के लिए अंशदाता के ए.पी.वाई खाते में अंशदान जारी रखने के लिए अंशदाता के पति या पत्नी को योगदानकर्ता बनाने का विकल्प देने का निर्णय लिया है।**
- अंशदाता का पति या पत्नी, अपनी मृत्यु तक मूल अंशदाता जितनी ही पेंशन राशि प्राप्त करने का/की हकदार होगा/होगी।

- **वर्तमान प्रावधान:** ए.पी.वाई अंशदाता की समय से पहले मृत्यु (60 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु) के बाद, अंशदाता के पति या पत्नी को एकमुश्त राशि दी जाती है।

(अटल पेंशन योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए, मार्च 2015 का करेंट अफेयर्स देखें।)

9.8. अवसंरचना एवं शहरी विकास: विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट

(Infrastructure & Urban Development: World Economic Forum Report)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- विश्व आर्थिक मंच ने भारत पर आधारित एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसका शीर्षक था "अवसंरचना एवं शहरी विकास: पारदर्शिता हेतु आधार का निर्माण(**Infrastructure & Urban Development: Building Foundations for Transparency)**"।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

- रिपोर्ट का मुख्य फोकस रियल एस्टेट और अवसंरचना क्षेत्र पर है।
- **दो-तिहाई से अधिक उत्तरदाता मानते हैं कि** भारतीय अवसंरचना और शहरी विकास (infrastructure and urban development) उद्योग अन्य उद्योगों की तुलना में भ्रष्टाचार से अधिक प्रभावित है।
- रियल एस्टेट और अवसंरचना के उद्यमों के लिए मंजूरी में तेजी लाने के लिए औसतन, भारतीय फर्में रिश्वत के रूप में **कुल परियोजना लागत के 50 प्रतिशत तक का भुगतान** करती हैं।
- **भू-उपयोग में परिवर्तन के लिए अस्पष्ट मानदंड** जिसका प्रभावशाली विकासकर्ताओं द्वारा दोहन किया जाता है ।
- **अपर्याप्त भूमि रिकार्ड और कई अनापत्ति मंजूरियों की आवश्यकता,** परियोजना विकासकर्ताओं के लिए वे मुख्य कारण हैं जिसके लिए वे रिश्वत का भुगतान कर रहे हैं।
- **परमिट प्राप्त करने की जटिल और अपारदर्शी प्रक्रिया** परियोजना के लिए मंजूरी में विलम्ब का मुख्य कारण है।

प्रस्तावित समाधान:

- **प्रौद्योगिकी:** यह दो तरीकों से अधिक पारदर्शिता लाने के लिए मुख्य संबल बन सकती है:
  - लेनदेनों को जनता के सम्मुख रखना, जिससे नागरिक सामाजिक लेखा परीक्षण द्वारा निकट से निगरानी संभव हो सके)।
  - लेनदेन में मानव अंतरक्रिया कम करना, इससे रिश्वतखोरी के लिए अवसर सीमित हो सकते हैं।
- **परिवर्तन के लिए नागरिकों का सशक्तीकरण करना:** यह महत्वपूर्ण है क्योंकि नागरिकों को करदाता और उपभोक्ता के रूप में भ्रष्टाचार की लागत को वहन करना पड़ता है।
- **स्थानीय से वैश्विक:** परियोजना के परिणामों का व्यापक अर्थों में वैश्विक और स्थानीय व्यवसायों, सरकार, और समाज द्वारा उपयोग किया जा सके, और इसके विस्तार को बढाया जा सके तथा अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जा सके।
- व्यवहार्य समाधानों का विकास करने और **स्थानीय ज्ञान** एकत्रित करने से पारदर्शिता और भ्रष्टाचार कम करने के संबंध में हमारी समझ में और वृद्धि होगी।

9.9. बैंक बोर्ड ब्यूरो

(Bank Board Bureau)

[इंद्रधनुष योजना के संबंध में जानकारी के लिए कृपया अगस्त, 2015 का अंक देखें]

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्गठन करने के लिए सात सूत्री इंद्रधनुष योजना के एक भाग के रूप में पिछले साल अगस्त में इस ब्युरो की घोषणा की गई थी।
  इस ब्यूरो में अध्यक्ष के अतिरिक्त तीन पदेन सदस्य और तीन विशेषज्ञ सदस्य होंगे।
- भारत के पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक विनोद राय इसके पहले अध्यक्ष होंगे।

प्रकार्य और प्रभाव

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नेतृत्व के उच्च पदों और बोर्डों के लिए नियुक्तियों की अनुशंसा करना।
- उधारदाताओं से धन जुटाने और विलय और अधिग्रहण करने के तरीकों पर सलाह देना।
- यह शासन में सुधार लाकर विपत्तिग्रस्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- नेतृत्व के पदों में नियुक्ति के व्यावसायीकरण के साथ, पी.जे. नायक समिति द्वारा यथा अनुशंसित बैंक इनवेस्टमेंट कंपनी की दिशा में बी.बी.बी पहला कदम है।

9.10 बैंकों में पूंजी निवेश

(Capital Infusion in Banks)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने 40,000 करोड़ रूपए की अतिरिक्त पूंजी को अनलॉक किया है जबकि सरकार इस वित्तीय वर्ष में सरकारी बैंकों में 25,000 करोड़ रुपये की पूंजी निवेश करेगी।

संशोधित नियम जिनके कारण बैंकों के लिए 40,000 करोड़ की पूँजी अनलॉक हो सकी है:

- बैंकों के विनियामकीय पूंजी का निर्धारण करने के प्रयोजन से आर.बी.आई. ने बैंकों के बैलेंस शीट की कुछ विशेष मदों के संदर्भ में कुछ संशोधन किए हैं, जिससे उक्त राशि अनलॉक हो सकेगी।

VISION IAS

- प्रस्तुत संशोधनों में यह प्रावधान किया गया है कि बैंकों के पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप किसी बैंक के परिसंपत्ति में हुए परिवर्तन से व्युत्पन्न रिवैल्यूएशन रिज़र्व को अब टीयर 2 पूंजी के बजाय कॉमन इक्विटी टियर 1 पूंजी (CET-1 capital) के रूप में समझा जाएगा।
- बैंक अपने फॉरेन ऑपरेशन (विदेशी परिचालन) के वित्तीय विवरणों के अंतरण/रूपांतरण से उत्पन्न फॉरेन करेंसी रिज़र्व को कॉमन इक्विटी टीयर 1 पूंजी (CET-1 capital) के रूप में समाविष्ट कर सकते हैं।

मानक में संशोधन का प्रभाव

- इसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंगीकृत बेसल III पूंजी मानकों के साथ विनियामकीय पूंजी की परिभाषा को संरेखित किया है।
- इस कदम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए 35,000 करोड़ रुपये और निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए 5,000 करोड़ रुपये की पूंजी उपलब्ध हो पाएगी।

इस प्रकार के कदम का कारण

- सरकारी बैंकों पर गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों/बुरे ऋणों का भारी बोझ।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां लगभग 4 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

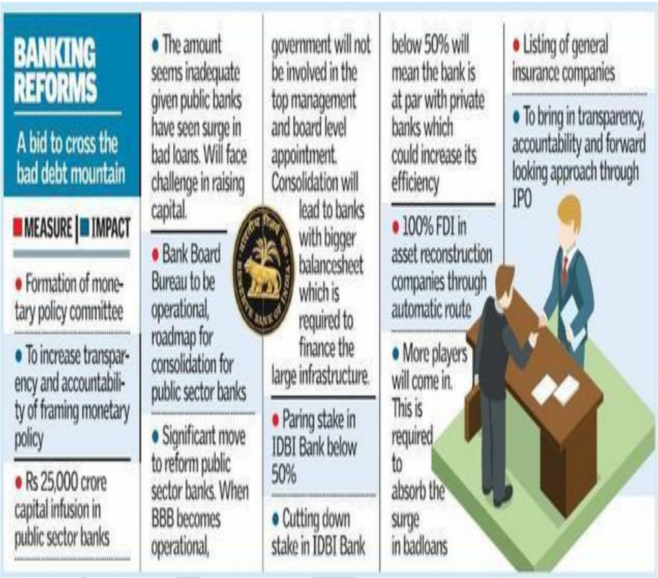

9.11. कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ) पर कर और उसकी वापसी

(Employees Provident Fund (EPF) Tax and Rollback)

- पांच करोड़ से अधिक अंशदाताओं ने भविष्य निधि में लगभग 8.75 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया है।
- केंद्रीय बजट में सरकार ने सेवानिवृत्ति पर निकासी के समय व्यक्ति के भविष्य निधि कोष के 60% पर कर लगाने का प्रस्ताव रखा था।
- यह 1 अप्रैल, 2016 के बाद भविष्य निधि में किए गए अंशदानों पर लागू है, अगर वह अंशदान वार्षिकी जमा में निवेशित नहीं है।
- यह कदम निजी क्षेत्र के अधिक से अधिक कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद भविष्य निधि से पूरे पैसे निकालने की बजाय पेंशन सुरक्षा की ओर जाने के लिए प्रोत्साहित करता।
- यह व्यक्तिगत निवेशकों को वर्तमान में उच्च प्रतिफल प्रदान करने वाले *कर मुक्त बांड* या *डेब्ट म्यूचुअल फंड* की ओर स्थानांतरित होने को प्रोत्साहित कर सकता था।
- वेतनभोगी वर्ग और संसद में विपक्ष के कड़े विरोध के बाद इस प्रस्ताव को **वापस ले लिया गया**।

9.12. कृषि उपज में कटाई-पश्चात होने वाली हानियां

(Post-Harvest Losses of Farm Produce)

सुर्ख़ियों में क्यों

- विरोधाभासी निष्कर्षों के बाद कृषि उत्पादों की कटाई पश्चात हानियों के प्रतिशत पर केंद्र फिर से अध्ययन करवाने का विचार कर रहा है।
- सरकार ने बजट में खाद्य उत्पादों के विपणन में 100% एफ.डी.आई. की घोषणा की है। छोटे खुदरा विक्रेताओं, स्ट्रीट वेंडर्स और किसानों के संगठनों द्वारा इस कदम की आलोचना की गई है।

विरोधाभासी निष्कर्ष

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर) के लुधियाना स्थित केंद्रिय कटाई-पश्चात इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (Central Institute of Post-Harvest Engineering and Technology, CIPHET) की एक रिपोर्ट से पता चला है कि खाद्यान्नों की कटाई पश्चात हानियों का संचयी प्रतिशत 4.65 से 5.99 प्रतिशत के रूप में कम ही था, जबकि दालों की कटाई पश्चात हानियों का संचयी प्रतिशत 6.36 से 8.41 प्रतिशत के बीच और तिलहन का 3.08 से 9.96 प्रतिशत के बीच था।
- हालांकि, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा पूर्व में प्रस्तुत शोध पत्र में कृषि मंत्रालय के हवाले से जो आंकड़ा पेश किया गया था, उसके अनुसार, भारत में 25-30 प्रतिशत फल और सब्जियां और 5-7 प्रतिशत खाद्यान्न बर्बाद हो जाते हैं।

9.13. बीटी कपास के रॉयल्टी शुल्क में 74% तक की कटौती

(Reduction of Bt Cotton Royalty Fees by 74%)

सुर्ख़ियों में क्यों

- सरकार ने अनुवांशिक रूप से संशोधित कपास के बीज की कीमतों में कटौती कर दी है और रॉयल्टी शुल्क 74% तक घटा दिया है।

इस कदम के कारण

- कृषि मंत्रालय ने पिछले साल दिसंबर में ट्रेट या रॉयल्टी मूल्य सहित कपास के बीज की कीमतें नियंत्रित करने के लिए आदेश

जारी किया था और बीजों की कीमत की अनुशंसा करने के लिए समिति भी गठित की गई थी।

- सरकार ने आनुवंशिक रूप से संशोधित बीज के प्रति पिंक बॉलवर्म द्वारा विकसित त्वरित प्रतिरोध का हवाला देते हुए बॉलगार्ड- के लिए ट्रेट फीस (trait fee) में कटौती करने और पेटेंट रद्द करने के प्रस्ताव का बचाव किया है।
- बीज की कम इनपुट लागत से भारत में लगभग 8 लाख कपास किसान लाभान्वित होंगे।
- इस कदम से घरेलू बीज कंपनियों को लाभ होगा और मोनसेंटो, जिसकी बीटी कपास के बीज में 90 प्रतिशत हिस्सेदारी है, उसके एकाधिकारी मूल्य निर्धारण पर रोक लगेगी।

चिंताएं

- इसने भारत के बौद्धिक संपदा अधिकारों की व्यवस्था संबंधी चिंताओं को बढ़ाया है।
- सरकार ट्रेड शुल्क पर किस प्रकार पहुंची, इस संबंध में कार्यविधि की जानकारी प्रदान नहीं किये जाने के कारण उद्योग के कुछ वर्गों ने इसे राज्य सत्ता का मनमाना उपयोग करार दिया है।
- इस कदम से अनुसन्धान और विकास(आर एंड डी) में बाधा पड़ सकती है-वर्तमान अनिश्चित माहौल के कारण देश में बीज आधारित अनुसंधान एवं विकास में अपने निवेश पर कंपनियों को पुनर्विचार करना पड़ सकता है।

आगे की राह

- मोनसेंटो जैसी किसी भी निजी संस्था का प्रभुत्व बढ़ने और बने रहने नहीं दिया जाना चाहिए।

9.14. परियोजना आधारित रेटिंग

(Project Based Rating)

सुर्ख़ियों में क्यों

- वित्त वर्ष 2017 के बजट में परियोजनाओं के लिए एक नई क्रेडिट रेटिंग प्रणाली विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है।
- **इस कदम का कारण** – बढ़ता एन.पी.ए. और अवसंरचना क्षेत्र में घटता ऋण प्रवाह।

नई रेटिंग प्रणाली के मुख्य बिन्दु

- परियोजना कार्यान्वित करने वाली कंपनी के बजाय अवसंरचना परियोजनाओं की रेटिंग की जाएगी।
- रेटिंग विभिन्न साख संवर्धन संरचनाओं पर आधारित होगी, न कि जोखिम की मानक धारणा जिसकी परिणति गलत कीमत वाले ऋणों में हुई है।
- प्रासंगिक कारकों और जोखिम के समावेश हेतु क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के साथ चर्चा के बाद रेटिंग प्रणाली का विकास किया जाएगा।

इस कदम के लाभ

- इससे अवसंरचना परियोजनाओं में काम के विभिन्न चरणों हेतु धन जुटाना सरल हो जाएगा।
- इससे परियोजना के प्रत्येक चरण के लिए जोखिम के सही आंकलन का मार्ग प्रशस्त होगा- अवसंरचना परियोजना में, प्रारंभिक चरण (जो अधिक जोखिम भरा होता है) का वित्त पोषण निवेशकों के एक विशेष वर्ग द्वारा किया जा सकेगा, वित्तपोषण के अन्य रूप (बैंकों सहित) परियोजना के पश्चातवर्ती कम जोखिम वाले चरणों में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं।

9.15. एफ.डी.आई. के दिशा-निर्देशों में सुधार

(Reforms in FDI Guidelines)

विदेशी निवेशकों तथा उनके घरेलू प्राप्तकर्ताओं के लिए इज ऑफ़ डूईंग बिज़नेस को आसान बनाने हेतु 2016-17 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित प्रस्ताव किये गए है:-

- कुछ क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) के मानकों का उदारीकरण और
- केन्द्र-राज्य निवेश करार का प्रावधान।

उठाए गए कदम और उनके लाभ

वे क्षेत्र जिन्हें सम्मिलित किया गया है- बीमा, पेंशन, परिसंपत्ति पुनर्निमाण कंपनियां (ARC), शेयर बाजार, खाद्य उत्पादों का विपणन, 18 निर्दिष्ट एन.बी.एफ.सी गतिविधियो के अतिरिक्त बैंकों और वित्तीय क्षेत्रों के नियामकों द्वारा शासित क्षेत्रों को छोड़कर सूचीबद्ध केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसई)।

A. बीमा क्षेत्र

- सरकार ने बीमा क्षेत्र (पेंशन क्षेत्र में) में समग्र सीमा (composite cap) (एफ.डी.आई. और विदेशी संस्थागत निवेश सहित) 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दिया है।
- यह सरकार के अनुमोदन (विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड अर्थात एफ.आई.पी.बी के माध्यम से) मार्ग से होगा।

B. बैंक और वित्तीय संस्थाएं:

- वित्त वर्ष 17 के बजट में स्वचालित मार्ग के माध्यम से ए.आर.सी में 100 प्रतिशत एफ.डी.आई. का प्रस्ताव रखा गया है।
- विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को क्षेत्रीय सीमा के विषयाधीन ए.आर.सी. द्वारा जारी प्रतिभूति प्राप्तियों में प्रत्येक किश्त के 100 प्रतिशत तक की अनुमति दी जाएगी।

लाभ–भारी-भरकम बैड लोन (bad loan) की समस्या का समाधान करने में बैंकों और वित्तीय संस्थानों (एफ.आई.) की सहायता करेगा।

C. खाद्य उत्पादों का विपणन :

भारत में उत्पादित और विनिर्मित खाद्य उत्पादों के विपणन में एफ.आई.पी.बी रूट के माध्यम से 100 प्रतिशत एफ.डी.आई.।

लाभ - खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में एफ.डी.आई.।

- किसानों को उनकी उपज पर अधिकतम प्रतिफल दिलाएगा।
- बड़ी मात्रा में रोजगार सृजन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहन देगा, और
- खाद्य पदार्थों की हानि और बर्बादी कम करेगा

- रोजगार के विशाल अवसरों का सृजन करेगा।
- देश की खाद्य सुरक्षा को बढ़ाएगा।

D. **भारतीय शेयर बाजार**-भारतीय शेयर बाजारों में विदेशी संस्थानों के लिए निवेश की सीमा को पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत यानी घरेलू संस्थानों के बराबर कर दिया गया है।

लाभ - इस कदम का उद्देश्य है -

- भारतीय शेयर बाजारों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना और
- अपनी श्रेणी में सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी और वैश्विक बाजार की परिपाटियों का त्वरित अंगीकरण।

E. **सी.पी.एस.ई**-शेयर बाजारों में सूचीबद्ध बैंकों से इतर सी.पी.एस.ई, में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफ.पी.आई) द्वारा निवेश की वर्तमान सीमा वर्तमान 24 प्रतिशत से 49 प्रतिशत तक बढ़ा दी जाएगी।

केंद्र राज्य निवेश करार (Centre State Investment Agreement)- भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने वाला कदम

- 2016-17 के बजट में प्रस्तुत सी.एस.आई.ए, केंद्र और राज्य के बीच एक समझौता है, जो केंद्र द्वारा अन्य देशों के साथ हस्ताक्षरित द्विपक्षीय निवेश संधियों के प्रभावी कार्यान्वयन को संभव बनाएगा।

इस कदम के निहितार्थ

- केंद्र के साथ इन समझौतों पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों को विदेशी निवेशकों द्वारा अधिक आकर्षक स्थलों के रूप में देखा जाएगा।
- इससे प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलेगा।

9.16. तेल की गिरती कीमतें और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव

(Falling oil Prices and its Impact on Indian Economy)

कारण

- **मांग पक्ष कारक**: यूरोजोन का आर्थिक ठहराव, जापान का मंदी की ओर फिसलन और चीन की मंदी।
- **आपूर्ति पक्ष कारक**: अमेरिकी शेल बूम, लीबिया के तेल उत्पादन का पुनरुद्धार, और इराक में उत्पादन में लगातार वृद्धि और ओपेक का उत्पादन में कटौती न करने का निर्णय।

सकारात्मक प्रभाव

- भारत के **व्यापार संतुलन और चालू खाता घाटे में सुधार** क्योंकि भारत **अपनी 80 प्रतिशत आवश्यकता के लिए तेल का आयात** करता है।
- **डीजल की कीमतों का नियंत्रण मुक्त** होना जिससे **सब्सिडी के बोझ में कमी होगी**।
- इनसे बचाया गया मद अवसंरचना निर्माण और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में लगाया जा सकता है।
- डीजल की कीमतों का आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर सीधा प्रभाव होता है क्योंकि यह परिवहन क्षेत्र के लिए पसंदीदा ईंधन है। अतः **मुद्रास्फीति** में कमी आएगी जिससे **निर्यात** को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनेगा।
- **प्लास्टिक उत्पाद, सिंथेटिक कपड़े, टायर और पेंट** का निर्माण करने वाली वे कंपनियां जो इनपुट के रूप में कच्चे तेल या कच्चे तेल से व्युत्पन्न वस्तुओं का उपयोग करती हैं, उनके लाभ मार्जिन में विस्तार होता दिखेगा।

नकारात्मक प्रभाव

- पश्चिम एशियाई देशों से विप्रेषण में कमी क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था गिर रही है।
- प्रदूषण में वृद्धि क्योंकि तेल की कीमतों में कमी से घरेलू और वैश्विक स्तर पर तेल की मांग में वृद्धि हुई है।

निष्कर्ष

- तेल की गिरती कीमतें भारत के लिए एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करती हैं-- इससे हमें अपने विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों में पद्धति का नए तरीके से दिशानिर्धारण करने और बेहतर तरीके से लाभार्थी वर्ग निर्धारित करने तथा कुशल संचालन के माध्यम से दक्षता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

9.17. भारतीय कृषि में सुधार

(Reforms in Indian Agriculture)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- प्रसिद्ध कृषि विशेषज्ञ अशोक गुलाटी ने कहा है कि भारतीय कृषि में वर्तमान 3.6% से 4% की जगह प्रतिवर्ष 5% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि करने की क्षमता है।
- पिछले 2 वर्षों में किसान आत्महत्या की दर में वृद्धि हुई है, अकेले तेलंगाना राज्य में 2000 आत्महत्याएं हुई हैं।

कृषि के दयनीय प्रदर्शन और बढ़ती किसान आत्महत्याओं के कारण

- **कृषि से होने वाली आय में गिरावट** - पिछले 2 वर्षों में कई क्षेत्रों में खराब मानसून के कारण फसल विफल हो गयी हैं और अन्य क्षेत्रों बहुत कम उत्पादकता प्राप्त हुई है।
- छोटे, सीमांत और काश्तकार किसानों के लिए **ऋण** की अनुपलब्धता एवं स्वास्थ्य और सामाजिक समारोहों पर बढ़ते व्यय ने किसानों पर कर्ज का भारी बोझ डाल दिया है।
- **दयनीय या निम्न मूल्य** – जिंसों के वायदा मूल्यों में कमी, जिंसों के मूल्यों में गिरावट एवं सरकारी समर्थन की कमी के कारण मूल्यों में उच्च अस्थिरता उत्पन्न हो गयी है। यह किसानों की दुखती रग है।
- बीज की ऊंची कीमतों के साथ-साथ उर्वरक और कीटनाशकों की बढ़ती खपत के कारण **कृषि की बढ़ती लागतें**।

किए जाने योग्य सुधार

- **सिंचाई** - सिंचाई फसल विफलता के विरुद्ध सर्वोत्तम बीमा है।
- **फसल के विविधीकरण को प्रोत्साहित करना**: किसी एक फसल की विफलता के विरुद्ध प्राकृतिक बीमा का कार्य करेगा।

VISION IAS

- **ए.पी.एम.सी. अधिनियम में सुधार** – यह भ्रष्टाचार और बिचोलियों को समाप्त करेगा एवं किसान उपज के लिए बेहतर मूल्यों को सुनिश्चित करेगा।
- मशीनीकरण को बढ़ावा देने हेतु औसत खेत आकार बढ़ाने के लिए **भूमि सुधार।**
- खराब मौसम, आपदा एवं फसल कटाई के बाद होने वाली क्षतियों के विरुद्ध बेहतर रूप से फसल बीमा दिया जाना ।
- **कृषि भूमि के पट्टे की प्रक्रिया में सुधार**– यह काश्तकार किसानों के लिए बीमा एवं ऋण प्राप्त करना संभव करेगा।
- अभावग्रस्त खेतिहर घर-परिवारों को **जीविका के वैकल्पिक स्रोत प्रदान करना।**
- उचित मूल्य पर **उत्तम गुणवत्ता के बीजों** की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

आगे की राह

- सरकार ने विभिन्न योजनाएँ आरम्भ की हैं, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, परम्परागत कृषि योजना, बी.जी.आर.ई.आई., राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.), मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, डी.डी. किसान आदि। इन योजनाओं का वांछित लाभ प्राप्त करने हेतु संपूर्ण रूप से कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता है।

9.18. प्लास्टिक के विघटन में सक्षम जीवाणु प्रजातियों की पहचान

(Bacterium Species Capable for Breaking Down Plastic Identified)

- जापानी शोधकर्ताओं की एक टीम ने **Ideonella sakaiensis** नामक जीवाणु प्रजाति की पहचान की है। यह प्लास्टिक अर्थात् पॉलीथीन टेरिफ्थेलैट (पी.ई.टी.) का विघटन करने में सक्षम है।
- यह जीवाणु पी.ई.टी. नामक जैव निम्नन-प्रतिरोधी बहुलक का विघटन करने के लिए अनुक्रमिक रूप से दो एंजाइमों का उपयोग करता है।

THE BREAKDOWN

The bacterium uses two enzymes to break down a biodegradable and biodegradation-resistant PET

- Japanese researchers looked for **microorganisms** that relied on PET film as a primary source of carbon for growth
- They first **identified a microbial consortium** with a mixture of bacteria species that degraded the film surface at 30 °C
- The researchers **isolated a unique bacterium** — Ideonella sakaiensis 201-F6 — that **can almost completely degrade** a PET film in six weeks at the same temperature

HOW IT WORKS

- First, the bacterium adheres to PET and **produces a substance through hydrolysis**
- The second enzyme works with water and acts on this substance to **produce two monomers** — ethylene glycol and terephthalic acid — used to make PET through polymerisation

- यह पी.ई.टी. की एक पतली परत को 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर छ: महीनों में लगभग सम्पूर्ण रूप से विघटित कर सकता है।
- जटिलता, अवधि, आर्थिक व्यवहार्यता और पर्यावरणीय प्रभावों की दृष्टि से इस प्रक्रिया के विवरण अभी भी अध्ययन का विषय हैं।

9.19. शीतलक का रिसाव होने के बाद काकरापारा-नाभिकीय संयंत्र को बन्द कर दिया गया

(Kakrapar Nuclear Plant Shutdown After Coolent Leakage)

- गुजरात में स्थित काकरापारा नाभिकीय संयंत्र को, शीतलक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले भारी जल के रिसाव के उपरांत बन्द कर दिया गया।
- इस संयंत्र में दबावयुक्त भारी जल रिएक्टरों (प्रेसराइज्ड हेवी वाटर रियेक्टर्स) की दो इकाइयाँ हैं, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 220 मेगावाट है।
- सकारात्मक बात यह रही कि रिसाव का पता लगते ही सभी सुरक्षा प्रणालियाँ सक्रिय हो गयीं। रिएक्टर स्वचालित रूप से बन्द हो गया और इसके कोई भी विकिरणात्मक प्रभाव नहीं हुए।

रिसाव का मापन

- परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (ए.ई.आर.बी.), ने 'इंटरनेशनल न्यूक्लियर एंड रेडियोलॉजिकल इवेंट स्केल (INES) पर इसे **स्तर-1 (लेवल 1)** दुर्घटना के रूप में वर्गीकृत किया है। यह सात स्तरीय वर्गीकरण योजना में सबसे अधिक निम्नस्तरीय है।
- स्तर 1-3 को 'घटनाएँ (incidents) कहा जाता है।
- स्तर 4-7 को 'दुर्घटनाए' (accidents) कहा जाता है।
- स्तर 1 से संयंत्र में आई विसंगति के रूप में माना जाता है। तुलनात्मक रूप से 2011 में फुकुशिमा, जापान, में हुई परमाणु दुर्घटना, स्तर-7 वर्ग की थी।
- INES को अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आई.ए.ई.ए.) द्वारा विकसित किया गया है।

भारी जल (ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O) को दबावयुक्त भारी जल रिएक्टरों में विमंदक एवं शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के प्रथम चरण का भाग है।

ए.ई.आर.बी. के संबंध में

- परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड राष्ट्रपति द्वारा परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अनुच्छेद 27 के अंतर्गत अधिनियम के

VISION IAS

विनियामक और सुरक्षा कार्यों को संपन्न करने के लिए गठित गया एक वैधानिक निकाय है।

- यह अपनी नियामक शक्तियां परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत पुरःस्थापित नियमों और अधिसूचनाओं से प्राप्त करता है।

9.20. विश्व जल दिवस (WORLD WATER DAY)

(World Water Day)

पृष्ठभूमि

- मानव सभ्यता व प्रकृति के लिए जल के महत्व को चिन्हित करने के लिए 22 मार्च को वैश्विक स्तर पर विश्व जल दिवस मनाया जाता है।
- यह संयुक्त राष्ट्र के “जल दशक (Decade for Wate)” (2005-2015) गतिविधि का भाग है।
- 2016 की थीम है:-'**जल और रोजगार (Water and Jobs)**'।

कुछ तथ्य

- भारत में ताजे जल की घटती उपलब्धता; पिछले 50 वर्षों में 3000 क्यूबिक मीटर से गिर कर 1000 क्यूबिक मीटर हो गयी है। विश्व औसत 6000 क्यूबिक मीटर है।
- देश भर के 91 प्रमुख जलाशयों में जल स्तर इस दशक के निम्नतर स्तर– 29% से भी कम पर पहुँच गया।
- एक अध्ययन के अनुसार, भारत चीन की तुलना में 37% अधिक ताजे जल का उपयोग करता है और इसके आधे भूमिगत जल संसाधन संदूषित हैं।

आगे की राह

- उपयुक्त मूल्य निर्धारण तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा प्रति हेक्टेयर जल और विद्युत के उपयोग पर ऊपरी सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव सही है। समस्या राजनैतिक इच्छाशक्ति के अभाव की है क्योंकि यह एक राजनीतिक तौर पर संवेदनशील मुद्दा है।
- **राष्ट्रीय जल फ्रेमवर्क कानून** की आवश्यकता; यह विचार कुछ साल पहले रखा गया था लेकिन राज्यों द्वारा इसे संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के रूप में देखा गया था। संवैधानिक प्रावधान जल को राज्य सूची में उल्लिखित करते हैं।
- जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन के लिए मनरेगा का प्रयोग किए जाने की आवश्यकता।
- नदी बेसिन विकास दृष्टिकोण।

यू.पी.एस.सी. मुख्य परीक्षा 2011

- भारत में जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर एक लघु टिप्पणी लिखिए।

यू.पी.एस.सी. मुख्य परीक्षा 2005

- भारत में ग्रामीण और शहरी, दोनों प्रकार के जल संचयन की बढ़ती आवश्यकता में योगदान करने वाले कारकों को स्पष्ट कीजिए।

9.21. माइक्रोप्लास्टिक/माइक्रोबीड्स

(Microplastics/Microbeads)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) में माइक्रोप्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली एक याचिका दायर की गई है।
- एन.जी.टी. ने पर्यावरण और वन मंत्रालय एवं जल संसाधन मंत्रालय को नोटिस जारी किया है, और उनसे जवाबतलब किया है।

ये क्या हैं?

- माइक्रोप्लास्टिक या माइक्रोबीड प्लास्टिक के अंश या रेशे हैं जो बहुत छोटे होते है। इनका आकार सामान्यत: 1 मि.मी. से कम होता है।
- उनके विविध प्रकार के प्रयोग होते हैं जिनमें विशेष रूप से टूथपेस्ट, कपड़े, शरीर पर लगाई जाने वाली क्रीम जैसे व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद एवं औद्योगिक उपयोग होते हैं।
- उनमें सरलतापूर्वक फैलने की क्षमता होती है और वे उत्पाद को रेशमी बुनावट और रंग प्रदान करते हैं। इस प्रकार वे प्रसाधन सामग्री उत्पादों को दृश्य प्रभाव प्रदान करते हैं।

माइक्रोप्लास्टिक के साथ समस्याएँ

- वे अजैव-निम्नीकरणीय होते हैं। वे सीवर से बहकर सागरों और महासागरों में पहुँच जाते हैं और **पर्यावरण में 'प्लास्टिक सूप' के बहुत बड़े भाग का अंश बन जाते हैं।**
- **वे जल प्रदूषण में वृद्धि करते हैं** और उनमें जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान उत्पन्न करने की क्षमता होती है।
- एक बार जल निकायों में प्रवेश करने के उपरान्त वे **संचित हो जाते हैं और अन्य प्रदूषकों के लिए वाहक के रूप में कार्य करते हैं**। वे खाद्य श्रृंखला में कैंसरकारक रासायनिक यौगिकों का वहन करते हैं।
- अपने **छोटे आकार के कारण वे अपशिष्ट जल उपचार निस्यंदन प्रणाली से भी पार** हो जाते हैं।
- उनका अनियमित उत्पादन और उपयोग समस्या को और अधिक गहरा बना रहा है।
- माइक्रोप्लास्टिक पर प्रतिबंध **लगाने की मांग करने हेतु एक अंतरराष्ट्रीय अभियान** चलाया जा रहा है।

9.22. महिला सशक्तिकरण–समान नागरिक संहिता

(Women Empowerment – Uniform Civil Code)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 16 अक्टूबर, 2015 को सर्वोच्च न्यायालय ने "समानता के लिए मुस्लिम महिलाओं की उत्कंठा" (“Muslim women’s quest for equality”)शीर्षक वाले एक जनहित याचिका को स्वीकृत करने का निर्णय किया। यह याचिका मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले लैंगिक भेदभाव के मुद्दे पर थी।

VISION IAS

- सर्वोच्च न्यायालय ने इससे पहले **सायरा बानो मामले** में दायर एक याचिका को स्वीकृत किया था। उस याचिका में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत तीन बार बोलने से तलाक, निकाह हलाला (किसी दूसरे आदमी से विवाह हुए बिना तलाकशुदा पति के साथ पुनर्विवाह का निषेध) एवं बहुविवाह की प्रथा को अवैध, असंवैधानिक एवं संविधान के अंतर्गत दिए गए समानता, गरिमा, जीवन और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन करने वाला घोषित करने का निवेदन किया गया था।

समान नागरिक संहिता क्या है

- समान नागरिक संहिता वस्तुत: देश के सभी नागरिकों के व्यक्तिगत मामलों (इनके धर्म की परवाह किए बगैर) को शासित करने वाला कानूनों का एक सामान्य सेट होता है।
- वर्तमान में, विभिन्न धर्मानुयायियों के लिए इन पहलुओं को विभिन्न कानूनों द्वारा विनियमित किया जाता है।

समान नागरिक संहिता के लाभ

- विधि के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14) – विवाह, उत्तराधिकार, परिवार, भूमि आदि से संबंधित सभी कानून सभी भारतीयों के लिए एक जैसे हो जाएंगे।
- यह भारत के पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने में सहयोग करेगा और ऐसे दमन और दुर्व्यवहार से बचाएगी जो अभी तक पुराने धार्मिक नियमों के तहत उन्हें सहना पड़ता रहा है।
- यह समाज सुधार में सहयोग करेगा।
- यह पर्सनल कानूनों की कमियों को समाप्त कर तथा खाप पंचायत और मदरसों जैसे अनौपचारिक निकायों द्वारा मानव अधिकार और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रोक लगाएगी।
- यह वोट बैंक की राजनीति को कम करने में भी सहायक होगा।
- यह भारत के एकीकरण में सहायक होगा - निश्चित धार्मिक समुदायों के कानून द्वारा पक्षपातपूर्ण व्यवहार के कारण अत्यधिक वैमनस्य उत्पन्न होता है।

समान नागरिक संहिता का समर्थन करने वाले संवैधानिक अनुच्छेद

- राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 44 - राज्य भारत के सम्पूर्ण अधिकार क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।
- मौलिक अधिकारों के तहत **अनुच्छेद 25 का खंड (2)** - राज्य को "धार्मिक आचरण से संबद्ध धर्मनिरपेक्ष गतिविधि" को विनियमित या प्रतिबंधित करने हेतु कानून निर्मित करने की शक्ति प्रदान करता है।
- मूल अधिकार के अंतर्गत **अनुच्छेद** 14 - पर्सनल कानूनों में असंगतता को अनुच्छेद 14 की कसौटी पर चुनौती दी गई है, जो समानता के अधिकार को सुनिश्चित करता है। वादकारियों ने दृढ़तापूर्वक यह दावा किया है कि उनके समानता के अधिकार को पर्सनल कानून द्वारा संकटग्रस्त कर दिया जाता है जो उन्हें प्रतिकूल परिस्थिति में डाल देता है।

9.23. स्वदेशी रोटावायरस वैक्सीन

(Indigenous Rotavirus Vaccine)

सुर्ख़ियों में क्यों?

स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में **सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम** के भाग के रूप में भारत की पहली स्वदेशी रोटावायरस वैक्सीन (रोटावैक) का आरम्भ किया।

यह क्या है?

- रोटावैक डायरिया (अतिसार) रोग के विरुद्ध एक ओरल वैक्सीन है जिसके कारण प्रतिवर्ष पांच साल की उम्र तक के लगभग 80000 बच्चों की मृत्यु हो जाती है और लगभग दस लाख बच्चों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है।
- रोटावैक को भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यू.आई.पी.) में निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन (आई.पी.वी.), खसरा, रूबेला (एम.आर.) और वयस्क जापानी इंसेफेलाइटिस (जे.ई.) के साथ शामिल आरम्भ किया गया है।
- यह आरम्भ में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, हिमाचल और हरियाणा के चार राज्यों में आरम्भ की जा रही है और देश के बाकी भागों में चरणबद्ध रूप से (पुरानी वैक्सीन के प्रयोग को समाप्त करते हुए) आरम्भ की जाएगी।

पृष्ठभूमि

- भारत में ही विकसित रोटावायरस वैक्सीन 2015 में आरम्भ की गई थी, इसे अब यू.आई.पी. में शामिल किया गया है।
- रोटा एक अत्यधिक संक्रामक वायरस है जो अधिकतर बच्चों को उनके जीवन के प्रथम वर्ष पूर्ण होने से पूर्व संक्रमित करता है।
- यह चक्र के आकार का एक रोगाणु है (जो इसके नाम 'रोटा अर्थात् घूमने वाला' से परिलक्षित होता है) और संक्रमित मल से संदूषित खाद्य और पेय के माध्यम से फैलता है।
- बुखार, मतली, दस्त, उल्टी और पतले दस्त होना इसके लक्षण हैं।
- रोटावैक का विकास करने में 25 वर्ष लगे हैं। यह वैक्सीन (टीका) भारत बायोटेक और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है।

महत्व

- शिशु मृत्यु दर कम होगा।
- अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता कम होगी, जिससे बदले में परिवार और देश पर आर्थिक बोझ कम होगा।
- बच्चों के बीच कुपोषण, मानसिक और शारीरिक विकास में विलम्ब को भी कम करेगी।

VISION IAS

चुनौतियाँ

- अधिकांश (ओरल वैक्सीन) की भाँति इसकी भी प्रभावकारिता केवल 50-60% है, भारत में इसकी प्रभावकारिता विकसित देशों की तुलना में सामान्य रूप से कम है।
- इसके कारण भारत में बच्चे के आंत्र रोगों की उच्च दर से संबद्ध हो सकते हैं।
- वैक्सीन के एक घातक साइड-इफैक्ट के संबध में भी संदेह व्यक्त किए गए हैं। इस साइड-इफैक्ट को अंत्रावेष्टांश (इन्टस्ससेप्शन, intussusceptions) या आंतों में वलन उत्पन्न होना कहा जाता है। लेकिन इन संदेहों को अमान्य घोषित किया गया है।

9.24. ई-मेल आविष्कारक

(E-mail Inventor)

- ई-मेल के आविष्कारक रे टॉमलिंसन अब नहीं रहे। इन्होंने ही पते के लिए @ का प्रतीक उपयोग किया था।
- **रेमंड शमूए टॉमलिंसन (Raymond Samue Tomlinson)** ने 1971 में, इंटरनेट की अग्रदूत **अरपानेट प्रणाली** (**ARPANET system**) पर पहला ईमेल प्रोग्राम कार्यान्वित किया।
- उन्होंने उपयोगकर्ता के नाम (यूज़र नेम) को उसके मशीन नाम से अलग करने के लिए @ **प्रतीक** का उपयोग किया। यह एक ऐसी योजना सिद्ध हुई जिसे ई-मेल पतों में तब से लेकर अभी तक प्रयोग किया जाता है।

9.25. संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार समिति

(UN Human Rights Council)

सूर्य देव को जिनेवा आधारित **यू.एन.एच.आर.सी.** द्वारा **मानव अधिकारों और अंतरराष्ट्रीय निगमों और अन्य व्यापार उद्यमों** के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह के **एशिया-प्रशांत प्रतिनिधि के रूप में** नियुक्त किया गया है।

यू.एन.एच.आर.सी. के संबंध में

- **संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यू.एन.एच.आर.सी.)** संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का एक अंतर सरकारी निकाय है। इसके 47 सदस्य राष्ट्र विश्व भर में मानव अधिकारों को प्रोत्साहित करने और संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार हैं।
- **चोई क्योंग लिम** मानवाधिकार समिति के अध्यक्ष हैं।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

VISION IAS